

जर्मनी का विकास

दूसरा भाग

लेखक

सूर्यकुमार वर्मा

१९१९

श्रीब्रह्मीनारायण प्रेस बनारस में मुद्रित ।

मूल्य ?

विषय-सूची ।



(दूरस भाग)

तेरहवों अध्याय—छोटे पैमाने पर खेती का काम	१
चौदहवों " —कृषि कार्य और मजदूरों का प्रश्न	१२
पन्द्रहवों " —को अपरेशन अर्थात् परस्पर सहयोगिता .	३८
सोलहवों " —प्रजा की वृद्धि और-शिशु रक्षा	५९
सत्रहवों " —राष्ट्र का विस्तार .	८०
अठारहवों " —उपनिवेश . . .	१०९
उन्नीसवों " —उपनिवेशों का नया युग	१२३
बीसवों " —साम्राज्य की खर्ष .	१३९
इकोसवों " —साम्राज्य की अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति	१५०
बाईसवों " —सोशियालिज्म के भावी चिन्ह .	१७४
तेईसवों " —पोलिग लोगों का प्रश्न	१९७



जर्मनी का विकास ।

दूसरा भाग ।

तेरहवाँ अध्याय ।

छोटे पैमाने पर खेती का काम ।

कृषकों का जीवन सुखमय हो और दूसरों को जमीन का लगान देकर खेती द्वारा अपनी जीविका चलाने वाल लोगों का कल्याण हो, ऐसी सदिच्छा रखनेवाले कितने ही लोगों का मत है कि जर्मनी में बहुत से खेत ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा विस्तार है । इस कारण थोड़ी सी खेती करनेवालों को छोटे छोटे खेत न मिलने से, देश को हानि उठनी पड़ती है और इसी कारण कृषिप्रधान प्रांतों से शहरों की ओर मनुष्यों के जाने का जो स्रोत बढ़ रहा है उसको रोकने के लिये और खेती का काम करनेवालों को मजदूरों का टोटा न हो, यह आवश्यक है कि खेतों का विस्तार मर्यादित कर के, उन्हें किसानों अथवा खेती का काम करनेवाले मजदूरों को देने से, उनका अधिक उपयोग किया जा सकेगा ।

अब तक साधारण तौर पर यह विचार था कि प्रशिया के उत्तर और पूर्व भाग की बड़ी बड़ी इस्टेटों को नष्ट करके उनकी जगह छोटी छोटी इस्टेटें (जमींदारिया) यदि बनाई जाय तो खेती को बहुत बड़ी हानि पहुँचेगी । बड़े बड़े पड़ोसी जमींदारों के कारण छोटे छोटे जमींदारों पर एक प्रकार का जो नैतिक प्रभाव है वह जाता रहेगा । अतएव कृषि का काम प्रायः नष्ट हो जायगा और स्थानिक स्वराज्य को बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा । ये विचार बड़े बड़े जमींदारों में बहुत दृढ थे, परंतु आनंद की बात इतनी ही थी कि सरकार को ये विचार बहुत कुछ नापसंद थे । तौर्भा पहले की यह स्थिति अब बदल गई है । बड़ी बड़ी इस्टेटों (जमींदारियों) को विशेष उत्तेजना देने से उन जमींदारियों के मालिकों को सांपत्तिक लाभ होता है और राजनैतिक दृष्टि से उनका प्रभाव बढ़कर उनके हाथ में राजकीय अधिकार अधिक रहते हैं, यह बात देश के लिये कुछ विशप लाभदायक ही नहीं बरन् कुछ हानिकारक भी है, यह अब लोग समझने लगे हैं । कृषि पर यदि कदाचित कोई आपत्ति आ पड़े तो छोटे छोटे किसान एकाएक डगमगाते नहीं हैं, क्योंकि उनका व्यापार अधिक न होने के कारण वे स्वतः के परिश्रम से अपना बचाव किसी न किसी तरह कर लेते हैं । परंतु बड़े बड़े किसान या जमींदार परावलंबी होने के कारण, सफट पड़ने पर घबरा जाते हैं और उन्हें अपना बचाव करना कठिन हो जाता है । अतएव छोटी छोटी जमींदारियों की संख्या बढ़ाने की ओर सरकार का ध्यान

गया है। इस समय बड़ी बड़ी जमींदारियों का जो पला भारी है उसी प्रकार दूसरी ओर का पला भी भारी करना बहुत आवश्यक है। ऐसा करना सरकार को न्यायानुकूल जान पड़ता है, तौ भी, पुरानी और मर्यादा से अधिक बढ़ी हुई जमींदारियों को हानि न पहुँचाते हुए छोटी छोटी नई जमींदारियाँ कायम हो जाँय, यह महत्त्व का प्रश्न सरकार के सामने आ उपस्थित हुआ है। वर्तमान समय में मजदूरों को जो कठिनाई आ उपस्थित हुई है, उसे दूर करने के लिये छोटी छोटी जमींदारियों की जितनी संख्या बढ़ाई जा सक उतना ही अच्छा है, इस बात को अब बड़े बड़े जमींदार भी स्वीकार करने लगे हैं। परंतु हमें कोई यह अनुमान न कर ले कि जर्मनी में अब तक छोटी छोटी जमींदारियाँ ही नहीं। थोड़ी सी जमीन पर ही अपना जीवन-निर्वाह करनेवाले बहुत से लोग जर्मनी में पहुँचे ही से पाए जाते हैं। ऐसे किसानों की संख्या पश्चिम और मध्यभाग और इसी प्रकार बेवेरिया और उत्तर प्रमुद्र के समीपस्थ प्रांत में बहुत है। ये किसान अपने खेतों में अनाज न घोर पशुआ के खाने योग्य सब प्रकार का चारा ही बहुतायत से तैयार करते हैं। यह काम वे अपने घर के बाल बच्चों और स्त्रियों की सहायता से करते हैं, मजदूरों को अपने काम पर नहीं लगाते। इस काम से उन्हें अधिक लाभ होता है इस कारण छोटे परिमाण पर खेती करने का काम बहुत बढ़ता जा रहा है, यह बात सरकारी कागज पत्रों को देखने से पाई जाता है।

जिन लोगों ने कृषि का मन लगा कर अध्ययन किया है उन लोगों का मत है कि छोटे प्रमाण पर खेती का जितना विस्तार जर्मनी में बढ़ता जायगा उतना ही कृषि का वहा उत्कर्ष होगा। यह उत्कर्ष किसी दूसरे उपाय से होना बड़ा कठिन है। प्रशिया के जिस विभाग में बड़े बड़े जमींदार हैं उस भाग में आपत्काल के समय किसानों की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। परंतु छोटे छोटे किसान और उनमें भी खास करके वे जो अपनी थोड़ी सी जमीन में जानवरों के काम में आने योग्य चारा पैदा करते हैं—सकट के समय बहुत डगमगाते नहीं हैं, यह बात वहां सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। हाइनलैंड और वेस्टफालिया जैसे पश्चिमी प्रांतों में यह बात अच्छी तरह दिखाई पड़ती है। क्योंकि स्वत की जमींदारी अथवा लगान पर खेत ले कर छोटे प्रमाण पर खेती करनेवाले जितने लोग इन प्रांतों में हैं उतने अन्यत्र नहीं हैं। हाइनलैंड प्रांत के कुछ भाग में तो यह हालत है कि कुल जमीन में से $\frac{1}{3}$ जमीन किसानों से कबूलियत लिखा कर पट्टे पर दी गई है। इन खेतों को जमींदार लोग बड़ी प्रसन्नता से किसानों को देते हैं। बड़े बड़े शहरों के पास की जमीन तो वे लोग बड़ी खुशी से ले लेते हैं, क्योंकि शहरों में काम आनेवाली तरकारियां, फल, फूल आदि और साथ ही जानवरों के लिये चारा तैयार करके वे लोग बहुत अधिक लाभ उठा लेते हैं। वेस्टफालिया प्रांत के आस पास पूर्व की ओर बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं, परंतु उनकी सख्या थोड़ी है। छोटे छोटे जमींदार ही वहा अधिक हैं। जमीन जोतने की चारों ओर सारी प्रचलित

पद्धतिया वहां दिखाई पड़ती हैं और सब प्रकार की फसलें भी वहां बोई जाती हैं । जर्मनी में व्यवसाय वाणिज्य को कितनी भी उन्नति हुई तो भी जमींदारों और किसानों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँची । इससे यह अनुमान करने में कुछ हजे नहीं है, कि बड़े पैमाने पर और साथही छोटे पैमाने पर एकही जगह खेती करने से एक दूसरे को परस्पर कोई हानि नहीं पहुँच सकती, एक से दूसरे का नाश होने की कोई सम्भावना नहीं है ।

पूर्वी प्रशिया के "पोलिश" प्रात में जमीन का "सेटल-मेंट"—बदोबस्त—करने के लिय चौध वर्ष पहले एक "लैंड कमीशन" बैठा था । उस कमीशन की रिपोर्ट में एक जगह लिखा है—“मजदूरों को एकत्रित करने का काम निश्चित रूप से न होने के कारण बड़ी बड़ी इस्टेटों (जमींदारियों) को बहुत कुछ सकट भोगने पड़ हैं । आज कल इतमीनान के साथ छोटी और मध्यम दर्जे की अर्थात् २५ से ५० एकड़ तक के खेतों में खेती करना ही सम्भव है । खेती का काम करनेवाले मजदूरों का टोटा पड़ने से भी खेत के मालिकों को हानि नहीं उठानी पड़ती । उनकी जमीन से पैदा होने योग्य अनाज बहुत कर के जानवरों के खाने के काम में आता है । इस कारण अनाज का भाव कितना ही गिर जाय तो भी उन्हें उससे प्रत्यक्ष कोई विशेष हानि नहीं होती । जानवरों का पालन पोषण करनेवाले लोग गोबर का खाद और दूध, दही घी, आदि तैयार कर के अपनी हानि, यदि कुछ हो तो, पूरी कर लेते हैं । जानवरों की देख रेख का काम वे स्वतः

करते हैं। इसके लिये उन्हें कुछ विशय खर्च भी नहीं करना पड़ता। बड़े जमींदारों का जानवरों से इतना लाभ उठात नहीं बनता। क्योंकि उनके खेतों की दशा मर्यादित न होने के कारण वे अपने खेतों की निगरानी स्वयं नहीं कर सकते। वे अपना काम नौकरों द्वारा कराते हैं, इस कारण उन्हें खर्च भी अधिक पड़ता है। बड़े बड़े जमींदारों ने अपने खेतों में जो सुधार किए हैं वे ही सुधार छोटे जमींदारों ने भी किए हैं। वैसे यंत्रों का व्यवहार करते हैं वैसे ही यंत्रों का छोटे छोटे जमींदार भी व्यवहार करने लगे हैं। जिस प्रकार वे अपने खेतों में खाद डालते हैं उसी प्रकार ये भी डालते हैं। सहकारी समितियों द्वारा छोटे छोटे जमींदारों को थोड़े व्याज पर कर्जा मिलने में भी कोई रुकावट नहीं होती। इसी प्रकार खती की पैदावार व अन्य प्रकार का माल बेचने और खेती क उपयोगी सामान को खरीदने में उन्हें इन समितियों द्वारा बहुत सहायता पहुँचती है। इन सब कारणों से बड़े बड़े जमींदारों की अपेक्षा उन्हें अपनी जमीन के लिये अधिक दाम देना नहीं अखरता।

मर्यादित विस्तार के नए खेतों को निर्माण करने के लिये आज कल जो बड़े खेत हैं, उन्हीं की काट छाट करनी चाहिए। परंतु ऐसा करने में यदि कोई रुकावट है तो लोगों का हठ है। पूर्वी प्रशिया के बड़े बड़े जमींदार अपनी टारिद्र कहानी सदा कहा करते हैं। आवश्यकता से अधिक खेतों का विस्तार होने के कारण, वे अधिक परिश्रम करने में असमर्थ हैं और इसीसे वे हीनावस्था को पहुँच गए हैं परंतु अपनी जमीन क टुकड़े कर के किसानों को दे कर स्वत

लाभ उठाना और दूसरों को लाभ उठाने, देने की यदि चर्चा उनसे की जाय तो उनके प्राण ही निकल जाते हैं और मरत दम तक वे इस बात को स्वीकार नहीं करते। यदि बड़े बड़े खेतों के छोटे छोटे खेत बनाने की युक्ति किसी ने समझाई भी तो यथाशक्ति उस युक्ति का खंडन करने में वे अपनी सारी शक्ति लगा देने को तैयार हो जाते हैं। पहले भाग के अंतिम अध्याय में अमेरिकियन लीग का उल्लेख किया जा चुका है। सन १९०७ में इस लीग ने अपनी यह आकांक्षा प्रगट की थी—“सरकारी आज्ञा के बिना निजके तौर पर कोई अपनी इस्टेट (जमींदारी) के विभाग न करे” और यदि इसी वाक्य को इस प्रकार कहा जाय तो ठीक होगा कि एक के अधिकार की जमीन को दूसरे के अधिकार में देने की आवश्यकता भा पड़े तो बिना स्थानिक अथवा प्रांतिक अदालतों और “मिनिस्टर आफ एग्जीक्यूटिव” की निगरानी में “स्टेट वार्ड आफ कल्टिवेशन” की मजूरी बिना, यह काम न हो सके। सरकार को हानि पहुँचे यह हमारी इच्छा नहीं, परंतु खती के लोभ क लिये यदि सरकार लाखों रुपया खर्च करने को तैयार होगी तो उसके हाथ से राष्ट्र का बहुत बड़ा कार्य संपादन हो सकेगा।

- वशपरपरा अथवा दान विक्रय के रूप की इस्टेटों को वहाँ “एन्टेल” (Entail) कहते हैं। एन्टेल के कठिन कानून द्वारा बड़ी इस्टेटों के मालिकों का संरक्षण पहले होता था। परंतु अब इस कानून का लाभ और भी बहुत से जमींदारों को मिलने लगा है। परंतु इतने-से ही लीग के कथना-नुसार विशेष व्यवस्था करने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं

पड़ता। प्रशिया में एनटेल नाम की रियासतें बहुत हैं। पच्चीस हजार एकड़ से ले कर दस लाख एकड़ तक जमीन रखनेवाले प्रचंड जमींदार उस प्रांत में पाए जाते हैं और उन सबों को इस कानून से लाभ पहुँचता है। बहुत से लोगों का यह मत है कि छोटी छोटी जमींदारियों के लिये भी यह कानून काम में लाया जाना चाहिए क्योंकि जिससे एक को लाभ होता है उसीसे दूसरे को लाभ प्राप्त होने लगेगा। व्हेरिया में एक बार इस कानून का प्रयोग किया गया था परंतु उससे वहाँ कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। -

सन् १८९० व १८९१ में कुछ कानून प्राशिया में पास किए गए और उनके आधार पर छोटे छोटे नए खेतों को बनाया जा कर किसानों को देने का कार्य आरंभ किया गया। इन कानूनों के अनुसार बड़ी बड़ी जमींदारियां सरकार पहले तो खरीद लेती हैं पश्चात् छोटे छोटे खेतों को बना कर उन्हें पुनः किसानों को दे देती हैं। इन खेतों के बदले में किसानों को रुपया देना पड़ता है। इस लगान का कुछ भाग घतौर मालगुजारी के देना पड़ता है जो कभी माफ नहीं होती और कुछ भाग जमीन की कीमत के बदले में लिया जाता है। जमीन की कीमत किश्तों द्वारा साठे छप्पन वर्ष में वसूल की जाती है। इस व्यवस्था से किसान लोग सदा सरकार की दृष्टि के सामने रहते हैं, और जमीन से उनका बहुत दिनों तक सबंध बना रहता है। सरकार से जो जमीन ली जाती है, उसे न तो उसका मालिक बँच सकता है और न रेहन रख सकता है। यह सब देखने का काम सरकार

ने "जनरल कमीशन" और "रेट बैंक्स" के स्वाधीन कर दिया है। खेतों के पास यदि मकान बनाना हो तो किसानों को बैंक से रुपया कर्ज दिला दिया जाता है और इस प्रकार सरकार और किसानों के बीच साहूकारी का सबध हो जाता है। इस सबध से किसान लोग बहुत सुखी रहते हैं। निजी साहूकार के पास जमीन रेहन रखने से उतनी सहुलियतें रेहन रखनेवाले को नहीं मिलतीं जिनती सरकार से मिलती हैं।

सन् १९०५ के अत तक प्रशियन राज्य में ११ प्रातिक सरकारों ने कुल १,३१५ जर्मीदारिया खरीदीं। इन जर्मीदारियों में कुल ६,७२,६८२ एकड़ जमीन थी। सवा छ एकड़ से लेकर साठे बासठ एकड़ तक के टुकड़े करके भिन्न भिन्न किसानों को बांट दिए गए। इन खेतों को खरीद करने वाले किसान उन्हें न बेच सकें, इस बात का उचित प्रबध सरकार ने कर दिया है। इस कारण जमीन रेहन रख कर मन माना कर्ज लेने का मार्ग सरकार ने रोक दिया है। इस नियम के कारण मालिकों के मरने के पश्चात् यदि उनकी विधवा अथवा नाते रिश्ते के लोग जमीन का कुछ भाग बेचना चाहे अथवा और किसी प्रकार से किसी को देना चाहें तो उन्हें इस काम के लिये जनरल कमीशन की आह्वा लेनी पड़ती है।

कृषि के अभिमानी लोगों को सरकार ने बहुत सहायता पहुँचाई परंतु इस पद्धति से मजदूरों को खेत ले देने की ओर जितना ध्यान सरकार का जाना चाहिए था नहीं गया। प्रशियन सरकार ने इस ओर अवश्य ध्यान दिया है और वर्तमान कृषि विभाग के मंत्री भी इसके अनुकूल हैं। जनवरी

सन् १९०७ में कृषि विभाग के मंत्री ने एक आज्ञा प्रकाशित की थी, जिसमें लिखा था कि "जिन शर्तों पर किसानों को जमीन दी जा रही है उन्हीं शर्तों पर खेती का काम करनेवाले अथवा कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों को भी जमीन दिए जाने की व्यवस्था की गई है।" इस आज्ञानुसार बहुत से मजदूरों को सरकार ने अपने धन से जमीन-खरीद दी है। जमीन की कीमत का बोझा जमीन पर डाल कर सरकार ने चारह से पंद्रह वर्ष में उसे वसूल कर लेने का निश्चय कर लिया है। पश्चात् मालगुजारी के तौर पर सरकार हर साल कथया वसूल करती रहती है। मालगुजारी का रूपत्रा वक्त पर भदा करने के लिये सरकार मजदूरों से जमानत भी लेती है। इस प्रकार मजदूर लोग जमीन के बंधन में फँस कर फिर इधर उधर भाग जाने का साहस नहीं करते। यह जमीन इनको बहुत थोड़ी दी जाती है। सब से छोटा खेत का टुकड़ा एक तिहाई एकड़ तक का होता है। इतना छोटा खेत रखने का कारण यह है कि वे अपने खेत में ही मेहनत करके अपने बाल बच्चों के पालन पोषण योग्य अनाज पैदा कर लें और उन्हें दूसरे किसानों के पास मजदूरी के लिये न जाना पड़े। परंतु जिस कठिनाई को दूर करने के लिये यह योजना की गई है वह कठिनाई ज्यों की त्यों बनी ही रहेगी। क्योंकि कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों को जमीन देने पर जो मुख्य बात देखने की है वह यह है कि कारखानों में उन्हें साल भर बराबर काम मिलता रहेगा अथवा नहीं। यदि ऐसा हुआ तो वे एक जगह काम में लगे रह कर हल फावड़े में स्वतः अपने को अथवा अपने

बाल बच्चों को लगाकर खेती का काम करते रहेंगे अथवा नहीं।

ऊपर जिस व्यवस्था का उल्लेख किया गया है उसे आरम्भ में सरकार को ही करना पडा। अब सरकार ने उसमें से अपना हाथ निकाल लेना आरम्भ कर दिया है। लेड बैंक, कोआपरेटिव, सोसाइटी और यूनियनों के सपुर्द अब यह काम किया गया है और कानून के अनुसार, इस काम सबधी सार अधिकार सरकार ने इन सस्थाओं के सपुर्द कर दिए हैं। किधी कठिनाई के उपस्थित होने पर सरकार धन द्वारा भा इन सस्थाओं को इस कार्य के लिये सहायता पहुंचाती है।

सरकार से प्राप्त हुई जमीन पर घर बार बनान की भी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। इस काम में केवल शर्त इतनी ही है कि ८५ से ९० फी सदी जमीन खेती के काम के लिये खाली रखनी चाहिए। बाकी जमीन पर एकमजिला चाहे दुमजिला रहने के लिय घर अथवा खेती के काम में आने योग्य इमारत बना लेने में कुछ हर्ज नहीं है।

इस योजना के विरुद्ध खेतों का काम करनेवाले मजदूरों को यह उज्र है कि इतना छोटा खेत देने से बहुत हुआ तो हमें तरकारी भाजी अथवा भेंड का दूध खाने को मिलेगा अतएव खेती में परिश्रम करने से हमें लाभ क्या ? सरकार ने एक तिहाई एकड़ के छोट छोटे टुकड़े देकर हमारे ऊपर जो उपकार किया है, केवल उसी पर हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। हमें तो मजदूरान उदर निर्वाहार्थ दूसरों के खेत पर मजदूरी करने के लिये जाना ही पड़ेगा। इसके सिवा हमारे पास पेट भरने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है।

चौदहवाँ अध्याय

कृषिकार्य और मजदूरी

सन् १९०० ईस्वी की मनुष्यगणना
साम्राज्य में कुल ५,६३,६७,१
से ८,२३,५९७ लोग विदेशी थे, अर्थात्
लोग काम करते थे, परंतु सन् १८९९
अनुसार ४,९४,२८,००० मनुष्य थे
विदेशी थे, अर्थात् ०.८७ फी सदी विदेशी
थे। कृषिप्रधान प्रांतों में गर्मियों के दिनों
करने के लिये तीन लाख मजदूर विदेशी
लोग एक जगह न रह कर काम की खोज
करते हैं। अकेले प्रशिया में सन् १९
५,२४,८७४ विदेशी मनुष्य आकर रहे
संख्या ३,६७,६७,२०२ है अतएव प्रति
संख्या १४ पाई जाती है। इन लोग
लाख मनुष्य आस्ट्रिया, हंगरी और रूस
थे, जिनमें ८० फी सदी पुरुष थे। प्रांत
२०, ५, ८१८ मनुष्य विदेशी थे और
संख्या १, ५६, ९७० थी। इस से
है कि सन् १८८५ से १९०५ तक बीस
मनुष्यों में ५५ से लेकर १४१ तक प्रांत
की आबादी बढ़ी।

कल कुछ वर्षों से देशी तथा और प्रकार के मजदूरों का प्रायः अकाल सा पड़ गया है। इस कारण कुल देश में और खास कर प्रशिया में खेती के काम में कितनी कठिनाइयाँ आकर उपस्थित हो गई हैं यह बात ऊपर जो अंक दिए हैं, उन पर विचार करने से स्पष्ट मालूम हो जाती है। मजदूरों की कमी का प्रश्न, वर्तमान समय में, जिस किसी के मुँह से सुनाई पड़ता है। प्रशियन पार्लियामेंट में भी इस विषय पर बात चीत प्रायः होती ही रहती है। आज कल दस पंद्रह वर्ष से कृषिप्रधान प्रांतों से मजदूरों के बाहर जाने का जो विलक्षण स्रोत बह रहा है, इसका कारण क्या है यदि इसकी विवेचना की जाय तो प्रशिया की कृषि की अतः स्थिति का स्वरूप सामने आ जायगा। थोड़ा सा विचार करने पर यथार्थ दशा का पता चल जायगा और उसे जान कर कृषि कार्य में सुधार चाहनेवालों के मन में निराशा का भाव उत्पन्न होगा।

पुरातन काल से आज तक जिन लोगों के भरोसे खेती का काम होता आया है, वे लोग अपना देश छोड़ कर बराबर अन्यत्र जा रहे हैं। पोलिश प्रांत और प्रशिया के पीछे, उत्तर की ओर के निवासी, दूसरे शहरों में जाकर अपने लिये जीविका ढूँढते हैं। इस कारण बड़े बड़े जमींदारों और छोट छोटे जमींदारों, दोनों को, बराबर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पोलिश प्रांत से बर्लिन हाइन प्रांत और वेस्टफालिया से हजारों लोग बाहर चले गए हमका पता सरकारी कागज पत्रों से पाया जाता है। जो

लोग विदेश जाते हैं उनमें बहुत से लोग खेती का ही व्यवसाय करनेवाले होते हैं। वे लोग खेती की ओर आँख उठाकर भी देखना नहीं चाहते। उनकी रुचि अब उद्योग धर्मों की ओर है। कुछ थोड़े लोग निज के तौर पर नौकरी भी कर लेते हैं परंतु अधिक मख्या उन्हीं लोगों की है जो व्यवसाय वाणिज्य संबंधी कामों में ही अपने हाँ लगा कर अपने लिये जीविका पैदा करते हैं।

आरंभिक शिक्षा की पाठशालाओं के शिक्षकों की सहायता से पूर्वी प्रशिया के सबंध में सरकार ने जो कार्रवाई की है उस से स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा है कि करीब करीब २४०० कुटुम्ब सन १९०५-०६ में इस प्रांत को छोड़ कर बाहर चले गए। इनमें से कुछ तो जर्मन देश छोड़ कर अन्य देशों में चले गए और बाकी सब जर्मनी के पश्चिमी भाग में जा कर रहने लगे। विदेश जाने की यह उत्कठा जैसी युवा पुरुषों में दिखाई पड़ती है वैसी ही बालिकाओं में भी देखी जाती है। ये कन्याएँ कारखानों में मजदूरी का काम करती हैं या किसी के यहाँ जाकर नौकरी करती हैं। बहुत सी तो सीने पिरोने, अथवा झाड़ू बुहारी लगाने या कपड़ा धोने का काम करती हैं। और कोई कोई तो दूकानों पर सौदा बेचने की नौकरी भी स्वीकार कर लेती हैं। इन प्रांतों से समुद्र पार विदेश जानेवाले लोगों की मख्या भी कुछ कम नहीं है। औद्योगिक प्रांतों में जाने की अपेक्षा यह मख्या बहुत अधिक है।

गाँवों और किसानों की आवादी दिनों दिन क्यों कम

होती जाती है, इस विषय में भिन्न भिन्न विचार के लोग भिन्न भिन्न कारण उपस्थित करते हैं। जमींदार और उनके कुछ अनुयायी लोग यह कहते हैं कि आजकल मजदूर लोग बहुत अधिक हो गए हैं और इस कारण इनका दिमाग धिलकुल बिगड़ गया है। इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करनेवाले लोग, यह कहते हैं कि जिस प्रकार जमींदारों को कुछ कठिनाइया आती हैं उसी प्रकार मजदूरों को भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे खेती का काम छोड़ कर जहां चाहें चले जाते हैं। सालीशिया में जमींदारों की एक कांग्रेस हुई थी, उस कांग्रेस में एक जमींदार ने कहा था—'आजकल बालकों को खूब शिक्षा मिलन लगी है और उसका परिणाम यह हो रहा है कि हमें मजदूर नहीं मिलते।' जमींदारों के इस प्रकार के उद्गार वर्तमान स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान करा देते हैं। संभव है, बहुत से लोगों के ध्यान में यह बात आती हो परंतु यथार्थ दशा यह नहीं है और न हम यह कहते हैं कि उनका इस कथन में भी कुछ सचाई नहीं है। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि मजदूरों का चाहे जितना दूषण दिया जाय तो भी खेती का काम करनेवालों को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह क्यों उपस्थित हुई है, इस प्रश्न का निर्णय नहीं होता।

इस संवध में सत्र से अधिक महत्व की बात खेती के काम में नए यंत्रों का उपयोग है। पहले साल भर तक बराबर जो मजदूर खेतों पर काम करते रहते थे, उनको साल भर तक बराबर काम नहीं मिलता है, आवश्यकता पडने पर मजदूरों

को काम के लिये हताश होना पड़ता है और इस कारण बहुत से मजदूर खेती का काम छोड़ कर उद्योग धर्मों में जा लगे हैं और जो थोड़े बहुत रह गए हैं, उन्हीं पर खेती का काम निर्भर है। परन्तु इससे न तो मजदूरों का काम चलता है और न जमींदार ही लाभ उठाते हैं। वे अपना जीवन निर्वाह करने के लिये कभी इस खेत पर कभी उस खेत पर मारे मार फिरने लगते हैं, स्थिर भाजीविका के अभाव से वे भी धीरे धीरे शहरों की ओर जीविका के लिये दौड़े चले जाते हैं। खेती के काम में यांत्रिक-शक्ति का अधिक उपयोग होने से, मजदूर लोग गावों में न रह कर कल कारखानों में जा कर काम करने लगते हैं। जमीन का विस्तार अधिक होने के कारण यंत्रों की सहायता से खेती का काम करना अधिक लाभदायक है, परन्तु मजदूरों के विदेश चले जाने के कारण ठीक समय पर यदि किसी को हानि पहुँचती है तो बड़े बड़े जमींदारों को।

पूर्वी प्रशिया के जमींदारों की स्थिति का वर्णन हर एवटे नाम के एक सज्जन ने इस प्रकार किया है—
 “पश्चिमी भाग की आबोहवा की वनिस्वत पूर्वी भाग की आबोहवा खेती के काम के लिये कम अनुकूल होने के कारण बड़ा खेती का काम जल्द खतम हो जाता है। पश्चिमी भाग में यह काम बराबर साल भर होता रहता है तौ भी कुछ कठिनाई नहीं पड़ती। गर्मियों में थोड़े समय में ही खेती की फसल तैयार हो जाती है। इस कारण जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों के दिनों में जमींदारों को मजदूर, घोड़े और अन्य जानवरों

की अधिक जरूरत पड़ती है। बोझा ढोनेवाले घोड़ों की यद्यपि उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती तौभी फसल मींजने, गाहने के काम में, यथाशक्ति क्फिफायत के साथ साल भर बराबर वे उसे काम में ले आते हैं, परंतु मजदूरों के विषय में क्या क्फिफायत की जा सकती है ? कृषि हो अथवा कल कारखाना, यदि काम हो तो क्फिफायत के साथ किया जा सकता है परंतु बिना काम के साल भर तक मजदूरों को अपने पास रखना कैसे क्फिफायत कहला सकता है ? अनाज निकालने—मींजने और गाहने—के लिये जब तक भाप के यंत्र निर्माण नहीं हुए थे तब तक जाड़ों भर खलिहानों में और घरों में, काम आने योग्य, कपड़े बुनने के लिये मजदूरों को काफी काम मिल जाता था। परंतु जब से यंत्रों की सहायता से यह काम होने लगा तब से हाथ द्वारा काम करनेवालों की बहुत दुर्दशा हो गई। अपने पास के मजदूरों को भरपूर काम देने के लिये तर्मादार लोग मींजने गाहने की कलों का उपयोग न करें, यह बात कैसे संभव हो सकती है ? जाड़े के दिनों में जितने मजदूर चाहिएँ उतने वर्षारंभ होने पर रख लिए जायँ और जब काम थामडे तब उनसे काम लिया जाय, भला इस प्रकार काम लेने से कहीं क्फिफायत के साथ काम हो सकता है ! इसपर से यह कहा जा सकता है कि शहरों में रहकर आनदपूर्वक जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से नहीं, केवल खेतों की दशा बदल जाने के कारण—उचित समय तक काम न मिलने से—पूर्वी भाग के लोग अपना घर वार छोड़ कर अन्य स्थानों में जाकर बस गए

है। फलों का अधिक उपयोग होने से खेतों की खड़ी फसल को काटने के काम में पहले की बनिस्वत अब जमीन आसमान का अंतर पड़ गया है। जाड़े के दिनों की खराब आवोहवा में जंगलों में काम करने, रास्तों को ठीक करने, अथवा जमीन संवर्धा सुधार के अन्य कामों को मजदूर लोग हाथों से कर नहीं पाते। अतएव ऐसी स्थिति में स्थायी रूप से मजदूरों को भविष्यत् के काम के लिये नौकर रखना, कितना कठिन काम है। और इसी कारण वे लोग स्थायी मजदूरों को रखने के काम में हाथ नहीं डालते। ऐसी दशा प्राप्त हो जाने के कारण, यदि मजदूर लोग खेती के काम से विरक्त हो शहरों में जाकर अपने लिये जीविका तलाश करें तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। काम पड़ने पर फसल के दिनों में मजदूरों से काम लेने की परंपरागत चाल टूटने से समाज की व्यवस्था बिगडती है, यह बात किसान लोग जानते हैं, परंतु खर्च के काम में किसानों का व्यवहार करने से स्थायी मजदूरों को अलग करना क्या कुछ अनुचित कहा जा सकता है ?”

परंतु इतने से ही इस विषय का पूरा पूरा विचार हो गया, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार खेती करने की नवीन पद्धति निकल आने से, पहले के समान बड़ी बड़ी जमींदारियों में मजदूरों को यथार्थ काम नहीं मिलता, उसी प्रकार समय पड़ने पर काम करनेवाले मजदूरों को जमीन का भाश्रय रखकर रहने में आसानी नहीं मालूम होती, इसका उपरोक्त विवेचन से पूरा पूरा पता चल जाता है। परंतु साल भर बराबर

बारह महीनों तक मजदूरों की कमी क्यों पड़ती है इस बात का
 अद्यतक निर्णय नहीं हुआ। समय पड़ने पर मजदूरों की कमी
 पूरी करने के लिये रूस, आस्ट्रिया और गलेशिया से मजदूरों
 को लाकर यह कमी पूरी की जा सकती है अतएव इस प्रश्न
 का यह भाग इतने महत्व का नहीं है। हमने जो बात ऊपर
 प्रकट की है अथवा उपरोक्त अवतरण में जिस प्रश्न का
 समावेश नहीं हुआ उसी प्रश्न का विचार करना बड़े महत्व
 का है। और उस अवतरण में जो स्थिति बताई गई है उस
 स्थिति के प्राप्त होने का कारण जानने की मीमासा करना ही
 यहा पर जरूरी है। यदि इन कारणों को एक शब्द में कहा
 जाय तो यह कहा जा सकता है कि उत्तरी और पूर्वी भाग के
 समाज ने मजदूरों को अब जहा ले जाकर ढाल दिया है वहा
 उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होना असभव है। थोड़ा वेतन,
 टूटे फूटे रहने के झोपड़े, समाज का उनपर बहिष्कार, मालिकों
 का कड़ा शासन, शहरों के मजदूरों को मिले हुए नागरिकों
 के अधिकार का उनके लिये अभाव, इत्यादि बातों का
 परिचय होने से वे यह समझने लगे हैं कि मनुष्य और नाग
 रिक इन दोनों बातों में हम बहुत नीच दशा को प्राप्त हो गए
 हैं। अतएव हजारों लोग अपना घर बार छोड़ कर पूर्व से पश्चिम
 की ओर उद्योग धर्मों में आगे बढे हुए शहरों का आश्रय ग्रहण
 करते हैं। वेस्टफालिया की कोयले की खानों में जाकर
 काम करने के लिये हजारों पोलिश लोग अपनी जन्मभूमि को
 सदा के लिये त्याग कर चले जा रहे हैं। डार्डमैट की खानों
 में पोलिश और पूर्वी प्रशिया के लोग बहुतायत के साथ जाते

हैं। हाइनलैंड की भी यही स्थिति है। " मजदूरों की कठिनाइयों का बीज मजदूरों में ही है " यह वाक्य वहां के लोगों के मुख से जहा तथा सुनाई पड़ता है और इस वाक्य में बहुत कुछ सत्यता है। एल्ब नदी के पूर्वी ओर की बड़ी बड़ी जर्मादारियों में, मजदूरी का काम करते करते मजदूरों की वर्तमान दशा शोचनीय होगई है और उन्हें अपना जीवन भारवत् मालूम होने लगा है। मजदूर शब्द उच्चारण करते ही प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, स्वतन्त्र के सुधार होने की आशा, सब नष्ट हो जाती है। यह तीन दशा वहा के खेती करनेवाले लोगों की हो गई है और उन लोगों की स्थिति को जर्मन समाज आखें उठा कर भी नहीं देखता।

कृषि प्रदेशों के निवासी मजदूर लोगों के घर बहुत ही बुरे होते हैं। इस विषय में अधिक प्रमाण तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रसिद्ध जर्मादार ने सरकार को इस बात की सूचना दी थी कि "खेती का काम करनेवाले मजदूरों को अपना घर छोड़ कर शहरों में जाने से उन्हें शहरों में अच्छा घर रहने को मिलेगा, यदि वे यह विश्वास न करा सकें तो उन्हें अपना घरबार छोड़कर जाने की रोक होनी चाहिए।" उस जर्मादार की यह सूचना उचित है अथवा अनुचित, इस पर विचार न करने पर भी यह बात तो मान लेना ही पड़ती है कि गाँवों के घरों की अपेक्षा शहरों के मकान अच्छे होते हैं। परन्तु यथार्थ बात यह भी नहीं है। बड़े बड़े शहरों में आरोग्यता के विचार से मजदूरों के रहने के मकान बहुत कुछ सुसुझाई होते हैं परन्तु उन्हें उन मकानों

में किराया भी अधिक देना पड़ता है। प्रशिया में सार्वजनिक स्वास्थ्यरक्षा विभाग की ओर से जो सरकारी सूचना प्रकाशित होती है उससे जाना जाता है कि आवश्यकतानुसार मजदूरों के रहने की जगह काफी नहीं होती। दीवालें टूटी फूटी, कोठरियों में अँधेरा, पानी का उचित प्रवध नहीं, पाखाने और मोरियों के पानी का ठीक ठीक निकास नहीं, रहने के पास ही मकानों में जानवरों का बाँधा जाना, इत्यादि कष्ट उन्हें भोगन पड़ते हैं। मजदूरों को अपनी मजदूरी के ही हिसाब से सुखदाई अथवा दुःखदाई मकान किराये पर लेना पड़ता है। हा, यह बात जरूर है कि अब कुछ दिनों से मजदूरी की दर कुछ बढ़ गई है परंतु साथ ही रहन सहन का खर्च भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अतएव जो मजदूरी उन्हें अब मिलने लगी है, वह उनके पेट पालनार्थ ही पूरी नहीं होती है। अन्य बातों के सुधारने के लिये फिर भला वे कहाँ से धन ला कर लावें ?

गाँवों को छोड़ कर जो मजदूर शहरों में जाते हैं, वे केवल दरिद्रता के वश जाते हैं, इस विषय में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। जिस प्रांत में आमदनी के दर की आय अधिक है, वह प्रांत धनवान है और जिस प्रांत में आमदनी के दर की आय कम है वही प्रांत निर्धन है, यह तत्व स्वीकार कर लेने में भी किसी प्रकार का हर्ज नहीं है। यदि इस तत्व को आगे रख कर प्रस्तुत विषय पर विचार किया जाय, तो यह बात ध्यान में आ जायगी कि जिस प्रांत में आमदनी पर कर का भार अधिक है उस प्रांत में दूसरे प्रांतों के लोगों को

आकर्षित कर लेने की शक्ति अधिक है। और जिस प्रांत में यह आमदनी कम है उस प्रांत को अपने प्रातवासियों को अपने पास रखने की शक्ति भी कम है। यह सिद्धांत सरकारी कागज पत्रों से भी सच्चा प्रतीत होता है।

प्रशिया का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा आमदनी के हिसाब से बहुत आगे होने से वहां जितनी अच्छी मजदूरी मिलती है उतनी पूर्वी अथवा उत्तरी भाग में कहीं भी नहीं मिल सकती। उत्तरी भाग का उपरोक्त वाक्य में समावेश करने का कारण यह है कि इस विषय में दोनों प्रांतों की स्थिति समान है, केवल वहाँ के मजदूरों की जाति मात्र भिन्न है। पूर्वी भाग के मजदूर पोलिस लोग हैं और उत्तरी भाग के लोग "जर्मन" वंश के हैं। ये लोग बहुत सहनशील, बुद्धिमान और सकंठ के समय धैर्य धारण करके रहनेवाले हैं।

कृषि का काम करनेवाले मजदूरों को मजदूरी अथवा मजदूरी के बजाय माल देने का रिवाज प्रशिया में था। परंतु अब यह चाल प्रायः बंद हो गई है। यह माल अमुक प्रकार का होना चाहिए, यह कुछ नियम न था। अनाज, आलू, अन्य प्रकार की तरकारियाँ, दूध, जानवरों के लिए चारा, इत्यादि में से जिसको जैसा सुभीता होता था, वैसा देता था। इन सब बातों को ध्यान में रख कर यदि अनुमान लगाया जाय तो साल में पचीस से लेकर चालीस पाँड नकद अथवा माल मिलता था, परंतु अब तो उन्हें केवल नकद मजदूरी ही मिलने लगी है। उद्योग धर्मों में लगे हुए मजदूरों का सुधरा हुआ जीवनक्रम होने से जो लाभ उन्हें उद्योग

धर्मों में होता है यदि उसी प्रकार का लाभ कायदे कानून के अनुसार खेती के मजदूरों को प्राप्त होता, फिर चाहे उन्हें मजदूरी कुछ काम ही मिलती, तो भी वे घर के घर ही में रह कर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते। परंतु जर्मनी के कानून कायदे उन्हें और कमजोर किए देते हैं। अपनी सापेक्ष स्थिति सुधारने के लिये सघन शक्ति का अवलंबन कर के यदि वे अपनी स्थिति सुधारना चाहें तो कानून कायदे की कठिनाई के कारण वे यह कार्य कर नहीं सकते। प्रशिया में इसके लिये कानून का क्या स्वरूप है, यह जान लेने पर सारी जर्मनी में प्रचलित कानून की कल्पना सहज में ही हो जायगी। इसी लिये, यहाँ पर उस प्रात का, उस विषय का, थोड़ा सा विवरण देना बहुत आवश्यक है।

अठारहवीं शताब्दी के अंत तक प्रशिया में मालिक लोग अपने निजी नौकरों को गुलाम के समान समझते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में किंग फ्रेडरिक विलियम तीसरे ने सब प्रकार की गुलामी बंद करने के लिये एक फर्मान—शाही आज्ञापत्र—जारी किया। परंतु इस आज्ञापत्र से भी प्रजा को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होकर गुलामी का अंत नहीं हुआ। इस फर्मान को देख कर बड़े बड़े जमींदारों के देवता कूच कर गए। अपने पास के लोगों को स्वतंत्र हुआ देख, उन्हें भय उत्पन्न हुआ और उन्होंने यह समझा कि अब ये लोग हमारा मनमाना काम नहीं करेंगे और हमारा इन पर उतना दबाव न रह सकेगा जितना अब तक है। अतएव उन्होंने बादशाह से विनय की कि “आपने देश से सब प्रकार की गुलामी की

आकर्षित कर लेने की शक्ति अधिक है। और जिस प्रांत में यह आमदनी कम है उस प्रांत को अपने प्रातवासियों को अपने पास रखने की शक्ति भी कम है। यह सिद्धांत सरकारी कागज पत्रों से भी सदा प्रतीत होता है।

प्रशिया का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा आमदनी के हिसाब से बहुत आगे होने से वहां जितनी अच्छी मजदूरी मिलती है उतनी पूर्वी अथवा उत्तरी भाग में कहीं भी नहीं मिल सकती। उत्तरी भाग का उपरोक्त वाक्य में समावेश करने का कारण यह है कि इस विषय में दोनों प्रांतों की स्थिति समान है, केवल वहाँ के मजदूरों की जाति मात्र भिन्न है। पूर्वी भाग के मजदूर पोलिश लोग हैं और उत्तरी भाग के लोग "जर्मन" वंश के हैं। ये लोग बहुत सहनशील, बुद्धिमान और सक्रम के समय धैर्य धारण करके रहनेवाले हैं।

कृषि का काम करनेवाले मजदूरों को मजदूरी अथवा मजदूरी के बजाय माल देने का रिवाज प्रशिया में था। परंतु अब यह चाल प्रायः बद सी हो गई है। यह माल अमुक प्रकार का होना चाहिए, यह कुछ नियम न था। अनाज, आलू, अन्य प्रकार की तरकारियाँ, दूध, जानवरों के लिए चारा, इत्यादि में से जिसको जैसा सुभीता होता था, वैसा देता था। इन सब बातों को ध्यान में रख कर यदि अनुमान लगाया जाय तो साल में पचीस से लेकर चालीस पाँड नकद अथवा माल मिलता था, परंतु अब तो उन्हें केवल नकद मजदूरी ही मिलने लगी है। उद्योग धर्मों में लगे हुए मजदूरों का सुधरा हुआ जीवनक्रम होने से जो लाभ उन्हें उद्योग

घघों में होता है यदि उसी प्रकार का लाभ कायदे कानून के अनुसार रेलती के मजदूरों को प्राप्त होता, फिर चाहे उन्हें मजदूरी कुछ काम ही मिलती, तो भी वे घर के घर ही में रह कर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते। परतु जर्मनी के कानून कायदे उन्हें और कमजोर किए देते हैं। अपनी सापत्तिक स्थिति सुधारने के लिये सघशक्ति का अवलम्बन कर के यदि वे अपनी स्थिति सुधारना चाहें तो कानून कायदे की कठिनाई के कारण वे यह कार्य कर नहीं सकते। प्रशिया में इसके लिये कानून का क्या स्वरूप है, यह जान लेने पर सारी जर्मनी में प्रचलित कानून की कल्पना सहज में ही हो जायगी। इसी लिये, यहाँ पर उस प्रात का, उस विषय का, थोड़ा सा विवरण देना बहुत आवश्यक है।

अठारहवीं शताब्दी के अत तक प्रशिया में मालिक लोग अपने निजी नौकरों को गुलाम के समान समझते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के आरभ में किंग फ्रेडरिक विलियम तीसरे ने सब प्रकार की गुलामी बंद करने के लिये एक फर्मान—शाही आज्ञापत्र—जारी किया। परतु इस आज्ञापत्र से भी प्रजा को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होकर गुलामी का अत नहीं हुआ। इस फर्मान को देख कर बड़े बड़े जर्मादारों के देवता कूच कर गए। अपने पास के लोगों को स्वतंत्र हुआ देख, उन्हें भय उत्पन्न हुआ और उन्होंने यह समझा कि अब ये लोग हमारा मनमाना काम नहीं करेंगे और हमारा इन पर उतना दबाव न रह सकेगा जितना अब तक है। अतएव उन्होंने षादशाह से विनय की कि “ आपने देश से सब प्रकार की गुलामी की

प्रथा उठा दी इसके लिये हमें कोई आपत्ति नहीं है परंतु अपने नौकर चाकरो पर जो अधिकार हमें था उसे व्यों का त्यों बना रहने दिया जाय।” उनकी इस विनय को बादशाह ने स्वीकार कर लिया और यह आज्ञा दी कि “ गुलामी की प्रथा हमने बंद की तो भी मालिक लोगों का अपने नौकर चाकरो पर अब तक जो अधिकार चला आता है अथवा अब तक जैसा उनका सबध बना हुआ है वह वैसा ही बना रहेगा।” इस दूसरे आज्ञापत्र मे कुछ ऐसे शब्द थे कि उसी आधार पर निजी नौकरों के समान ही खेती का काम करनेवाले मजदूरों पर भी उनके मालिक अनियंत्रित सत्ता चलाने लगे। इस दूसरे आज्ञापत्र का प्रचार सन् १८१० से अबतक पूर्वी प्रांतों और उत्तरी व पश्चिमी भागों के कुछ प्रांतों में पाया जाता है। इस आज्ञापत्र का नाम “सन् १८१० का प्रशियन सर्वेंट-आरडिनेंस” है। इस आरडिनेंस का उपयोग निजी नौकरों और स्थायी रूप से इकरारनामा लिख कर काम करनेवालों अथवा किसी प्रकार से उनके घर या जमीन का आश्रय लेकर रहनेवाले मजदूरों पर किया जा सकता है, और इस प्रकार के लोग अपने मालिकों की सब प्रकार की आज्ञा मानने के लिये बाध्य हैं। ऐसी स्थिति होने से उन लोगों को अपना जीवन गुलामी में व्यतीत करना पड़ता है। “ गुलामी ” शब्द का प्रयोग केवल उठाया गया है परंतु व्यवहार में वह वैसी ही बनी है— मालिकों के साथ जो इकरारनामा लिखा जाता है यदि उस इकरारनामा को रद्द करने के लिये किसी के मन में आई तो कानून ऐसा जटिल

है कि यह कार्य होना एक प्रकार से असंभव ही समझना चाहिए। कारखाने के मजदूर लोग ट्रेड एसोसिएशन के समान सस्थाएँ कायम करके अपने मालिकों के विरुद्ध हड़ताल बगैरह कर सकते हैं, उन्हें इसके लिये कायदे से कोई रोक टोक नहीं है। परंतु खेती का काम करनेवाले मजदूरों की दशा इससे विलकुल भिन्न है। सन् १८५४ में एक कानून बनाकर यह बात तय कर दी गई है कि यदि कभी खेती का काम करनेवाले मजदूर लोग हड़ताल करें, तो वे दोषी समझे जाकर उन्हें दंड दिया जाय। कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों और गुलामों में कोई भेद नहीं है। केवल "गुलाम" शब्द का उच्चारण करना मना है।

● प्रशिया के समान ही जर्मनी के अन्य प्रांतों में भी "सरवेंट्स आरडिनेंस" काम में लाया जाता है। अतएव निजी नौकरों और खेती का काम करनेवाले मजदूरों को समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि इस विषय में कहीं कुछ सुधार हुआ है तो सेक्सन प्रांत में। "प्रशियन सर्वेंट्स आरडिनेंस" को और भी दृढ़ बनाने के लिये सन् १८५४ के कानून का कितना सहारा मिल गया है, इस बात का इस कानून की एक धारा से जो नीचे दी जाती है पता लग सकता है—“जो कोई नौकर अपने मालिक की आज्ञा हठपूर्वक पालन नहीं करेगा अथवा किसी कानूनी कारण के बताए बिना नौकरी छोड़ दगा तो मालिक की ओर से निवेदन किए जाने पर अपराधी को पंद्रह शिलिंग जुर्माना अथवा तीन दिन तक की कैद की सजा दी जायगी।”

यह नियम केवल खती का काम करनेवाले मजदूरों और निजी नौकरों के लिये उपयोग में लाया जाता है।

जर्मनी में अपराधियों को दंड देने का कानून जिस उद्देश्य को आगे रख कर बनाया गया है उस उद्देश्य से बिल्कुल विरुद्ध यह ऊपर दी हुई धारा है। शर्तवदी के अनुसार यदि कोई काम करने से इनकार करे तो और किसी नागरिक को दंड नहीं दिया जाता केवल हानि को पूरा कर देने की जिम्मेदारी कानून के अनुसार होती है। कभी कभी हड़ताल होने पर कारखानों के मजदूर मालिकों को बिना सूचना दिए ही काम छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसा मौका आने पर मालिकों की ओर से अदालत की माफत हड़ताल करनेवालों से हानि को पूरा करने के लिये हर्जाना मँगा जाता है। कारखानों के मालिकों का मन समझाने के लिये कानून में यह गुजाइश रक्खी गई है परंतु वास्तव में उन्हें इससे कुछ विशेष लाभ नहीं होता। क्योंकि अदालत में पैर रखते ही धन और समय दोनों का अपव्यय होता है। इतना ही नहीं, अदालत से क्या निर्णय होगा इसका भी कुछ निश्चय नहीं। इसी कारण कारखानों के मालिक अदालत तक जाने की क्षण में बहुधा पड़ते ही नहीं। परंतु निजी नौकरों और खती का काम करनेवाले मजदूरों की दशा इस से बिल्कुल भिन्न है। उनके लिये जो कानून बनाया गया है, वह बड़ा कड़ा है और उसका उपयोग भी मनमाना होता है। शर्तों के टूटने से यही कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों में से एक ने शर्तों को तोड़ा। इस नियम के अनुसार जिस

प्रकार मजदूर शर्तों को तोड़ सकते हैं, उसी प्रकार मालिक भी शर्तों को तोड़ सकते हैं। परंतु इस बात की जाँच हो कर मालिकों को कभी दंड नहीं मिलता। दंड भुगतना पड़ता है केवल मजदूरों और नौकरों को। नौकरों को यदि नौकरी छोड़नी हो तो उन्हें अपने मालिकों को पहले से सूचना देनी चाहिए, इतना कठिन कानून है। परंतु यदि मालिक आधी रात को नौकर से कहे कि हमने तुमको नौकरी से अलग किया तो उसके लिये कायदे कानून में कुछ भी उल्लेख नहीं। यदि कोई नौकर बिना सूचना दिए नौकरी छोड़ कर चला गया तो कानून के अनुसार फिर उसे जबरदस्ती पकड़ कर काम पर लाया जाता है परंतु यदि किसी मालिक ने किसी नौकर को निकाल दिया तो फिर इसकी कहीं पूछ नहीं कि वह किस अपराध के कारण अलग किया गया। नौकरी छोड़ जाने के अनेक कारण बताने पर भी अदालत नौकर को निर्दोष समझ कर नहीं छोड़ती और मालिक के बिना कारण बताए ही नौकर अलग कर दिए जाते हैं, यह कितना अन्याय है। अदालतों में जूरी पद्धति का प्रचार होने से सारी स्थानिक अदालतों में जर्मीदारों का पक्ष ही प्रबल रहता है।

खेती का काम करनेवाले मजदूरों के लिये एक अनिष्टकारी बात और है। आजकल पचास, साठ वर्षों से कानून कायदों में जो सुधार हुआ है, उस सुधार से मजदूर बिल्कुल अलग समझे गए हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में गुलामी की प्रथा बंद की गई। उसी समय से

जमींदारों के कुलियों की दशा बहुत सुधर गई। इससे पहले जमींदार लोग, इन लोगों पर नाना प्रकार के अत्याचार करते थे। परंतु मजदूरों की स्थिति सुधारने की ओर किसी का पूरा पूरा ध्यान नहीं जाता था। शाही फर्मान से मजदूर लोग लाभ उठावेंगे, यह देख कर जमींदारों ने उस फर्मान में ही फेर फार करा दिया यह बात पीछे बताई जा चुकी है। कुलियों की दशा सुधारने पर कुछ साल तो जर्मनी में खेती की दशा अच्छी रही। उन्नत शताब्दी के आरंभिक पचास वर्षों में तो कृषिप्रधान प्रांतों की आबादी शहरों की अपेक्षा बहुत अधिक रही, और उस समय तक जर्मन कृषि प्रधान देश था, यह कहने में कुछ हर्ज नहीं है।

आगे फिर उद्योग-युग आरंभ हुआ। शहरों की आबादी पुनः शीघ्रता के साथ बढ़ने लगी। कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों ने अपने सघ बनाना आरंभ कर दिया और वे यह कहने लगे कि हमें अमुक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उनकी यह आवाज कानून बनानेवाले अधिकारियों के कान तक भी पहुँची। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि खेती का काम करनेवाले मजदूरों के संबंध में जो प्रश्न वर्तमान समय में उपस्थित हो रहा है, उसे बिना कारण हौआ बना दिया गया है। परंतु इन लोगों के ध्यान में यह बात नहीं आती कि गत चालीस पचास वर्षों में जितने सुधार-संबंधी कानून बनाए गए हैं उन सभी से कारखानों के मजदूरों का हित ही हुआ है। सन १८६९ में "लेबर कोड" नाम का कानून बनाया गया और उसमें समय-समय पर सुधार

भी होता गया परन्तु इस कानून में खेती का काम करनेवाले मजदूरों के नाम का उल्लेख भी नहीं है। कारखानों अथवा कलागृहों के निरीक्षण सबधी भी कानून है, उसमें भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। बीमारी, अपघात, अशक्तता आदि के सन्ध में जीवन बीमा करने का कार्य गत २५ वर्ष से कारखानों के मजदूरों के लिये हो रहा है परन्तु खेती का काम करनेवाले मजदूरों के लिये इसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं अब इनके लिये भी इस प्रथा का अनुसरण होने लगा है परन्तु जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता। बीमारी की हालत में जब वे लोग हाथ से काम करने में असमर्थ होते हैं उन्हें " पुनर ला " अथवा दान धर्म पर अपना गुजारा करना पड़ता है। कारखानों के मजदूरों के समान सघशक्ति के बल पर अपने मालिकों से समय पढ़ने पर सहायता पाने का प्रबन्ध कानून द्वारा न होने के कारण, उन्हें अपने आत्म संरक्षणार्थ केवल देशत्याग ही करना पड़ता है। देशत्याग ही एक शस्त्र है जिसके द्वारा वे अपनी आत्मरक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। सरकार को हम लोगों की कुछ भी फिकर नहीं है अनएव जिन लोगों को हमारी फिकर है उन्हीं की पक्ति में चलकर बैठना चाहिए, यदि यह भाव उनके हृदय में जाग्रत हो तो फसूर किसका है? थोड़े दिनों हुए जब एक दूरदर्शी जर्मादार ने कहा था—“ खेती का काम करनेवाले मजदूरों की जितनी मजदूरी आज हमने बढ़ाई है, यदि उतनी ही मजदूरी पचीस वर्ष पहल हमने बढ़ा दी होती तो हमें आज मजदूरों का इतना टोटा न पड़ता। अलावा इसके कम धन

खर्च करके आज कल की अपेक्षा अधिक अच्छे, मजदूर हाथको मिलते रहते । ” यह कथन चाहे सच हो अथवा न हो परंतु एक बात अवश्य सभव थी । मजदूरों की दशा सुधारने के लिये जो कानून जारी किए गए, उनसे खेती के मजदूरों को भी लाभ पहुँचना चाहिए था, इस सबध में जैसा विचार अब किया जा रहा है वैसा कुछ समय पहले से किया जाता और उद्योग धर्मों का प्रसार होने से उत्पन्न हुई नवीन स्थिति के अनुसार नया कानून बनाने की सन् १८८१ में सरकार को जैसी आवश्यकता प्रतीत हुई वैसी ही यदि इन लोगों के सबध में भी उत्पन्न होती तो आज खेती का काम करनेवाले मजदूरों की जैसी कठिन समस्या आकर उपस्थित हुई है, वैसी न उपस्थित होती । बड़े बड़े जमींदारों और छोटे छोटे किसान दोनों से एक ही भूल हुई और वह भूल और कुछ नहीं, यही थी कि जब तक मजदूरों के मन में जमीन के मालिकों से मिल कर रहने की बुद्धि बनी हुई थी उसी समय उनके कल्याण का मार्ग ढूँढ निकालना चाहिए था । परंतु ऐसा न करके केवल अहभाव से जो उलटा मार्ग उन्होंने ग्रहण किया उसका परिणाम आज वे भोग रहे हैं ।

लोगों के उपयोग के लिये पहले जो जम । खाली पडी रहती थी वह अब खाली पडी नहीं रहने पाती । उसी तरह नकद मजदूरी के साथ कुछ माल देने की जो पहले पद्धति थी, वह पद्धति अब उठा दी गई है । इन दोनों कारणों से मजदूर लोग बहुत निराश हो गए हैं । खाली जमीन पडी न रहने के कारण उनके जानवरों को चरने के

लिये जगह नहीं रही । मजदूरी के साथ अनाज, आलू, ईंधन कड़ा के लिए जमीन, जौ, अलसी आदि समान मिलता था । यह चाल चाहे बिल्कुल अच्छी न हो तो भी इससे इतना लाभ अवश्य होता था कि मजदूर लोग जमीन से प्रेम करते थे । परन्तु यह माल मिलना बढ़ होजाने से वे जमीन पर भाडे के टट्टू के समान काम करते हैं और उनके परिश्रम का सारा फल मालिकों को प्राप्त होता है । जमीन में उत्पन्न हुई तरकारी अथवा फल फलहरी का एक तिन्का अथवा टुकड़ा तक उन्हें नहीं मिलता । ऐसी दशा प्राप्त हो जाने से मजदूरों का जमीन पर और जमीन के मालिकों पर बिल्कुल प्रेम नहीं रहा ।

सब जमींदार और किसान लोग, अपने पास काम करनेवाले लोगों के कल्याणार्थ बिल्कुल बेफिकर अथवा लापरवाह रहते हैं, यदि उपरोक्त किए हुए विवेचन पर से कोई यह परिणाम निकाले तो यह उसकी भूल है । क्योंकि कुछ लोग इस नियम से अवश्य बरी हैं । कुछ लोग अपने पास काम करनेवालों के साथ बहुत भलमनसाहत का व्यवहार करते हैं और मजदूर लोग भी उनके साथ प्रेमपूर्वक बर्ताव करते हैं । जहा पर इसके विपरीत कार्य होता है वहा पर मालिक लोग जान बूझ कर ऐसा करते हैं, यह बात नहीं है । उनके मन में यह बात समाई हुई है कि मालिक श्रेष्ठ लोग और मजदूर हीन लोग हैं । उनकी यह समझ आज की नहीं, इसे वे पुरातन काल की एक मर्यादा समझते हैं । सेकसन प्रात के एक लेखक ने जमींदारों को यह उपदेश दिया है—“तुम्हारे

दिन अच्छे आनेवाले हैं, यह आशा मजदूरों के हृदय में उत्पन्न करने का प्रयत्न करो। मनष्यों के रहने योग्य घर उनको रहने को दो। काम कराते समय उनकी शारीरिक दशा पर ध्यान रक्खो। बीमारी के समय उनकी और उनके कुटुंबियों की सहायता करो और सब से बड़ी बात यह है कि मजदूर हीन और हम लोग श्रेष्ठ, यह भाव दूर कर दो। मजदूरों की कठिनाइयाँ को जान कर उनके दूर करने का प्रयत्न करने से तुम्हारी मजदूरों के सबध की कठिनाइयाँ भी दूर हो जायगी। मजदूरों को सापत्तिक कठिनाइयाँ के साथ साथ सामाजिक कठिनाइयाँ का भी सामना करना पड़ता है, इन सामाजिक कठिनाइयाँ से वे बिल्कुल दय गए हैं।”

जिस जमीन पर काम करना है उस जमीन के विषय में मजदूरों के मन में प्रेम उत्पन्न हो और वे उसे छोड़ कर चले न जाँय, इस बाबत अब कई जगहों पर प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह प्रयत्न सफल हो, ऐसी बहुत से उदार हृदय पुरुषों की इच्छा है। यदि वास्तव में देखा जाय तो मजदूरों की कठिनाइया दूर करने का और उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो, इस बाबत मालिकों के मन में प्रेम उत्पन्न करने का उद्योग उदाराशय पुरुषों की ओर से होना चाहिए। परंतु ऐसे लोग अभी बहुत थोड़े हैं, यह दुःख की बात है। अब भी बहुत से जमींदार अपनी पुरानी पद्धति को हृदय से लगाए लकीर के फकीर बने हुए हैं। अपने पास काम करनेवाले मजदूर क्या हैं—अपने पैर की जूती हैं, यह विचार अब भी

उनके अतः करण से दूर नहीं होता। नौकरों को उनके पास नौकरी पाने के लिये स्वतः आना चाहिए। इस प्रकार की कोई नई व्यवस्था हूँ निकासने की अपेक्षा वे लोग मजदूरों को जहाँ अधिक मजदूरी मिलती है, वहाँ जाने की रोक का प्रयत्न किया करते हैं और उन्हें दूसरी जगह अधिक मजदूरी न मिलने पावे, इसकी रोक का उपाय सोचा करते हैं और उनके मार्ग में नई नई कठिनाइयाँ उपस्थित करते रहते हैं। सन १९०७ में प्रशियन पार्लियामेंट में एक बहुत बड़े जर्मीदार ने यह स्पष्ट कहा था—“हर एक युवा मजदूर हमारे खर्च किए हुए धन की जीती जागती पूँजी—मूलधन—है। परंतु वे युवा काम करने योग्य होते ही कारखानों में जाकर प्रवेश पा जाते हैं और इसके लिये कारखानों के मालिकों को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता।” कुछ साल हुए तब प्रशियन पार्लियामेंट में कांसर्वेटिव पक्ष के सभासदों ने खेती का काम करनेवाले मजदूरों की स्थिति सुधारने के अनेक उपाय बताए थे। उन उपायों में से कुछ उपायों को सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था। मजदूरों और जमींदारों के मध्यस्थ बहुत से दलाल प्रशिया में पाए जाते हैं और उनका प्रभाव भी अच्छा है। “इंडस्ट्रियल कोड” में सरकार ने सुधार करके दलालों का उपद्रव कम कर दिया है। इस प्रकार का प्रवध कर देने से मजदूरों का पैसा मजदूरों के ही पास रहता है। दलालों का कमीशन प्रायः बढ़ ही गया है। छुट्टी के दिनों में खेती का काम करने के लिये सेना में से सिपाही हर साल भेजने का नियम किया गया है। ऐसे लोगों की संख्या दिनों

दिन बढ़ती जाती है। केवल एक महीने, सन १९०७ की गर्मियों की छुट्टी में "फर्स्ट आर्मी कोर" में से सात हजार सिपाही पूर्वी प्रशिया में बड़े बड़े खेतों पर काम करने के लिये भेजे गए थे। राज-दरवार में आने जानेवाले अपने मित्र लोगों की मार्फत बड़े बड़े जमींदारों ने यह पद्धति पहले पहल शुरू की। अब छोटे छोटे जमींदारों को भी इस प्रकार की सहायता बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो जाती है। दक्षिणी प्रांतों में भी अब जमींदारों को सिपाहियों की सहायता प्राप्त होने लगी है। जमींदारों में से कुछ लोग यह कहते हैं कि सैनिक-सेवा के लिये जो यह नियम बनाया गया है कि दो वर्ष सैनिक-सेवा करनी ही होगी, यह उसे देना चाहिए, और उसके स्थान पर एक वर्ष सैनिक-सेवा की मियाद रखने से खेती के काम के लिये बहुतायत से लोग मिलने लगेंगे। जमींदार लोग अपने लाभ की ओर ध्यान रखकर सरकार को अनेक प्रकार की युक्तियां सुझाते रहते हैं। वे हर काम में अपनी अनुकूलता देखते हैं, दूसरे के सुख दुःख का विचार बिल्कुल नहीं करते और इसी कारण सरकार उनके प्रस्तावों को प्रायः स्वीकार नहीं करती। मजदूरों ने कोई शर्त न मानी या किसी शर्त के अनुसार काम करने से इनकार कर दिया तो फिर वे बराबर यही प्रयत्न करत रहते हैं कि उन्हें कठिन से कठिन दंड दिया जाय। राजकीय विचारों का श्रोत प्रशिया में किस प्रकार बह रहा है इसका उदाहरण प्रत्यक्ष यह आदोलन है। लिबरल पक्ष के लोग यह प्रयत्न कर रहे हैं कि, शर्त के अनुसार काम न करने पर

दीवानी अदालतों द्वारा हर्जाना वसूल करने की प्रथा का अन्य लोगों के समान ही इन पर भी प्रयोग किया जाना चाहिए। परन्तु जमींदार लोग इस प्रयत्न में हैं कि कानून में "सजा और जुर्माना" ये दोनों जहा रक्खे गए हैं वहां केवल कैद की सजा रखनी चाहिए। इसी प्रकार शर्त के अनुसार काम छोड़कर जानेवाले मजदूर को, और जो दूसरा कोई उस मजदूर को अपने यहां काम पर लगावे उसे, जो दलाल उसे नया मालिक तलाश कर दे उसे, और शर्त के अनुसार काम न करने के लिये जिसने उसे वहकाया हो उसे, इन सबों को कठिन दंड देना चाहिए।

मजदूरों की कठिनाई कब दूर होगी, यह अभी कौन कह सकता है। परन्तु वर्तमान समय में अन्य देशों से मजदूरों को लाकर काम निकालने का कार्य हो रहा है। प्रशिया के पूर्वी और उत्तरी भागों में और जर्मन राष्ट्र के और सब भागों में, थोड़ी बहुत करके गर्मियों का आरम्भ होने से घरघर रातम होने तक विदेशीय मजदूरों से खेती का काम लेने की परिपाटी सी पड़ गई है। बड़े बड़े जमींदारों का सर्वस्व तो इन्हीं पर अवलंबित है। पूर्वी रूस में से बहुत से मजदूर वहां पहुँचते हैं, परन्तु अब गलीशिया से भी बहुत से मजदूर आने लगे हैं। काम पूरा करके ये लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। जर्मनी में उन्हें कोई रहने नहीं देता।

विदेशीय मजदूरों को मजदूरी भी थोड़ी देनी पड़ती है। परन्तु अनाज अथवा रहने की जगह, बहुत करके दोनों ही,

उन्हें अपने पास से देनी पड़ती हैं। इस कारण अपने घर वापस आने पर वे बहुत कम धन अपने साथ ले जाने पाते हैं। इन मजदूरों के साथ जर्मींदार लोग दयाधर्म का धर्ताव बिलकुल नहीं करते। इसके विपरीत वे उनके साथ द्वेष करते हैं और निरुपाय होकर ही वे लोग उनसे काम लेते हैं। परंतु इसी के साथ यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि मजदूर लोग भी मालिकों का काम बिलकुल मन लगाकर नहीं करते और शर्त पूरी होने के पहले ही काम छोड़कर चलते बनते हैं।

प्रचलित कानून के कारण खेती का काम करनेवाले मजदूर लोग राजनैतिक बातों में अपना मन नहीं लगाते। उनमें अभी थोड़ी सी भी सघशक्ति उत्पन्न नहीं हुई है। इस का कारण केवल उनकी दरिद्रता है। दिनभर काम करने का मार्ग भी किसी ने सुझाया तो भी वे लोग उसे सशक्ति दृष्टि से देखते हैं। उन्हें विश्वास है कि यदि ये लोग इस पंचायत में पढ़ेंगे तो जो कुछ गांठ में है उसे भी खो बैठेंगे। कृषि प्रधान प्रांतों में उच्च कोटि के लोगों के हाथों में सब अधिकार होने के कारण मजदूर लोग दिल खोलकर बात भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई एक भी नेता नहीं मिलता जो उनमें चैतन्य लाकर उत्साह प्रदान करे। प्रजा सत्तावादी (Social Democrats) लोग कुछ प्रयत्न करते हैं परंतु केवल पार्लियामेंट में मंत्री के चुनाव के समय। उस समय भी उनके प्रयत्नों का विशेष फल दिखाई नहीं पड़ता।

इस विषय पर जिन लोगों ने बहुत दुःखित होकर विचार किया है और खेती का काम करनेवाले मजदूरों की यथार्थ

वशा क्या है, यह समझ लेने का जिन्होंने सरलतापूर्वक प्रयत्न किया है, उनके ध्यान में यह बात अवश्य आई होगी कि मढ़लिया अथवा समाज स्थापित करने के सधध में शर्त-वर्दी का वर्तमान कानून बहुत ही अधिक पक्षपातयुक्त है और वर्तमान सुधार-युग के बिलकुल विपरीत है। मजदूरों को कम मजदूरी मिलने के कारण वे अपना जीवन सुखमय व्यतीत नहीं कर पाते और इसी कारण खेती का काम करनेवाले मजदूर काफी तादाद में नहीं मिलते। यह बात सच होने पर भी सब से अधिक कठिनाई उपस्थित होने का कारण यदि कोई है तो वह कानून की विषमता ही है। इस कानून को सुधारने के लिये आज तक अनेक प्रयत्न हुए, पर वे सब अधूरे रहे। इस कानून में मनुष्यत्व को शोभा प्राप्त होने योग्य सुधार होने चाहिएँ पर सुधार होने तक अथवा सुधार होने के कुछ दिनों बाद तक भी शहरों की ओर आने-वाले मजदूरों की मात्रा में कमी होना सभव नहीं है।

पंद्रहवाँ अध्याय

कोआपरेशन अर्थात् परस्पर सहायोगिता ।

परस्पर लाभ पहुचाने के लिये मिलकर चलना जर्मन लोगों का स्वभाव ही है । परमात्मा ने यह बुद्धि उन्हें प्रदान की है । उनकी इस बुद्धि का परिचय पुरातन काल से लोगों को मिलता आ रहा है । वर्त्तमान समय में इस बुद्धि का स्वरूप कोआपरेशन ने ग्रहण किया है । पंद्रह मनुष्यों में से एक मनुष्य जर्मनी की किसी न किसी कोआपरेटिव सोसाइटी का सभासद पाया जाता है । संयुक्त ब्रिटिश राज्य कोआपरेशन का मूल स्थान है परंतु वहा बीस में एक आदमी भी कोआपरेटिव सोसाइटी का सभासद नहीं पाया जाता ।

जर्मन कोआपरेटिव सोसाइटियों के चार भाग हैं । जनरल यूनियन, सेंट्रल यूनियन, रेफसन (Raiffeisen) और इपीरियल यूनियन । सन् १९०५ से रेफसन यूनियन और इपीरियल यूनियन मिलकर एक हो गए हैं और इन दोनों संयुक्त यूनियनों का सबंध खास कर कृषि और किसानों से है ।

इन समितियों के मुख्य उद्देश्य ये हैं—साख देखकर रुपया कर्ज देना, कर्ज लेनेवाला चाहे खेती करनेवाला हो या व्यवसायी हो, कच्चा माल खरीद कर इकट्ठा करना, भिन्न भिन्न प्रकार का माल तैयार करना, कारखानों से तैयार

हुए माल का व्यापार करना और अनाज इकट्ठा करना और मकान बनवाना । इन छ प्रकार की समितियों में से कुछ को सरकारी सहायता प्राप्त है और कुछ-विना सरकारी सहायता प्राप्त किए ही अपना कारोबार स्वतंत्रतापूर्वक चलाती हैं ।

सन् १९०७ के आरम्भ में सद्य प्रकार की समितियों की संख्या २५,७१४ थी, और इन समितियों के सभासदों की संख्या ३८,६०,१४३ थी । इनमें क्रेडिट (साख) सोसाइटियों की संख्या १५,६०२ थी, और कोआपरेटिव स्टोर्स की संख्या २००६ थी, और इन सभासदों की संख्या क्रमशः २१,१३६५३ और १०,३७६१३ थी । खेती पर उदरनिर्वाह करनेवाले खास कर छोटे छोटे किसानों की जर्मनी में बहुत अधिक समितियाँ हैं ।

केवल प्रशिया में रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटियाँ सन् १८९० में २,९१२, १८९५ में ५,१३५, १९०० में ९,४३९, १९०५ में १३,३३१ थीं । सन् १९०४ में प्रति समिति के सभासदों का औसत १४७ था । प्रशिया में भी बहुत सी क्रेडिट सोसाइटियाँ हैं ।

क्रेडिट सोसाइटियों में से बहुत सी तो देहातों और खेती से सम्बन्ध रखनेवाली " रूरल " हैं । इनमें से कुछ तो " लिमिटेड " कम्पनियों के तौर पर चलती हैं । रेफ्रसन् सोसाइटियाँ ही केवल इस तत्व के विपरीत कार्य करती हैं । कच्चा माल उत्पन्न करनेवाली समितियों में चमार, दर्जा, नानवाई, हलवाई, कसेरे, कलईगर, नाई, रगरेज आदि की समितियाँ ही मुख्य हैं । औद्योगिक काम की समितिओं में

अनाज के कारखाने, विजली और गैस तैयार करने के कारखाने, घटई, खटिक आदि का काम करनेवाले अधिकतर हैं। कृषि समितियों में बहुत सी समितियाँ खलियानों से अनाज निकालने का काम करती हैं और कुछ भाग द्वारा चलनेवाले हल और अन्य प्रकार के कृषि उपयोगी यंत्रों को खरीद कर चलाती हैं। बेअर-हाउस सोसाइटियाँ मेज, कुर्सी, किवाड़, ईंटे, चमड़ा, जानवर, मुर्गियाँ, बत्तकें, अडा, अनाज, स्पिरिट और तवाफू, सिगरेट वगैर का व्यापार करती हैं। औद्योगिक व्यवसाय में काम आने योग्य कच्चे माल की समितियों में टोपी बनानेवाले, दर्जी, घटई, चमार, यंत्र बनाने वाले लोहार आदि इसी प्रकार का काम करनेवाले लोग शामिल होते हैं। कारखानों में माल उत्पन्न करनेवाली समितियों में नानवाई, छीपी, कलवार, मेमार, जुलाहे और कोरी लोगों का समावेश होता है। खेती का काम करनेवाली समितियों में गोशाला (डैरीफार्म), शराब बनाने के कारखाने, अनाज की कोठियाँ, बागीचे, शरबत और मुरब्बा बनाने के कारखाने और खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक टिकाऊ बना कर रखनेवाले कारखाने शामिल हैं। इनके अतिरिक्त पानी इकट्ठा करने, बीमा करने, जमीन खरीदने और उसे बेचने, पुस्तकें छापने और बेचने, हवा खाने जानेवाले लोगों के घरों की देखभाल और व्यवस्था रखने आदि भिन्न भिन्न प्रकार के कामों के लिये भी वहाँ समितियाँ मौजूद हैं।

जर्मनी में कृषि संबंधी समितियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सन् १९०६ के अंत में इन समितियों

की सख्या २०,४३० थी । इनके द्वारा छोटे छोटे गरीब किसानों को जितना लाभ पहुँचा है उतना कानून अथवा संरक्षण कर नीति द्वारा भी नहीं पहुँचा है ।

पुरानी पद्धति को बनाए रखने का स्वभाव जर्मन कृषकों की अनेक बातों में देखा जाता है । परंतु समाज और समितियों के स्थापित करने की नवीन पद्धति को उन्होंने बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया । इस कारण उनको निजी दूकानों और साहूकारों से जिस शर्त पर रुपया मिलता था उससे आसान शर्तों पर उन्हें रुपया मिलने लगा और इस प्रकार उनकी सारथ भी बढ़ गई । पिना दलालों की सहायता से अब उन्हें आपस के कारखानों से ही ग्वाद और घीज मिलने लगा है । पास पैसा न होने से खेती में काम आनेवाले यंत्र उन्हें उपलब्ध नहीं होते थे । वे उन्हें अब आसानी से मिलने लगे हैं । भाप के जोर से चलनेवाले हल, और अनाज को मिटाई आदि के यंत्र, समितियों की सहायता से किसानों को मिलने में आसानी हो गई है । जमीन की पैदावार अनाज, आलू, फलादिक, दूध अडा वगैरह बेचने के लिये अब उन्हें स्वतन्त्र - परिश्रम नहीं करना पड़ता । यह सब काम बाहर बाहर ही समितियों द्वारा हो जाता है और साथ ही पहले की अपेक्षा मूल्य भी अब अधिक मिलने लगा है । दूध, मक्खन, घी वगैरह को पुरानी पद्धति से किरायेत नहीं होती थी और न अच्छा माल ही तैयार होता था । वही माल अब यंत्रों की सहायता से किरायेत के साथ अच्छा तैयार होने लगा है और इसका लाभ भी उन लोगों को प्राप्त होता

है। तात्पर्य यह है कि पहले समय में जो अनुकूल साधन बड़े बड़े जमींदारों को प्राप्त थे, वे अब इन नवीन सस्थाओं के कारण छोटे छोटे जमींदारों और किसानों तक को प्राप्त हो गए हैं। कृषि-प्रधान प्रांतों में उपरोक्त सब प्रकार के उद्देश्यों की सिद्धि के लिये अनेक समितियाँ स्थापित हो गई हैं और उनके द्वारा बहुत से महत्व के कार्य हो रहे हैं। खेत की पैदावार बेचने के लिये इनोवर प्रांत में जो को-ऑपरेटिव सोसाइटियाँ स्थापित हैं, उन्होंने सन् १९०६ में ४,२८,००० पौंड मूल्य के माल का लौट फेर किया। अपने लिये किसान लोग क्या कर सकते हैं इसका एक उदाहरण यहाँ देते हैं। प्रशिया में खान से पोटाश निकालने की एक कंपनी है। उस कंपनी के बहुत से हिस्से कृषि-समितियों ने खरीद लिए और इससे व्यवसाय का महत्व अधिक बढ़ गया।

यदि कृषक लोगों को यथार्थ में लाभ पहुँचा है तो सहकारी समितियों द्वारा ही। “को-ऑपरेशन से कृषकों की साख बढी और उनके नाश होने का भयकर समय टल गया।” ये उद्गार एक बहुत बड़े जमींदार ने एक अवसर विशेष पर कहे थे। इन सोसाइटियों ने इतने महत्व के काम किए और अब भी कर रही हैं जिनका परिणाम कृषकों के लिये बहुत लाभदायक साबित हुआ। रेफसन सोसाइटियों ने जो काम कर दिखलाया है वह विलक्षण था। अतएव उसका विस्तारपूर्वक हाल यहाँ पर देना बहुत आवश्यक है। इंग्लैंड में कृषि संबंधी जो सबसे बड़ी कठि-

नाई है, वह यह है कि समय पर कम व्याज पर रुपया किसानों को नहीं मिलता। अतएव रेफसन सोसाइटियों का हाल जान कर इंग्लैंड में जो कठिनाइया उपस्थित हैं वे दूर की जा सकती हैं। इंग्लैंड में बैंक हैं और उधार रुपया देनेवाली समितिया भी हैं परंतु इनसे रुपया उधार लेने पर किसानों को अधिक व्याज देना पड़ता है। इसके अनिश्चित बैंक जो जमानत मागे वह भी देनी पड़ती है। यदि जमानत देने का प्रयत्न कोई न कर सके तो फिर उसे रुपया उधार मिल ही नहीं सकता। इंग्लैंड की यह स्थिति ध्यान में रखने योग्य है। इंग्लैंड के कृषक लोगों में कोआपरेशन तत्व पर चलनेवाली बैंकों अथवा उधार रुपया देनेवाली सहकारी समितियों का विकास जितनी शीघ्रता से होना चाहिए, नहीं होता। बैंक स्थापित करनेवालों को इंग्लैंड में धन की कमी हो, यह बात संभव नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो रेफसन नाम से चलनेवाले जर्मन बैंकों और इसी नमूने पर चलनेवाली आस्ट्रिया की बैंकों की इतनी उन्नति न दिखाई पड़ती।

फ्रेडरिक विल्हेल्म रेफसन नाम का एक परोपकारी पुरुष हाइनलैंड में रहता था। उस प्रांत में उसने सन् १८१८ से १८८८ तक निवास किया। वह वहा पर मेयर का काम करता था। कृषकों को कृषि कार्यों के लिये धन मिलने में कितनी कठिनाइया उपस्थित होती हैं, इस बात का उसे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। इस अनुभव के पश्चात् उसे यह भी मालूम हुआ कि छोटे छोटे किसानों के पीछे धन की कठिनाई

सदा ही लगी रहती है और इष्ट कठिनाई को दूर करने के लिये उन्हें महाजनों के पास गए बिना और कोई चारा नहीं है। ये महाजन 'ज्यू' जाति के होते हैं, जिनमें दया का तो नाम ही नहीं है। रेफसन ने कितने ही उदाहरण ऐसे दले कि समय पर उधार लिया हुआ रुपया न पहुँचने पर अथवा सरकारी मालगुजारी या जमींदार का लगान का रुपया न भदा होने पर थोड़े से ही धन के लिये उन्हें अपने हल बैल ज्यू महाजनों के सपुर्द कर देने पड़ते हैं। महाजन पक्क चालवाज होते हैं—कानून कायदे का उल्लंघन न करते हुए जहाँ तक हो सके अपने पजे में फँसा लेने का वे बराबर प्रयत्न करते रहते हैं। उनके दाव पेंच समझने की बुद्धि उन विचारे किसानों में कहाँ! महाजनों के फदे में किसान लोग फँस न जावे इसकी जाच रेफसन स्वत करता रहता था और जब कभी मौका आता, किसानों को दुष्ट महाजनों के पज से छुड़ाने का प्रयत्न करता। मेयर होने से उसके हाथ में राज्याधिकार था और बुद्धिमता होने के कारण वह किसानों के ऊपर महाजनों का अत्याचार होने नहीं देता था। यदि कभी किसानों को अपने जानवर वगैरह बेचने की जरूरत पड़ती तो महाजनों की मार्फत न विकने देकर वह स्वत उनके साथ बाजार जाकर बेचने का प्रबन्ध करा देता। उस समय महाजन लोग यह कहने लगे थे कि यह व्याध कहा से पीले लग गई। यदि कोई किसान महाजनों के पास उसका नाम ले देता तो उनका दिमाग ठढा पड़ जाता था। इसी लिय किसान लोग उसे श्रेम और आदर की दृष्टि से देखते थे। किसानों की कठि-

नाइयों को जान कर और ये कठिनाइया किस के दोष से उत्पन्न हुई हैं, इस विषय में स्वतः का अनुभव प्राप्त करके "को-ऑपरेटिव क्रेडिट असोसियेशन" स्थापित करने की कल्पना उसके मन में उत्पन्न हुई।- आरम्भ में थोड़ा सा कार्य करने पर ही उसे यश प्राप्त हुआ। अतएव ड्राइन नदी के किनारे कई स्थानों पर अल्प प्रमाण पर उसने असोसियेशन स्थापित किए। परंतु धीरे धीरे इस सस्था का महत्व और कीर्ति इतनी बढ़ी कि जर्मनी में किसानों की एक विशाल कोऑपरेटिव सस्था स्थापित करने के उद्योग में उसने अपने जीवन का बाकी समय लगा दिया। उसके दीर्घ प्रयत्न से इस मुख्य सस्था की शाखाएँ जर्मनी भर में फैल गई और उनके द्वारा अनेक महत्व के कार्य होने लगे।

इस सस्था की मुख्य सस्था "सेंट्रल इस्टिट्यूट" न्यूवीड स्थान में है। आज कल इस सस्था के आश्रय में उधार देनेवाली बहुत सी समितियाँ स्थापित हो गई हैं। इसी प्रकार किसानों के काम में आने योग्य माल के कोऑपरेटिव स्टोर्स भी स्थापित किए गए हैं। हर प्रकार के सामान की बड़ी बड़ी दूकानें भी न्यूवीड में सस्था की ओर से खोली गई हैं। उदाहरणार्थ—फ्रैंकफोर्ट में यत्र सामग्री का एक बहुत बड़ा डिपो है। भिन्न भिन्न शाखाओं से माल को इकट्ठा करने का 'क्लोन' में एक "वेअर हाउस" है। कृत्रिम खाद बनाने तथा तनाकू पैदा करने के भी कई एक कारखाने सहकारी समितियों द्वारा चल रहे हैं। इन सब कामों को उत्तमतापूर्वक चलाने के लिये तीन सौ से अधिक भिन्न भिन्न दर्जे के अधि-

कारी काम करते हैं और इसी पर से इस संस्था की व्यापकता की कल्पना पाठक कर सकते हैं ।

सहकारी समितियाँ किस सिद्धांत पर चलती हैं, इसकी विवेचना स्थल सकोचवश स्थूल दृष्टि से ही यहाँ की जाती है । क्रेडिट असोसियेशनों का मूलधन हिस्सों (शेअर्स) के रूप में इकट्ठा किया जाता है । हर एक हिस्से का मूल्य ज्यादा से ज्यादा दस शिलिंग रक्खा जाता है । एक आदमी को एक से अधिक हिस्सा नहीं दिया जाता । लोगों से उधार रुपया लेकर असोसियेशन को जितना ब्याज देना पड़ता है उससे अधिक "डिविडेड" का भाग हिस्सा खरीदने वालों को नहीं मिलता । असोसियेशनों के सभासदों की सारी जायदाद जमानत के तौर गिरवी रखकर कोआपरेशन की जो पद्धति (Cooperation with unlimited liability) है उसके अनुसार इस असोसियेशन का काम चलता है । यह पद्धति ठीक नहीं है, ऐसा आक्षेप बहुधा लोग करते हैं, परन्तु व्यवहार में उससे हानि की अपेक्षा लाभ होने का अनुभव प्राप्त हुआ है । रेफसन समितियाँ आज पचास वर्ष से बराबर काम कर रही हैं । परन्तु इतने समय में भी सभासदों को इस तत्व के अनुकूल काम करने पर कभी कोई हानि होते नहीं देखी गई और न भविष्यत् में हानि होने की कोई संभावना ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पद्धति से होशियार, विश्वासपात्र और यथाशक्ति योग्यता के मनुष्यों के हाथ में असोसियेशन के काम की सारी व्यवस्था होने से, वे उनका काम बहुत ही लगाकर, करते हैं ।

अच्छा कृषक वही कहलाता है जिसे अपने खेती के काम से प्रेम होता है, जिसे खेती के काम से पूरी पूरी जात-कारी होती है, और जो कठिनाइयों के समय अपने स्वत के साहस और भरोसे पर अपने को सम्हाल लेता है। ऐसे कृषकों की ओर यह सस्था बहुत ध्यान देती है। इसके विरुद्ध जो मन लगा कर अपना काम नहीं करते, उतावली के साथ अव्यवस्थित काम करते हैं, उनको असोसियेशन की ओर से मागने पर भी सहायता नहीं दी जाती। कारीगरों और उद्योग धधा करनेवाले मजदूरों को भी जो खेती से थोडा बहुत सबध रखते हैं औजार खरीदने अथवा मकान बनाने या मरम्मत करने के लिये धन की जरूरत पड़ने पर सहायता देने का विचार किया जाता है।

कर्ज पाने की दरखास्त आने पर पहले तो कर्ज लेनेवालों की वर्तमान स्थिति की ध्यानपूर्वक जाँच की जाती है। इस जाच में उसके दोष ढूँढने का प्रयत्न नहीं किया जाता। दरखास्त देनेवाले की सापत्तिक स्थिति, साख, जमानत, रुपया कर्ज लेने का कारण, उससे होनेवाले लाभ आदि बातों की ही जाँच खास तौर पर की जाती है। कृषकों की दृष्टि में यह जाँच होना जितना आवश्यक है असोसियेशन की दृष्टि से भी वह उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि असोसियेशन के आश्रय में आनेवाले लोगों को उचित उत्साह और सहायता देना ही असोसियेशन का मुख्य उद्देश्य है। कर्ज लेनेवाले से जमानत यदि लेनी होती है तो बहुत करके गहने के रूप में ली जाती है। वह गहना कर्ज के रुपए से दूने

दाम का होना चाहिए, यह एक नियम है। परंतु व्यवहार में इस नियम का पालन अक्षरशः नहीं होता।

लिया हुआ कर्ज कितने दिनों में वापस करना चाहिए, इसके लिये कुछ नियम हैं। पहला नियम यह है कि कम से कम तीन महीने में रुपया भदा किया जाय और ज्यादा से ज्यादा दो वर्ष में। पहले वर्ष के अंत तक कुछ न कुछ थोड़ी बहुत रकम वापस कर देनी पड़ती है। दूसरे नियम में रुपया वापसी की कोई मियाद नहीं है। कर्ज लेने-वाला अपनी आसानी को देखकर जब रुपया वापस दे, तब ले लिया जाता है। परंतु रुपया वापस करने की जो तारीख नियत है उस तारीख पर रुपया अवश्य ही आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी पर बहुत से बैंकों का यश अथवा अपयश अवलंबित है। एक महीने की नोटिस अर्थात् सूचना देकर कर्ज का रुपया मागने का अधिकार भी असोसियेशन का प्राप्त है।

एक दूसरे को भिन्न भिन्न मार्गों में मदद पहुँचा सकें, इस उद्देश्य का ध्यान सदा रक्खा जाता है। असोसियेशन को जो लाभ होता है वह सब 'रिजर्व फंड' के तौर पर अलग रख दिया जाता है। परंतु सभासदों को कर्जा देने के लिये विशेष सुभीता देने की योजना की गई है। हिसाब किताब लिखनेवाले को छोड़ बाकी सब अधिकारी कुछ भी वेतन न ले कर मुफ्त काम करते हैं। वेतन मिलना ही चाहिए, यह बात उनके मन में कभी नहीं आती। उन्हें यदि कुछ स्फुट खर्च करने की जरूरत हो तो वह असोसियेशन की ओर से दिया जाता है।

असोशियेशनों में सम्मिलित हुए कृषक लोगों में परस्पर सहायता करने की बुद्धि उत्पन्न हो और उसी के अनुसार काम करने का चाव उनमें हो। इसका प्रयत्न सदा होता रहता है। लोग अपना स्वार्थ सिद्ध न कर सकें, इसके लिये असोशियेशन न नियम बना दिए हैं। दंहाती समितियों का प्रधान पद पाठशाला के शिक्षकों को बहुधा मिलता है और वे लोग समाज की जो कुछ सवा करते हैं वह बहुत ही महत्व की है। पाठशाला के शिक्षकों का पेशा लोगों के लिये बहुत उपयोगी साबित होता है। उनमें सार्वजनिक कार्य करने का हौसला होता है। वे गाँव के लोगों को यह बात अच्छी तरह समझा सकते हैं कि उन्हें अपनी सापत्तिक स्थिति किस प्रकार सुधार लेनी चाहिए। रेफ्रसन-बैंक के वे सेक्रेटरी नियत होते हैं और छोटे छोटे किसानों को रुपया उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त वे इस बात की भी गाँववालों को शिक्षा देते हैं कि उन्हें खेतों पर किस तरह काम करना चाहिए और अपना माल किस तरह बेचना चाहिए। किराये के साथ खर्च करन की भी वे गाँववालों को सलाह देते रहते हैं। सप्ताह भर में जो रुपया किसान लोग बचा लेते हैं उसे वे अपने पास जमा कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि गरीब किसानों के लिये शिक्षक लोग मार्गदर्शक का काम देते हैं। युक्तिपूर्वक बातें समझा कर वे उन्हें उचित सलाह देते हैं और मित्रता का व्यवहार करके उनके हितून बन जाते हैं। परंतु यह सब काम वे एक कौड़ी की अभिलाषा न रखते हुए केवल गरीब और अनाथ लोगों

की सहायता की दृष्टि से ही करते हैं ।

सब स्थानों की समितियाँ न्यूवीड की "सेंट्रल बैंक में" जा कर समिलित हो जावें, ऐसी व्यवस्था की गई है । रेफसन सस्था को चलाने का सारा काम इस संस्था को सौंपा गया है । इस संस्था को अपनी मुख्य सस्था मान लेने से छोटी छोटी सस्थाओं को बड़ा लाभ पहुँचता है । किसी बड़ी सस्था को आधारभूत मान कर आवश्यकतानुसार धन अपने पास रख कर बाकी का धन मुख्य सस्था को देने से अधिक लाभ होता है । इसी प्रकार यदि कमी धन की आवश्यकता हुई तो उसे मुख्य सस्था से धन आसानी से प्राप्त भी हो जाता है । सेंट्रल बैंक की स्थापना सन १८७६ में हुई थी । उस का मूल धन २,५०,००० पाँड का था । उसके नियम ऐस अच्छे हैं कि यदि नियमानुसार काम होता चला जाय तो लाभ के बजाय हानि की कोई संभावना ही नहीं है । बहुत करके सब हिस्से स्थानिक असोसियेशनों ने ही खरीद लिए हैं । बिना आज्ञा के वे अन्य लोगों को दिए नहीं जा सकते और बैंक के देने की जिम्मेदारी हिस्सेदारों पर उनके हिस्से की रकम से ज्यादा नहीं होती । सेंट्रल बैंक के सबष में लोगों का इतना विश्वास जम गया है कि अब ४, १४७ स्थानिक असोसियेशन उससे लेन देन करते हैं । तीन करोड़ सत्तर लाख पाँड की रकम, उसकी व्यापार में लगी हुई है । सन १९०६ में "इपीरियल बैंक" के व्याज की दर साढ़ भाठ की सदी सालाना थी और यदि थोड़े दिनों के लिये रकम की जरूरत हो तो निज की बैंक उस रुपया

सैंकड़ा सालाना तक सूद लेती है। परंतु रेफरेंस सेंट्रल बैंक अपने मेम्बरो को केवल साठे तीन या चार सैंकड़ा सालाना व्याज पर रुपया देती है। इस से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बैंक की साल कितनी ज्यादा है। बैंक के जनरल डायरेक्टर हर साल अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। यदि उसे देखा जाय तो यह बात सहज ही ध्यान में आ जायगी। दहाती असोसियेशन भी आश्चर्यजनक कार्य कर रहे हैं। इस रिपोर्ट से कुछ घातें नीच उद्भूत की जाती हैं।

“ बेसवीलर (Baesweiler) की सेविंग्स बैंक को बहुत यश प्राप्त हुआ है। इस बैंक की स्थापना होने के समय से अब तक पत्थर का काम और खानों में काम करनेवालों के लिए १५ मकान भोल लिए गए हैं और गाँव की सापत्तिक स्थिति में बहुत कुछ सुधार हुआ है। सभासदों ने तीन हजार पाँड की धरोहर रक्खी है। इसी से वे कितनी क्फायत से चलते हैं, इस बात का पता चल जाता है। उधार रकमों पर बैंक चार रुपया सैंकड़ा सालाना सूद लेती है और २५ पाँड तक की रकम जमा करने पर साठे तीन रुपया सैंकड़ा सालाना सूद देती है। इस बैंक में इस गाँव के लोगों का बहुत कुछ फल्याण हुआ है। ”

“ को आपरेटिव स्टोर्स का काम तो बिलकुल आश्चर्यजनक है और उससे सभासदों को बहुत बड़ा लाभ पहुँचता है। किसानों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के नवीन यंत्र असोसियेशन ने खरीद लिए हैं। ये नवीन यंत्र बिचारे किसानों को कौन

मंगा कर दे सकता था ? इन यंत्रों की सहायता से अब उनकी खेती बहुत ऊँचे दर्जे की हो गई है। ”

दूसरे एक और गाव के विषय में रिपोर्ट में लिखा है—
 “ यहाँ पर खेत जोतने के लिये हल बैल किराये पर लेने का रिवाज था। किराये पर हल बैल लेनेवाले को लाभ भी बहुत होता था। परन्तु किसानों का इससे हानि के अतिरिक्त मनमाना काम भी नहीं होता था। किसानों को अपन हल बैल अपने पास रखने चाहिए और इसके लिये असोसियेशन न जब से किसानों को रुपया उधार दिया तब से यह प्रथा बद हो गई। कृत्रिम खाद जब से मिलने लगी तब से परती जमीन का नामनिशान ही मिट गया और फसल भी अच्छी पैदा होने लगी। ”

लोरेन क असोसियेशन के सरकारी इस्पेक्टर ने एक जनरल रिपोर्ट में लिखा है—“रुपया उधार देने की जो पद्धति है वह रुपया उधार देनेवाले के लिये बहुत लाभदायक है। खास कर रुपया वापस करने में बहुत से सुभीते कर दिए गए हैं। प्रति सप्ताह के अंत में जो धन उनके पास बच रहता है वही धन वे वापस कर लेते हैं। को-आपरेटिव के सिद्धांत पर जो माल बेचने के लिये दूकानों में इकट्ठा किया जाता है वह ऐसा होता है जो हर वक्त लोगों के काम में आता रहता है। जिस प्रांत में रेफसन असोसियेशन पहले न थे वहा कृत्रिम खाद का मूल्य बहुत अधिक था परन्तु असोसियेशन की स्थापना होते ही वहा खाद का भाव सस्ता हो गया और बहुत से लोग उसका उपयोग करने लगे।

इस उपाय से जमीन की पैदावार भी बढ़ गई। जहा पहले तीन महीने के लायक गेहू पैदा होता था वहा अब, साल भर के लायक पैदा होने लगा। उचित से अधिक व्याज तो किसी को देना नहीं पड़ता, इसकी निगरानी असोसियेशन के अधिकारी लोग करते रहते हैं और समय पड़ने पर सभासदों को उपयोगी सलाह भी असोसियेशन की ओर से दी जाती है।”

आज कल ४१५९ “रूरल को-ऑपरेटिव लोन असोसियेशन” न्यूवीड की सेंट्रल सस्था के आश्रय में चल रहे हैं। यदि इसमें कृषि उपयोगी यंत्र और अन्य प्रकार का सामान बेचनेवाली को ऑपरेटिव स्टोर्स, जिनकी संख्या ६५२ है मिला लिये जाय तो कुल असोसियेशनों की संख्या ४,८११ हो जाती है। सन् १९०५ में सेंट्रल और स्थानिक एसोसियेशनों ने व्यापार में जितना लेन देन किया उसकी अपेक्षा पाच करोड पाँच अधिक का लेन देन सन् १९०६ में हुआ। आरम्भ में रेफसन सस्थाएँ बिलकुल सामान्य थीं, परंतु अब इनका प्रचार केवल जर्मनी में ही नहीं आस्ट्रिया, इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड तक में हुआ है। इस सस्था से कृषकों को साम्पत्तिक लाभ तो बहुत ही अधिक हुआ ही है परंतु नैतिक लाभ भी कुछ कम नहीं हुआ है, क्योंकि रेफसन ने जो उद्देश्य अपने सामने रखकर सस्था की स्थापना की थी वह यह था कि कृषकों की स्थायी रूप से नैतिक उन्नति होनी चाहिए और उसके होने के लिये आवश्यक धन की सहायता उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। रेफसन

संस्थाएँ अब इतनी अधिक बढ़ हो गई हैं कि को-ऑपरेशन की जड़ में कौन सा तत्व है और उसका व्यवहार में किस तरह उपयोग किया जाना चाहिए, इसकी शिक्षा भविष्य में काम करनेवाले को नियमानुसार देने के लिये, शीघ्र ही "ट्रेनिंग क्लब" खोलने का इस संस्था ने निश्चय किया है।

रेफसन सेंट्रल असोसियेशन की एक भिन्न शाखा है जो सामाजिक दृष्टि से किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न स्थानिक असोसियेशनों के द्वारा किया करती है। युवा, बालक और बालिकाएँ इस संस्था की सहायता से "कटिन्यूएशन" पाठशालों में शिक्षा पाती हैं। पाकशालाएँ, स्नानगृह, कपडा धोने की भट्टियाँ, पुस्तकालय, वाचनालय, बीमारों की सहायता करने, अनाथ लोगों के मुँहों को गाढ़ने आदि अनेक उपयोगी काम इस संस्था की मार्फत होते रहते हैं। शहरों में औद्योगिक विकास को उत्तेजना देने के लिये घरों में बैठ कर कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, इस ओर अब इस संस्था ने ध्यान दिया है।

प्रशिया में को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों को सहायता पहुँचाने के लिये "सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक" नाम से सरकार ने एक बैंक स्थापित कर दी है। जिन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों को पैसे की जरूरत होती है उन्हें इस बैंक से धन दिया जाता है। इस काम के लिये गवर्नमेंट ने बहुत सा रुपया इस बैंक को दे रखा है। देहाती "सेविंग और लोन सोसाइटियों" और छोटी छोटी "क्रेडिट सोसाइटियों" को जब धन की आवश्यकता प्रतीत हुई तो कम

ब्याज पर धन मिलने में कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं और ज्यों ज्यों उनका कार्य क्षेत्र बढ़ता गया त्यों त्यों वे कठिनाइयाँ और भी अधिक बढ़ने लगीं यह बात बहुत वर्ष हुए तभी ध्यान में आने लगी थी। छोटे छोटे किसानों का जिन सोसाइटियों से अधिक व्यवहार रहता है उन्हें पूजा की कठिनाइयाँ सदा सताया करती हैं और ये कठिनाइयाँ महाजनों से रुपया लेकर दूर करना बिलकुल असंभव है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये पहले पहल सरकारी तत्त्व पर जो कार्य आरम्भ किया गया वह इस प्रकार था। प्रातिक सोसाइटियों ने मिलकर "लिमिटेड" कंपनियाँ बनाईं। उन कंपनियों ने अपनी शाखा सोसाइटियों में जो धन बाकी था उसे धरावर बाट कर जिस सोसाइटी की दशा अच्छी थी उसके धन का लाभ नवीन और ज्यों त्यों करके चलनेवाली सोसाइटियों को प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था की।

इसके बाद सन् १८९४ में जर्मन एग्नीकलचरल को-आपरेटिव सोसाइटियों की दसवीं कांग्रेस में जो हनोवर में हुई थी, यह निश्चय किया गया था कि उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये सारे साम्राज्य के हितार्थ एक "सेंट्रल बैंक" स्थापित करना चाहिए। यह विचार बहुत उत्तम और उपयोगी है, इसकी चर्चा चारों ओर होने लगी। प्रशियन सरकार को तो यह विचार इतना उत्तम प्रतीत हुआ कि उसने प्रशिया में तो तुरत ही ऐसी बैंक स्थापित करने का प्रबंध कर दिया। सन् १८९५ में वहा "स्टेट सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक" स्थापित हो गई। जिस प्रकार "इपीरियल बैंक" व्यापारियों को

धन की सहायता पहुँचाती है उसी प्रकार छोटे छोटे किसानों को धन द्वारा सहायता पहुँचाना इस बैंक का मुख्य उद्देश्य था । अब भी इसी उद्देश्य के अनुसार कार्य होता चला जा रहा है । इस बैंक का मूल धन आरम्भ में २,५०,००० पाँड था और इस मूल धन पर तीन फी सदी व्याज देना स्थिर किया गया था । परन्तु यह मूल धन शीघ्र ही २५ लाख पाँड तक बढ़ाना पड़ा और व्याज की दर में किसी प्रकार की कमी बेशी नहीं की गई । कम दर के व्याज पर बहुत सा रुपया बैंक के पास होने से महाजनों की अपेक्षा कम व्याज पर जितनी रकम की किसानों को जरूरत हो उतनी रकम मिल सकती है । इस बैंक से जो कर्ज दिया जाता है वह व्यक्ति विशेष को अथवा को आपरटिव सोसाइटियों को न दिया जाकर, सोसाइटियों के असोसियेशनों को दिया जाता है । परन्तु इस व्यवस्था के अनुसार भी किसानों को चार रुपया सैकड़ा से अधिक व्याज नहीं देना पड़ता । इस बैंक के स्थापित हो जाने के बाद से, अपनी साख कम होने के कारण अपने को कौन कर्ज देगा, किसानों और मजदूरों का यह दीनतायुक्त वाक्य सुनाई नहीं पड़ता । इतना ही नहीं, इस बैंक की सहायता से उनकी दशा बहुत कुछ सुधरती जा रही है । किसानों की इस दशा को देखकर कुशल कारीगरों ने भी अपने लिये को-आपरेटिव, सेविंग्स और लोन सोसाइटियाँ स्थापित की हैं । उन्हें भी समय पड़ने पर इस बैंक से द्रव्य की सहायता प्रदान की जाती है ।

इस अध्याय के आरम्भ में यह बात बताई गई है कि "जनरल यूनियन" के आश्रय में काम करनेवाली जो संस्थाएँ हैं, उनका मुख्य तत्त्व स्वावलम्बन होने से को-आपरेटिव बैंकिंग के झगड़े में सरकार को पड़ना पसन्द न था। प्रशियन "लोअर हाउस" के कुछ सभासदों ने सरकारी प्रबन्ध को नष्ट कर देने का यथाशक्ति प्रयत्न किया, परन्तु उन्हें कुछ यश प्राप्त नहीं हुआ। इसके विरुद्ध सरकारी बैंक की उपयुक्तता विशेष प्रकार से लोगों के ध्यान में आने पर बवेरिया, साक्सेन, मेक्टन-वर्ग प्रांतों में भी प्रशियन सरकार के नमूने पर को-आपरेटिव बैंकों की स्थापना कर दी गई। को-आपरेशन के आंदोलन का इतिहास यदि देखा जाय तो यह बात सहज ही ध्यान में आ जाती है कि वर्तमान समय में जितना इसका आंदोलन हो रहा है उतना पहले समय में न था, और उसकी उपयुक्तता के विषय में किसानों को जितना दृढ़ विश्वास अब है, उतना पहले कभी न था। इस विश्वास पर भरोसा करना भूल है यह नहीं कहा जा सकता, परन्तु कदाचित् उसका व्यवहार मर्यादातीत होने से अतिम परिणाम निराशाजनक होगा, ऐसा भय मालूम होता है, क्योंकि अति विश्वास का परिणाम यह होगा कि जहाँ को-आपरेशन का वास्तविक उपयोग नहीं हो सकता वहाँ भी उसका उपयोग करने का विचार लागू करने लगेंगे, और इस प्रकार कार्य होने से अतिम परिणाम निराशा के सिवाय और क्या हो सकता है ? कृषकों की ओर के एक सभासद ने प्रशियन पार्लियामेंट में एक समय यह कहा था—'गरीब लोगों की सहायता करना

ईसाई धर्म सिखलाता है। अतएव इस धर्माज्ञा के अनुसार सरकार को किसानों की वर्तमान समय की अपेक्षा अधिक सहायता करनी चाहिए। और भी एक सभासद ने यह कहा था—“हर एक कृषि कालेज में को-आपरेशन का एक प्रोफेसर होना चाहिए।” इन दोनों सज्जनों ने अपन उपरोक्त कथन में, को-आपरेशन पर जरूरत से ज्यादा विश्वास प्रगट किया है। परंतु मर्यादा के बाहर को-आपरेशन से लाभ उठाने की इच्छा रखनेवाले लोगों को इच्छानुसार लाभ नहीं होता तो भी व्यवहारिक दृष्टि से किसानों को को-आपरेशन से अपरिमित लाभ पहुँच रहा है, इसमें सदेह नहीं है।

साम्राज्य सरकार और प्रांतिक सरकार को आपरटिव आदोर्लन के साथ जो सहानुभूति दिखा रही है और व्यवहार में भी जो सहायता पहुँचाती हैं वह मामूली काम करनेवाले व्यापारियों को पसंद नहीं है और वे को-आपरेशन का कार्यक्षेत्र कानून द्वारा मर्यादित कर देने के लिये पार्लियामेंट में बार बार निवेदन किया करते हैं। उनका यह कहना एक स्वाभाविक घात है, क्योंकि को-आपरेटिव सोसाइटियों के स्थापित होने से, उनके हाथ से किसान प्रायः किलकुल अपने आप निकल गए, दलाली का काम करनेवाले लोग भी इसी प्रकार रहे हैं। इस झगड़े या वाद विवाद का चाहे कोई भी कारण विशेष हो, परंतु गरीब किसानों के कल्याणार्थ, इन लोगों की हानि का कुछ भी मूल्य नहीं है, सरकार को इस घात का पूरा विश्वास है। इसी कारण इन वाद विवाद करनेवालों की सरकार के सामने कुछ चळती नहीं, यह स्पष्ट है।

सोलहवाँ अध्याय ।

प्रजा की वृद्धि और शिशु रक्षा ।

“राष्ट्रीय शक्ति” (National efficiency) के

कठिन शब्द का यद्यपि जर्मनी में बहुत व्यवहार नहीं किया जाता तथापि देश की सतान विशेष बलवान और उत्साही^h हो इस विषय में विचारपूर्वक और शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अनेक प्रकार के उद्योग होते रहते हैं । यह उद्योग बालक जब से पालने में पैर रखता है उसी समय से आरम्भ हो जाता है । बचपन से ही बालकों की शारीरिक शक्ति की ओर ध्यान न देने के कारण जब बड़े होने पर उनके शरीर को रोग जकड़ लेते हैं उस समय प्रयत्न करने की अपेक्षा पहले से ही प्रयत्न किया जाना कितना अच्छा है, इस बात को ध्यान में रख कर बालकों की मृत्युसंख्या को कम करने का प्रयत्न गत दस वर्षों से बहुत ही जोर के साथ हो रहा है । इस प्रश्न का महत्व जर्मन लोगों को अब आज कल विशेष रूप से मालूम होने लगा है, यह सच है, परन्तु बहुत वर्षों तक चुपचाप बैठे रहने से जो हानि हुई है उस हानि को पूरा करने का प्रयत्न और उत्साह जो वर्तमान काल में जर्मन लोगों में देखा जाता है, यह बड़े आनन्द की बात है ।

प्रजा की वृद्धि के प्रश्न पर विचार करते समय, कुछ साल पहले लोगों के ध्यान में यह बात आई कि बालकों की

उत्पत्ति की संख्या कई वर्षों से बराबर एकसी बनी हुई है। मृत्युसंख्या में कुछ कमी हुई अवश्य है, परंतु छोटे बालकों की मृत्युसंख्या में कुछ भी कमी नहीं हुई है। अतएव उसी समय से उन्होंने इस बात की जाँच का कार्य आरंभ कर दिया कि छोटी उमर में अधिक बालक क्यों मरते हैं। यदि गत वर्षों की संख्या देखी जाय, तो इस बात का पता सहज लग जायगा कि साठ लाख बालकों में से चार लाख से अधिक बालक बारह महीनों के अंदर मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, अर्थात् २० फी सदी मनुष्यों का नाश हो जाता है। इसके पहले के सौ वर्षों में यह संख्या १५ थी। राष्ट्र की रक्षा लोगों के हाथ से ही होनी चाहिए, बाहरी सहायता का भरोसा करना धोखे का काम है। यदि यह बात उपरोक्त संख्या को देख कर जर्मन लोगों में भय उत्पन्न करे, तो आश्चर्य की कौन सी बात है।

छोटे बालकों की मृत्यु-संख्या कम करने के लिये अब प्रयत्न होने लगा है। प्रत्यक्ष प्रयोगों से थोड़े से समय में ही, ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है कि गत अनेक वर्षों से मनुष्यों की जो भयंकर हानि होती आ रही थी उसकी रोक के लिये उचित उपाय काम में लाए जाने चाहिए। जिन प्रातों में अच्छी तरह ध्यान दिया गया है उन प्रातों में मृत्युसंख्या बहुत कम हो गई है और यह बात अनुभव से पाई गई। इस पर से यह बात सिद्ध हो गई है कि अब तक पाँच बालकों में जो एक बालक मर जाता था, वह लोगों की आशावधानी, अज्ञानता, और ईश्वरी

इच्छा पर भरोसा रख कर रहनेवाले लोगों के कारण ही हो था । छोटे बालकों की कम उमर में मृत्यु हो, यह ईश्वरी इच्छा है, ससार में आश्यकता से अधिक मनुष्य न रहें, यह ईश्वरी इच्छा है, और इस इच्छा के अनुसार ईश्वर बालकों का सहार करता है, इस प्रकार के विचार जर्मन लोगों के पुराने विचार थे । परंतु ईश्वर की कृपा से अब ये विचार बिल्कुल बदल गए हैं । ईश्वर जिस प्राणी को जन्म देता है उसका बाल्यावस्था में ही नाश हो जाय, यह उसकी कभी इच्छा नहीं होती । साल के भीतर जो बहुत से बालक कराल काल के गाल में चले जाते हैं उसका कारण माता पिता की असावधानी और शुद्ध और ताजा भोजन तथा स्वच्छ हवा पानी न मिलना ही समझना चाहिए । ऊपर बनाई हुई ईश्वरीय इच्छा से उसका बिल्कुल संवध नहीं है यह तत्व अब सब लोग अच्छी तरह समझने लग हैं ।

इस राष्ट्रीय आपत्ति का दूर करने के लिये जर्मनी में अनेक प्रकार की संस्थाएँ स्थापित हो गई हैं और इसके लिये अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं । प्रयत्नों की दिशाएँ चाहे भिन्न भिन्न हों परंतु उन सबों का ध्येय एक ही है और उस ध्येय को साध्य करने के लिये जर्मन सम्राट् और सम्राज्ञी दोनों नेता बने हैं । बर्लिन की विमैस पेट्रियारिक असोसिएशन" (Women's Patriotic Association) को जर्मन सम्राट् ने १५ नवंबर सन् १९०४ के दिन एक पत्र लिख कर भेजा था, उसमें लिखा था—“कम उमर के बालकों की

आरोग्यता के लिये बहुत से लोगों को चिंता लगी रहती है, यह दशा बहुत सोचनीय है। इस दशा का सुधारने के लिये सरकारी अधिकारी और तुम्हारी सस्था के समान परोपकार करनवाली सस्थाएँ जो प्रयत्न करती हैं उनका प्रयत्न सफल हो, यह हमारी हृदय से इच्छा है। तुम्हारे असाभियेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इस काम पर सरकार ने जो लागू नियत किए हैं, उनकी सहायता से यदि तुम काम करने लगोगे तो इस राष्ट्रीय कार्य का सहज ही सफलता प्राप्त होगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है।" उपरोक्त वाक्यों को पढ़ने से यह बात सहज ही ध्यान में आ जायगी कि जर्मन सम्राट् इस ओर कितना ध्यान रखते हैं।

सम्राट् के इस पत्र का कितना अच्छा परिणाम निकला यह बात स्वतः हम लोग आज कल देख रहे हैं। इस काम पर नियत किए हुए सरकारी अधिकारी, डाक्टर, म्युनिमिपलिटियाँ, और लोगों द्वारा स्थापित निज की सस्थाएँ, आदि मिलकर एक दिल से काम कर रही हैं और परस्पर सहायता करने के काम में किसी की ओर से टाल मटोल नहीं होती। छोटे बालकों के लिये भौषधालय, शुद्ध दूध मिलने की दूकानें, और उनकी सेवा शुश्रुषा का कार्य जानने के लिये व्याख्यानो का प्रवचन किया गया है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बालकों की रक्षा का काम उत्तमतापूर्वक हो सकता है उसी प्रकार के उपाय करने का प्रयत्न सरकारी और गैरसरकारी लोग यथाशक्ति करते रहते हैं।

परंतु इस कार्य का बाहरी स्वरूप चाहे कितना ही सुश्रु हो

तो भी इस विषय के समाधान योग्य परिणाम अभी नहीं निकला है। बालकों की रक्षा का यथार्थ काम यदि कहीं हो सकता है तो घरों में माता की गोद में ही हो सकता है। बालको की शारीरिक शक्ति की ओर यदि माता ने दुर्लक्ष्य किया तो लोगों के सोचे हुए उपाय निष्फल हो जाने की ही बहुत अधिक सम्भावना है। इस विषय में यश प्राप्ति की कुजी यदि किसी के पास है तो वह माता के पास है। इस बात को ध्यान में रखकर अनेक स्थानों की म्युनिसिपैलिटियों ने और सर्वसाधारण सस्थाओं ने इस विषय की ओर विशेष परिश्रम करने का कार्य आरम्भ कर दिया है। बिलकुल छोटे बालक के जन्म होने से साल भर तक यदि धरावर अच्छी तरह रखरगारी रक्खी जाय तो फिर आगे उतना भय नहीं रहता। आयु के पहले वारह महीने ही परीक्षा का समय है। ऊपर का दूध पीनेवाले बालकों की मृत्युसंख्या माता का दूध पीनेवाले बालकों की मृत्युसंख्या की अपेक्षा पाच छ गुनी अधिक होती है। अतएव माताओं को अपने बालकों को अपने स्तनों का ही दूध पिलाना चाहिए, यह प्रयत्न बराबर जारी है। परंतु दुःख है कि जहाँ तहाँ यह फ़शन चल पड़ा है कि जहाँ तक हो अपने स्तनों से दूध न पिलाया जाय। यह प्रथा दक्षिण जर्मनी में बहुत फैल गई है। अनेक देशों की मर्दुमशुमारियों में बर्लिन में सरकार ने इस विषय की बहुत कुछ जाँच की है। उस जाँच से यह मालूम होता है कि सन् १८८५ में प्रति हजार में ५५२ बालक माता का दूध पीते थे और ३३९ गाय का दूध पीते थे। परंतु सन् १८९५ में

यह संख्या ४३१ और ४५२ हो गई और सन १९०० में ३३५ और ५१७ हो गई। इस प्रकार पंद्रह वर्षों में मा का दूध पीनेवाले बालकों की संख्या $\frac{३}{५}$ से $\frac{३}{५}$ पर आ गई। नीचे दिए हुए नक्श में बालकों के दूध पीने का जो विवरण दिया है उससे पा हजार मृत्युसंख्या का क्या परिणाम होता है, यह बात प्रगट हाती है—

वर्ष	स्तन पान करनेवाले		ऊपर का दूध पीनेवाले		दोनों तरह से दूध पीने वाले	
	१ मास	२ मास	१ मास	२ मास	१ मास	२ मास
१८९०	२२९	९२६	१४७९	७७४	११५०	८८२
१८९१	२०४५	७५७	१७०७	८९४	१२८०	५४१५
१८९५	२५१६	७३०	११२८	६२९	८८२	५०९
१८९६	१९४	७४०	१११०	५४५	५४२	३८५

ऊपर के नक्शे में जो विवरण दिया हुआ है उसका परिचय क्लोन नगर में सूत्र अच्छी तरह पाया जाता है। उस नगर में बालकों की मृत्युसंख्या बहुत पाई जाती है। वहा हजार स्त्रियों के पीछे ३९८ स्त्रिया अपने स्तनों से बालकों को दूध पिलाती हैं। इसके विपरीत सोलिजन नगर की दशा है जहा मृत्युसंख्या बहुत कम है। वहा पर हजार स्त्रियों में ७०४ स्त्रिया, अपने बच्चों को अपना दूध आप पिलाती हैं।

बहुत से बड़े बड़े नगरों में कुछ तो म्युनिसिपैलिटियों ने और कुछ सर्वसाधारण सस्थाओं ने बालकों के लिये औषधालय खोल दिए हैं। उन औषधालयों में छोटे छोटे बच्चों-की चिकित्सा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अकेले बर्लिन नगर में इस प्रकार के सात औषधालय हैं और ये औषधालय खास तौर पर मजदूरों के मुहल्लों में हैं। हर एक औषधालय में छोटे बालकों के रोगों की चिकित्सा सबधी विशेष शिक्षाप्राप्त एक एक डाक्टर रहता है तथा उसकी देख रेख में और भी कई एक डाक्टर और दाइयाँ रहती हैं। चार्लटनवर्ग नगर में पाच औषधालय हैं। इन औषधालयों से लोगों को यथार्थ में लाभ पहुँचे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बहुत ही उत्तम प्रकार की व्यवस्था सरलतापूर्वक की गई है। इन औषधालयों का मुख्य उद्देश्य यह रक्खा गया है कि जिनके पास द्रव्य-बल नहीं है, जिन्हें दूसरों के दानधर्म पर ही अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है, अथवा जो दूसरों के बालकों का पालन पोषण करनेवाले हैं (Foster parents) उन्हें या व्यभिचार से उत्पन्न हुई सतान आदि को मुफ्त सलाह और सहायता प्रदान की जाय। प्रत्येक औषधालय में रोगी अथवा अशक्त बालक का पालन पोषण किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह बात जो माता-पिता नहीं समझते अथवा जिनके पास द्रव्य का साधन नहीं है, उनको इस कार्य में सहायता प्रदान की जाती है। अपने आप जो माता अपना दूध अपने बालक को पिलाना चाहे उसे भी धन द्वारा सहायता प्रदान

की जाती है और अन्य माताओं को शास्त्रीय ढंग से शुद्ध किया हुआ दूध मुफ्त अथवा कम मूल्य पर दिया जाता है। सहायता पाने के लिये माता की ओर से निवेदनपत्र आने पर पहले पहल इसी बात की जाँच की जाती है कि बालक अपने पिता से उत्पन्न हुआ है अथवा व्यभिचार से। यदि उसका बाप मौजूद है तो वह क्या व्यवसाय करता है। मा बाप की आमदनी क्या है? रहने का घर छोटा है या बड़ा है? उसका किराया क्या है? आरोग्यता की दृष्टि से उस मकान की स्थिति कैसी है? इन बातों की जाच कर लेन के पश्चात् यदि माता सहायता देने योग्य साबित हुई तो उसे मदद दी जाती है। अभी हाल की ही प्रकाशित एक रिपोर्ट से पाया जाता है कि इन औषधालयों से सहायता पानेवाले लोगों में अधिकांश मजदूर लोग ही पाए जाते हैं, अर्थात् ऐसे मजदूरों की 'जिनकी साप्ताहिक आमदनी बास से लेकर तेईस शिलिंग तक होती है, संख्या बहुत है। औषधालयों का समाचार बाप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और जब बालक बीमार पड़ते हैं तब व अपनी पत्नी को वहा सहायता पाने के लिये भेजते हैं। लडी सुपरेंटेंडेंट, पुलिस की सहायता से सहायता पानेवालों को खोजकर उन्हें औषधालयों में जाने की उत्तजना देती रहती है। इस प्रकार मजदूरों को औषधालयों का परिचय प्राप्त होकर लाभ मिलता रहता है। छोटे बालकों को पिलाने के लिये दूध औषधालयों में मुफ्त में या कम दाम लेकर दिया जाता है और अपने आप अपना दूध पिलानेवाली स्त्रियों

को जैसे दिए जाते हैं। इस कारण इस सस्था पर लोग बहुत प्रेम करने लग हैं और जो सलाह डाक्टर लोग वहा लोगों को देते हैं वे उसे अद्दापूवक अक्षरशः मानते हैं। तो भी डाक्टरों की सलाह का पालन किया जाता है अथवा नहीं, यह जानने के लिये सेविकाएँ (Sisters) घर घर घूमती रहती हैं और इस बात की जाच करती रहती हैं कि घरों की स्थिति स्वास्थ्य के अनुकूल है अथवा नहीं, डाक्टरों की सलाह के मुताबिक बालकों की रक्षा का काम हो रहा है या नहीं, यह जान कर वे तुरत उसका प्रवध करती हैं। सेविका को घर ले आने पर भी, डाक्टर की सलाह के अनुसार काम करने पर भी माता को हर आठवें दिन औषधालय में ले जा कर बालकों को दिखाना ही पड़ता है। बर्लिन के मुख्य औषधालय के डाक्टर महीन में एक बार मजदूरों की स्त्रियों के सामन शिशुपालन पर प्रयोग दिखाकर व्याख्यान देते हैं।

बर्लिन के औषधालयों में, रोगी के रहने के लिये व्यवस्था नहीं है। हर्बर्ग के औषधालय में ही सिर्फ यह व्यवस्था दस वर्ष से की गई है। साल में तीन हजार रोगी वहा औषधा-पचार के लिये आ कर ठहरते हैं। चर्लोटनबर्ग में आसन्न-प्रसव स्त्रियों के चार सप्ताह रहने योग्य मकान बनाए गए हैं। इन घरों में चार सप्ताह तक आ कर रहनेवाली स्त्रियों को दूध और भाजन मुफ्त दिया जाता है। म्युनिच में एक अन्न का डिपो है। वहा यदि कोई स्त्री अपने छोटे बालक का लकर जाय और सदर-निर्वाहार्थ अपने पास कोई साधन नहीं है, यह

बात प्रमाणित करने के लिये किसी योग्य अधिकारी का सर्टिफिकेट दिखावे तो उसे दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है। इस प्रकार के परोपकारी काम करने की सरकारी, गैरसरकारी, म्युनिसिपल और सर्वसाधारण संस्थाओं की जर्मनी में इतनी अधिकता है कि यदि उनका वर्णन यहाँ पर किया जाय तो प्रथम बढ जाने का बहुत भय है।

माता और छोटे छोटे बालकों को अच्छा दूध मिलना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु यह काम किस प्रकार हो सकता है, यह प्रश्न सहज ही सामने आ जाता है। जर्मनी की बहुत सी म्युनिसिपैलिटियों ने इस ओर ध्यान दिया है। यह काम पहले पुलिस विभाग के हाथ में था और यह परिपाटी जर्मनी में बहुत दिनों से चली आती थी। परन्तु पुलिस से यह काम सतोषजनक नहीं होता था और जैसा चाहिए वैसा दूध गरीब लोगों को नहीं मिलता था। अतएव लोगों के निवेदन करने पर यह काम पुलिस के हाथ से निकाल कर म्युनिसिपैलिटियों के हाथ में दिया गया। इस कारण अब डाक्टरों द्वारा दूध की अच्छी तरह जाँच की जाकर शुद्ध और बिना मेल का खालिस दूध लोगों को मिलने लगा है। लोगों के निवेदन करने पर म्युनिसिपैलिटियों ने यह काम अपने हाथ में लिया और, इस कारण खराब दूध मिलने की शिकायत बहुत कुछ कम हो गई है। कितनी ही म्युनिसिपैलिटियों ने तो दूध की दुकानें खोल दी हैं जहाँ उचित दामों पर शास्त्रीय ढंग से शुद्ध किया हुआ दूध बालकों और मजदूरों की स्त्रियों को मिलता है। म्युनिसिपैलिटियों

का अनुकरण बहुत से बड़े बड़े कारखानों ने भी किया है। वहा से शुद्ध और खालिस दूध मजदूर लोगों को मिलता रहता है और इन कारखानों के दूध की खपत भी खूब होती है।

औषधालयों अथवा अन्य सस्थाओं में जानेवाले बालकों की, चाहे वे औरस हों अथवा अनौरस हों, सबों की शारीरिक व्यवस्था की ओर सर्वत्र पूरे तौर पर ध्यान दिया जाता है। परतु अनौरस पुत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि साल में जितने बालक औरस मरते हैं उससे दूने अनौरस मरते हैं। जर्मनी में प्रतिवर्ष करीब १७५००० बालक अनौरस उत्पन्न होते हैं। यह संख्या कुल जन संख्या का ग्यारहवा भाग है। अनौरस पुत्र का पाप बनकर अपने पाप कर्म द्वारा उत्पन्न हुए बालक के पालन पोषण का भार उस पर ढाला जाता है, परतु यदि ऐसा न हुआ तो यथाशक्ति उसकी खोज की जाकर, उसे सामने लाने का प्रयत्न किया जाता है। यदि इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त हुई तो बालक उसके सपुर्द कर दिया जाता है। यदि पता न चला तो बालक के बड़े होने तक उसका पालन पोषण किया जाता है।

परतु इतने से ही काम नहीं चलता। बालकों के निरोग रहने के लिये माता का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। बालक उत्पन्न होते ही यदि उसकी विशेष सखरगीरी रकसी जाय तो बहुधा वह अकाल मृत्यु से बच जाता है। परतु इतने से ही काम पूरा नहीं होता। बालक के पेट में आते ही यदि माता के स्वास्थ्य

की ओर उचित ध्यान न दिया जाय तो उसका बुरा परिणाम हुए बिना नहीं रहता। और फिर यदि उसके स्वास्थ्य सुधारने का प्रयत्न किया जाय तो इतने ही से कोई विशेष लाभ नहीं होता और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। गर्भिणी स्त्रियों से कारखानों में हल्का काम लेना ही उचित है। बालक पैदा होने के दिन करीब आने पर तथा बालक पैदा होने के कुछ दिनों बाद तक स्त्रियों को आराम मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था इंडस्ट्रियल कोड में की गई है। परंतु कानून में जो नियम रक्ख गेए हैं वे सकुचित होने के कारण जितना लाभ उनसे हाना चाहिए नहीं होता। इंडस्ट्रियल कोड की १३७ वीं धारा में यह लिखा हुआ है कि जिन कारखानों और कलागृहों का मुआइना (Inspection) सरकारी तौर पर होता है वहाँ पर यदि किसी स्त्री के बालक पैदा हो तो उससे वहाँ चार सप्ताह तक कोई काम न लिया जाय। इसके आगे डाफ्टर का मार्टि फिकेट देख कर काम देने की व्यवस्था की जाय और मजदूरों के "सिकफंड" में से छ महीने तक सहायता दी जाय। परंतु इस प्रकार की सहायता बालक पैदा होने से छ सप्ताह पहले देने तथा वह स्त्री काम करने के लिये असमर्थ है, इस व्यवस्था के करने का काम डाक्टर की राय पर छोड़ा गया है। इस नियम का पालन अभी जैसा होना चाहिए नहीं होता और इसी कारण जैसा लाभ पहुँचना चाहिए नहीं पहुँचता। अत एव इस नियम के चारों ओर प्रचार होने में और उसके पालन होने में जो कठिनाइया हैं, उनको दूर करने का विचार सरकार कर रही है। परंतु इससे गर्भिणी

स्त्रियों को जितना लाभ पहुँचना चाहिए नहीं पहुँचता और न आगे पहुँचने की कुछ संभावना ही है। अतएव लोगों ने वहाँ पर "मदरहुड प्रोटेक्शन लीग" स्थापित की है और इस सस्था द्वारा इस ओर अनेक प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं। लीग ने, इस विषय में, जो बातें सरकार को सुझाई हैं, उन्हें सरकार स्वीकार करेगी, यह बात आज तक के व्यवहार से नहीं पाई जाती। परंतु इससे यह बात स्पष्ट साबित होती है कि इस ओर लोगों का ध्यान कैसा लगा हुआ है और अपनी सतति सुधारने के लिये जर्मन लोग कितना प्रयत्न कर रहे हैं। कानून में आवश्यक सुधार होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता परंतु तो भी वहाँ के लोग हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे नहीं हैं। सर्वसाधारण लोगों के प्रयत्न से गर्भवती स्त्रियों की रक्षा और उनको सुख पहुँचाने का प्रयत्न बड़े बड़े कारखानों के मालिकों ने अपने आप कर लिया है।

चलटनबर्ग में सर्वसाधारण के धन द्वारा "केसरिन आगस्टा विक्टोरिया हाऊस" नाम का एक गृह तैयार कराया गया है। इस गृह की नींव स्वयं जर्मन सम्राट् कैसर ने ३ दिसम्बर सन १९०७ ईस्वी को रखी थी। इस गृह में इन्द्रिय विज्ञान विषयक नवीन शोध का काम होता है। इसके अतिरिक्त बालकों के पालन पोषण का काम शास्त्रीय ढंग से कैसे होना चाहिए, यह भी निश्चित किया जाता है। बालकों के रोगों की परीक्षा करनेवाले डाक्टर और दाइया वहाँ तैयार की जाती हैं। बालकों के आरोग्यता विषयक शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करा देना, उस ज्ञान का प्रचार करना और इस विषय

में जितने शास्त्रीय शोध हुए हैं उनका व्यवहार में किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए, आदि बातों का ज्ञान भिन्न भिन्न सस्थाओं को करा देना ही इस मुख्य सस्था का काम है। बालकों की वृद्धि और रक्षा सबधी जितनी सस्थाएँ जर्मनी में हैं उन सबों को साम्राज्ञी द्वारा स्थापित इस सस्था से बहुत सहायता प्राप्त होती है। उन्हें इस सस्था से शास्त्रीय ज्ञान सहज ही प्राप्त होता रहता है। इस इमारत की नींव रखते समय जर्मन सम्राट् ने यह संदेश भेजा था—“बालकों की वृद्धि के काम में आज तक जो दुर्लक्ष्य रहा है उसका इस सस्था द्वारा लोप हो जायगा और छोटे बालकों का जो हानि पहुँचती थी वह दूर हो जायगी। इतना ही नहीं, वरन नए नए शास्त्रीय शोध होकर बालकों के पालन पोषण का काम स्वाभाविक ढंग से होकर मनुष्य निर्माण करने का उचित उपाय क्या है, इसका भी निश्चय हो जायगा और यह होने से कुसमय कराल काल के गाल में जानेवाले बालकों की रक्षा हो सकेगी।” जर्मन सम्राट् के प्रोत्साहन द्वारा स्थापित इस सस्था की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर मानवी सुधार के लिये इन्द्रिय विज्ञान अथवा अन्य शास्त्रों को मनुष्य को अपने अधिकार में रखना चाहिए इस विषय में जर्मन लोगों का विचार बहुत दृढ़ हो गया है।

जर्मनी के बड़े बड़े शहरों में बड़े घरों की स्त्रिया अपना फुरसत का समय, परोपकारी अथवा राष्ट्रीय कामों में लगाती हैं। इसके लिये उनकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। ईश्वर ने उनकी जितनी बुद्धि दी है उतनी ही से सत्पुत्र

न रह कर जितनी लोकसेवा वे कर सकती हैं करती हैं। इस उद्देश्यपूर्ति के लिये "प्रेपेरेटरी छात्रेज" खोले गए हैं, जहाँ पर वे इस बात के लिये उपयोगी शास्त्रीय और वैद्यक सघर्षी ज्ञान सम्पादन करती हैं। इसके अतिरिक्त "विमेंस पेट्रियाटिक सोसाइटी" के स्त्री सभासद मजदूर स्त्रियों को बालक के पालन पोषण करने और अपनी घर गृहस्थी को व्यवस्थापूर्वक चलायन पर व्याख्यान देती हैं।

जर्मनी के वर्तमान समय की जन्म और मृत्यु संख्या का विवरण देखा जाय तो पता लग जाता है कि जन्म और मृत्यु संख्या में दिनों दिन कमी हो रही है। यदि जन्मसंख्या में आगे भी ऐसी ही कमी होती जाय तो भी उससे राष्ट्र में लोकसंख्या की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि इसी के साथ साथ मृत्युसंख्या भी तो कम होती जा रही है। ऐसी हालत में कुल मृत्युसंख्या में छोटे बालकों की मृत्यु संख्या यदि कम हो जाय तो इससे विना लाभ हुए नहीं रहेगा। इंग्लैंड के संयुक्त-राज्य में भी सौ बालकों में, जितने बालक साल में मरते हैं उसकी अपेक्षा आठ नौ बालक अधिक जर्मनी में मरते हैं। यदि वर्तमान व्यवस्था से वर्तमान समय की हानि ही कम हो जाय तो लोक-संख्या की दृष्टि से जर्मनी का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो जायगा।

परंतु भावी वंश की शारीरिक शक्ति बढ़ाने और उसका फलान करने के लिये जितनी उत्तरदायी ली जानी चाहिए उतनी उत्तरगिरी धार्यावस्था से ही जर्मनी में ली जाती है। बालकों की उमर बढ़ने के

साथ साथ उनकी शारीरिक शक्ति बंदने की खबरदारी रखने के लिये भिन्न भिन्न "एजसियाँ" स्थापित की गई हैं और उनके द्वारा पाठशाला जाने के पहले बालकों को खुली हवा में खेलने और खेलते खेलते बालोद्यान-शिक्षापद्धति द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। बालक जब से पाठशाला में जाने लगता है तब से उसकी शारीरिक व्यवस्था की जिम्मेदारी पाठशाला के अधिकारी पर जा पड़ती है और वे अधिकारी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ कर अपना काम बड़ी ईमानदारी से और ध्यानपूर्वक करते हैं। सात आठ वर्ष के बालक मैले कुचैले कपड़े पहने हुए और कभी नगे उधारे फटे पुराने जूते पहने हुए समाचारपत्र अथवा बच्चों के खिलौने बेचते हुए लड़न की गलियों में पाए जाते हैं परंतु यह हालत जर्मनी में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगी। छोटी उमर में, इस प्रकार के व्यवसाय करने की कानून द्वारा बड़ा रोक की गई है और लोकमत भी ऐसी बातों के प्रतिकूल है। स्वयं माता पिता भी अपने अथवा अपने बालकों के पेटपालनार्थ, ऐसे काम बालकों से कभी नहीं लेते। बालक छ वर्ष का होते ही उसे पाठशाला में जाना ही चाहिए, ऐसा जर्मनी में नियम बना दिया गया है और इस नियम का पालन कड़ाई के साथ कराया जाता है। इंग्लैंड में इस बावत कुछ टालमटोल की जाती है और इसी कारण बहुत से बालक पाठशाला छोड़कर ऊँचे नीचे काम करते हुए पाए जाते हैं। पाठशाला में जाते ही बालक की डाक्टररी जाँच होती है। जाँच होने पर यदि

वह निरोगी और सुदृढ हुआ तो पाठशाला में भर्ती कर लिया जाता है। जब तक बालक पाठशाला में पढ़ता रहता है तब तक बराबर डाक्टर की चस पर नजर रहती है। कितने ही शहर तो इससे भी आगे निकल गए हैं। वहा पर तो आरम्भिक पाठशालों में दंतवैद्यों, और फान व आख की चिकित्सा करनेवाले डाक्टर लोगों को नियत किया गया है। बालकों को क्षय रोग न उत्पन्न हो, इस लिये, आज कल बहुत ध्यान रक्खा जाता है। युवा पुरुषों को यह रोग न हो जाय, इसका प्रबन्ध तो बहुत वर्ष हुए तभी किया गया था और इस प्रबन्ध का परिणाम भी सतोषजनक निकला है। परंतु उस समय बालकों की ओर किसी ने विशेष ध्यान दिया न था। इस आलस्य के कारण बालकों में जब यह रोग दिनों दिन फैलने लगा तभी से म्युनिसिपैलिटियों और सर्वसाधारण सस्थाओं का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। इस शाचनीय स्थिति को दूर करने के लिये वहा बड़े बड़े प्रयत्न हो रहे हैं। क्षय रोग के लिये जो अस्पताल खोले गए हैं, उनमें बालकों के लिये खास तौर का प्रबन्ध किया गया है। यदि कोई शिक्षक क्षयरोग से पीड़ित हुआ तो उसे तुरत पाठशाला से छुट्टी देकर समुद्र के किनारे अथवा इस बीमारी के लिये बने हुए अलग स्वास्थ्यगृहों में ले जाकर रखते हैं। जर्मनी में बालकों को शराब के समान मादक द्रव्य सेवन करने की आदत पड़ी हुई है परंतु अब इसकी रोक के लिये कठिन नियम बनाए गए हैं। बालकों का नाम पाठशाला में लिखे जाते ही मादक द्रव्यों का सेवन करना बालकों के

कोमल शरीर को कितना हानि पहुँचाता है, यह बात बालकों के माता पिता को बताने के लिये छपी हुई "हिदायतें", उन को दी जाती हैं। उन हिदायतों के अनुसार व्यवहार करने का उद्योग बर्लिन शहर में आरम्भ भी कर-दिया गया है।

बालकपन अथवा युवावस्था में खुली हवा में खेलने का जैसा रिवाज इंग्लैंड में है वैसा जर्मनी में नहीं है। पाठशाला में जानेवाले बालक, अथवा इसी प्रकार कारखानों में काम करनेवाले बालक और बालिकाएँ हमेशा अपने काम में चिपटे रहते हैं। परन्तु अब बालक और बालिकाओं के लिये खुली हवा में खेलने के उद्देश्य से जगह जगह पर व्यायामशालाएँ अथवा 'प्ले ग्राउण्ड्स' बना दिए गए हैं। मजदूरों के मुहल्लों के पास खुले मैदान इस काम के लिये छोड़ देने की म्युनिसिपैलिटियों ने व्यवस्था की है।

छोट बालकों की स्वास्थ्य रक्षा और शारीरिक शक्ति बढ़ाने का जो वर्णन अब तक किया गया, उस काम में सबसे अधिक सहायता सोशियालिस्ट लोगों की ओर से प्राप्त हो रही है। राजनैतिक अथवा सामाजिक उन्नति के कामों की ओर सदा ये लोग ध्यान रखते हैं और देशोन्नति के कामों के लिये नई नई कल्पनाएँ सोच कर निकाला करते हैं। उनकी इन कल्पनाओं से समाज को लाभ ही पहुँचता है। अतएव उन्होंने इस ओर ध्यान दिया, यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त म्युनिसिपैलिटियों के कामों में और समाजहित के और जितने काम हैं, उन सबों की ओर उनका ध्यान लगा रहता है। यदि व्यवहारोपयोगी कोई नई कल्पना

किसी के मस्तिष्क से निकली है तो इन्हीं लोगों के मस्तिष्क से, और यह एक अनुभवसिद्ध बात है। राष्ट्र की शारीरिक शक्ति की हर प्रकार से वृद्धि होने का जितना उपयोग सोशियालिस्ट लोगों की ओर से हुआ है उतना और किसी ओर से नहीं हुआ। सोशियालिस्ट पक्ष के नेताओं ने स्वतः परिश्रम करके और समाचारपत्रों की सहायता से जितना काम किया है उतना अन्य लोग नहीं कर पाए हैं और इस लिये उन लोगों का जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा है। इस सवध में उनका प्रतिपादित मत और उनके हाथ से होनेवाला प्रत्यक्ष कार्य, इन दोनों में विलक्षण विरोध है। परंतु इस विरोध के कारण उनके द्वारा होनेवाली देशसेवा के मूल्य में जरा भी अंतर नहीं पड़ता, इस बात को स्वीकार करना पड़ता है।

मजदूरों की शारीरिक शक्ति बढ़ाकर उनके शरीर में विशेष कार्यक्षमता उत्पन्न करने के उद्देश्य से बीमा कंपनियों को स्थापित करने के लिये कानून बनाकर जर्मनी में भिन्न भिन्न संस्थाएँ और सार्वजनिक हित के लिये सर्वसाधारण द्वारा स्थापित संस्थाएँ कितना उत्कृष्ट काम कर रही हैं, यह बात पिछले किसी अध्याय में विस्तारपूर्वक बताई जा चुकी है। इस अध्याय में बालकों की शारीरिक शक्ति बढ़ाने का विवरण दिया गया है। इस प्रकार दोनों ओर जर्मनी में कैसा प्रयत्न हो रहा है, यह बात साफ मालूम हो जाती है। इस सवध में जर्मन लोग कितना बड़ा राष्ट्रकार्य संपादन कर रहे हैं, यह बात ध्यानमें आ जाती है। उद्योग युग के आरंभ में मजदूरों से कस कर काम लेने की प्रवृत्ति कारखाने

वालों और व्यापारियों में देखी जाती थी। उचित से अधिक समय तक काम करके कम मजदूरी का मिलना, गढ़ स्थानों में बने हुए कारखाने और कलागृह, स्त्री और बालकों से घनकी शक्ति से अधिक काम लेना, मजदूरों के हर एक स्थान पर बने हुए घर में दुःखदायी बातें, अल्प औद्योगिक देशों में जैसी थीं वैसीही आरम्भ में जर्मनी में भी पाई जाती थीं।

परन्तु इन हानिकारक बातों को दूर करने का प्रयत्न कर जर्मन लोगों ने उन्हें दूर हटा दिया है। इस ओर जितना ध्यान जर्मन लोगों ने दिया है उतना अन्य राष्ट्रों ने कभी नहीं दिया। सन् १८८१ के आरम्भ से अर्थात् समाजसुधार के युग का आरम्भ होने से इस ओर उन्होंने बहुत जोर के साथ अपना कार्य आरम्भ किया। इसका परिणाम यह निकला कि मजदूरों की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई है। बोमा के कानून की वाक्यत, एक अधिकारी पुरुष ने यह कहा था “बोमा के कानून से तो विशेष लाभ हुआ वह यह कि “पुअर रिलीफ” के भरोसे पर न रहकर ‘बोमा फंड’ में स्वतः के पैसे देकर मजदूरों को आपत्काल में धन पान का अधिकार उत्पन्न हो गया है। जर्मनी में जो यह व्यवस्था की गई है वह कभी बद होगी, ऐसा मुझे नहीं विश्वास है। मजदूर लोग किए हुए उपकार को याद नहीं रखेंगे, यह कह कर सरकारी कानून को हँसनेवाले बहुत से लोग हैं परन्तु उनसे हमारा इतना ही निवेदन है कि कोई भी सरकार केवल लोगों की कृतबता

संपादन करने के लिये राज्य में कानून नहीं जारी करती है। इसक अतिरिक्त इन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि सन १८८१ में जो रोजकीय घोषणा प्रसिद्ध हुई थी उसके बाद, यदि मजदूरों की स्थिति सुधारने का बिलकुल प्रयत्न न किया जाता तो क्या आज उद्योग-धर्मों की वृद्धि हो कर मजदूर लोगों को सतृप्त रखने का कार्य संपादन हो सकता था ?”

इंग्लैंड के कल कारखानों के कानून की अपेक्षा जर्मनी में इन कानूनों में बहुत कुछ सरलता रखी गई है। उसक अनुसार छोट बालकों के काम करने के घंटों में कमी की गई है। इतना ही नहीं, वरन उनका स्वास्थ्य ठोक रह, काम करते समय उन्हें कष्ट न हो और न उनके जीवन पर कोई सफट आ सपास्थित हो, इन विषयों का भी कानून में जरूरत से ज्यादा ध्यान रक्खा गया है ऐसा बहुत से लोगों का आक्षेप भी है। पर आक्षेप करनेवाले बहुधा कारखानेवाले लोग ही हैं। वे समझते हैं कि मजदूरों को अधिक सुभीते देने से हम लोगों को आवश्यकता से अधिक घन स्वर्ध करना पड़ता है। परतु केवल अपने लाभ हानि को न देख कर यदि इस प्रश्न का दूर दृष्टि से विचार किया जाय ता पाया जाता है कि इस व्यवस्था से मजदूरों और कारखानेवालों दोनों का हित-साधन होता है, और इसीलिये सरकार न मजदूरों के सरक्षणार्थ कानून बना दिया है और यदि आवश्यकता हो तो उसमें और भी सुधार करने के काम में भी सरकार आगा पीछा नहीं करेगी।

सत्रहवाँ अध्याय ।

राष्ट्र का विस्तार ।

फ्रेंच लोगों के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात् जर्मनी ने पश्चिम की ओर अपनी सीमा कायम कर के यह निश्चय किया कि जर्मन राष्ट्र को जितने राज्य की आवश्यकता थी वह उसे प्राप्त हो चुका, उससे अधिक प्राप्ति की अब इच्छा न करनी चाहिए और सतोपपूर्वक देशोन्नति का कार्य संपादन करना चाहिए । प्रिंस बिस्मार्क के मतानुसार ही "फारिन मिनिस्टर" द्वारा पर राष्ट्रों से व्यवहार होने लगा । जर्मन राष्ट्र का विकास होने से अन्य राष्ट्र उसे सशय की दृष्टि से देखने लगे । परंतु उनका सशय अथवा भय अस्थायी है, यह बताने के लिये ही प्रिंस बिस्मार्क ने वनावटी सतोपवृत्ति स्वीकार की, यह कहानिहीं जा सकता । क्योंकि देश में शांति स्थापित करने और जर्मन सीमा को दृढ़ बनाने अथवा जर्मन राष्ट्र को वैभवशाली करने के काम में अन्य राष्ट्र बीच में विघ्न उपस्थित न करें, वस यही जर्मन लोगों की इच्छा थी । इसके अतिरिक्त उन्हें और कोई इच्छा नहीं है, इस बात का उन्हें दृढ़ विश्वास था । जब तक प्रिंस बिस्मार्क के हाथ में जर्मनी का राजसूत्र रहा और वे अपनी जिम्मेदारी पर सब काम करते रहे तब तक जर्मनी का सब राष्ट्रों के साथ थिलकुल पेसा ही व्यवहार बना रहा ।

“ सारे ससार पर आक्रमण करने की राजनीति ” (World policy) ये शब्द बिस्मार्क के मुँह से निकलते हुए शायद ही किसीने सुने हों । परराष्ट्रीय राजनैतिक विषयों में नए स्नेह-भाव के उत्पन्न करने और पुराने झगड़े को मिटाने में ही उन्होंने अपना बहुत सा समय खर्च किया । परंतु उस समय ये राजनैतिक मामले यूरोप के पाँच छ राष्ट्रों तक ही परिमित थे । क्योंकि यूरोप के बाहर यूरोपियन राष्ट्र-मध्य विशेष ध्यान नहीं देते थे । जर्मनी के पास भी उपनिवेश हों, ऐसी इच्छा बिस्मार्क की न थी । परंतु सन् १८९० के आरंभ में, लोगों के बहुत आग्रह करने पर, इस विषय की ओर भी उन्होंने अपना मन लगाया और इस कार्य को संपादन करने के लिये जब उन्होंने समुद्र पार अपनी दृष्टि पेशी तब उपनिवेशों को स्थापित करने की ओर उनका ध्यान गया । परंतु उनके राज्याधिकारारूढ रहने तक, इस कार्य को “ वन्डे पॉलिसी ” का स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था । परंतु यह कहने में कुछ हर्ज नहीं है कि जब उस कार्य को यह स्वरूप प्राप्त हुआ तब जर्मन राष्ट्र ने बिस्मार्क की राजनीति को एक ओर रग दिया ।

आर्जेंटिना की परराष्ट्र संधी नीति की कल्पना का स्वरूप ही भिन्न है । यूरोप की पुरानी कल्पना को यदि हम वर्तुलाकार मान लें तो यह कहना ही बहुत उचित होगा कि बिस्मार्क के समय में यूरोप खूब इस वर्तुल का केंद्र था परंतु अब वह उसके पृष्ठ भाग पर जा कर पहुँच गया है । यूरोपियन राष्ट्रों में विशेष महत्व का प्रश्न जो आकर उपस्थित

हुआ है वह पूर्वी राष्ट्रों और वहाँ के लोगों का भविष्यत् में कैसा स्वरूप होना चाहिए, यह है। पश्चिमीय, यूरोप की लोकसंख्या पहले की अपेक्षा भौगोलिक और सापत्तिक मर्यादा से अधिक बढ़ गई है। ससार के अन्य भागों में अपने यहाँ के घने हुए कारखानों का पछा माल भेज कर, उसके बदले में वहाँ की कृषि पैदावार अनाज अपने यहाँ ले जाने का कार्य बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। इस प्रकार क्रय विक्रय द्वारा बड़े पैमाने पर नए नए बाजारों को जिस तरह हस्तगत करने का प्रयत्न हो रहा है उसी प्रकार वहाँ पर बढ़ा हुई लोकसंख्या को भी स्थान मिलेगा इसमें संदेह ही क्या है। ये और इसी प्रकार के अन्य विचारों के कारण पुराने राजनैतिक सिद्धांतों को आज कल एक नया ही स्वरूप प्राप्त हो गया है और यूरोपियन राजनीति सारे ससार में व्यापक हो रही है। अतएव नवीन युग की राजनैतिक कल्पना को जर्मन लोगों ने जो स्वीकार किया वह भी अनिवार्य दैवी इच्छानुसार ही हुआ है, यही कहना चाहिए।

आज कल सारे ससार में व्यापक राजनीति को जिसे जर्मन भाषा में "वैल्ट-पोलिटिक" (Welt-Politik) कहते हैं, जर्मनी ने केवल राजकीय उद्देश्य से स्वीकार किया है, यह बात अन्य देश के राजनीति-विशारदों को मालूम हो, यह एक स्वाभाविक बात है। यूरोप के भिन्न भिन्न राष्ट्रों की शक्ति से, आज कल जो एक प्रकार की समान शक्ति (Balance of Power) का भाव पैदा हो गया है उसे तोड़ डालना अथवा नष्ट कर देना ही जर्मनी का मुख्य उद्देश्य है। इस

उद्देश्य की पूर्ति होते ही राज्य-विस्तार की ओर जर्मनों का ध्यान आकर्षित होगा, ऐसा अन्य यूरोपीय राष्ट्र कहते हैं और अपनी इस कल्पना को सच्चा समझ कर वे यह बात सिद्ध करने हैं कि उपनिवेशों की वर्तमान व्यवस्था जर्मन लोगों को उचित नहीं जान पड़ती और उसमें फेर फार करने का उन्होंने हृदय निश्चय कर लिया है। परन्तु इन सब बातों पर विचार करने का यह समय नहीं है। जर्मनी की सच्ची स्थिति क्या है, इसका सरलतापूर्वक विचार करने से ही उस देश की सापत्तिक स्थिति आँखों के सामने धार खड़ी होती है। उसका सच्चा स्वरूप ध्यान में आते ही उसे यह विश्वास होने लगता है कि अपना अधिकार सभार के अन्य भागों पर अवश्य होना चाहिए। जर्मन लोगों को जो यह आशा होने लगी है, उसका मुख्य कारण उसकी सापत्तिक स्थिति है। नीचे दिए हुए नकशे को देखने से यह पता लग जाता है कि सन् १८७१ से १९०७ तक जर्मनी में लोकसंख्या किस प्रकार से बढ़ती गई।

वर्ष	लोक संख्या	बढ़ती हुई संख्या	प्रति सैकड़ा
१८७०	४,०८,१८,०००		
१८७५	४,२७,२९,०००	१९,११,०००	४७
१८८०	४,५२,३६,०००	२५,०७,०००	५९
१८८५	४,६५,५८,०००	१६,२२,०००	३६
१८९०	४,९४,२८,०००	२८,७०,०००	५५
१८९५	५,२२,८०,०००	२८,५२,०००	५८
१९००	५,६३,६७,०००	४०,८७,०००	७८
१९०५	६,०६,४१,०००	४२,७४,०००	७६
१९०७	६,१६,९७,०००	१०,५६,०००	..

इस बढ़ती हुई लोक संख्या ने जर्मनी में बड़ी चिंता उत्पन्न कर दी। जर्मनी को शांत-वृत्ति धारण करना चाहिए यही बिस्मार्क ने उपदेश दिया था। अतएव उसी नीति का अवलंबन करते हुए, दूसरे देशों की ओर घिना आंख उठाए ही अपने देश की उन्नति करते हुए उनकी लोकसंख्या दो करोड़ बढ़ गई। वर्तमान समय में भी प्रति वर्ष ८ लाख से अधिक जर्मनी में आवादी बढ़ जाती है। मृत्युसंख्या और खास कर छोटे बालकों की मृत्युसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है अतएव थोड़े दिनों में ही यह संख्या प्रति वर्ष दस लाख तक पहुँच जायगी। एक जर्मन अधिकारी ने तो यहाँ तक कह डाला है कि सन् १९२५ में जर्मनी की लोकसंख्या ८ करोड़ तक पहुँच जायगी। अर्थात् जिस समय प्रिंस बिस्मार्क ने राज्य विस्तार न करने का उपदेश दिया था तब से यह संख्या दूनी से अधिक हो जायगी। उसने यह भविष्य हरत डरत बहुत कम कहा है, क्योंकि ऊपर दिए हुए विवरण को देखने में यही बात प्रतीत होती है।

उपरोक्त दशा को ध्यान में रख कर अब जो प्रश्न उपस्थित होता है उसका स्वरूप भौतिक और सांपत्तिक है। इतने लोगों को रहने के लिये स्थान कहा से आए ? उनको कौन सा व्यवसाय दिया जाय ? और उनके पेट पालनार्थ कौन सी व्यवस्था की जाय ?

जर्मनी की लोकसंख्या प्रति वर्ष तेरह बढ़ रही है। उसकी यह वृद्धि इंग्लैंड के संयुक्तराज्य, आस्ट्रिया-हंगेरी, इटली और फ्रांस, इन सब देशों की लोकसंख्या की वृद्धि के

लगभग घराघर है। इतने लोगों का जीवित रह कर उनका जीवन उनके शारीरिक श्रम द्वारा चरितार्थ होना चाहिए। जन्म के साथ ही बालकों का गला घोट कर मार तो डाला नहीं जा सकता। यदि आगे भी इसी प्रकार शीघ्रता के साथ जर्मनी की लोकसंख्या बढ़ती जायगी तो जर्मनी को उसकी व्यवस्था करने के लिये केवल दो मार्ग हैं। पहला मार्ग व्यवसाय वाणिज्य को शीघ्रता के साथ बढ़ाना और दूसरा मार्ग लोगों को देश त्याग कर बाहर जाने को कहना है। सब प्रकार से वर्तमान दशा को देखते हुए व्यावहारिक दृष्टि से यह दूसरा मार्ग ही लोगों के सामने उपस्थित करना पड़ता है। जर्मन राष्ट्र के जीवन काल में ये कठिनाइयाँ आ कर उपस्थित हो गई हैं—“सतति की वृद्धि, मर्यादित देश, प्राकृतिक पदार्थों की कमी, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाहवा, सजदूरी पर निर्वाह करनेवाले लाखों लोगों के पेट पालने की व्यवस्था करने की अयोग्यता।” इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये भी केवल दो मार्ग हैं—(१) पड़ोसी प्रांत अथवा सीमा पर समुद्र को पाट कर नई जर्मनी स्थापित करना, और जिन लोगों को पुरानी जर्मनी में पेट भर खाने को नहीं मिलता उनके लिये वहाँ उचित व्यवस्था कर देना। अथवा (२) यदि यह संभव न हो और लोगों को देश में रहने के लिये ही बाध्य होकर उद्योग धर्मों द्वारा अपना निर्वाह करना पड़े तो जर्मन कारखानों का तैयार किया हुआ माल विदेश भेज कर उसके बदले में अन्य देशों से अनाज लाकर पेट भरने का उपाय करना। किसी देश में प्रजात्पत्ति विपुल

हो कर भौतिक मर्यादा के बाहर वृद्धि होने से उस देश की जैसी कठिन अवस्था हो जाती है वैसी ही कठिन अवस्था इस समय जर्मनी की हो गई है ।

वर्तमान समय की अपेक्षा, देश में लोगों का पेट भरने के लिये अधिक अनाज पैदा किया जा सकता है तो भी उससे सब लोगों का उदर-निर्वाह नहीं हो सकता । सरकार कृषि की उन्नति के लिये कानून कायदे बनावेगी । सरक्षक कर नीति की व्यवस्था करके कृत्रिम उपायों से अन्य देशों की अपेक्षा जर्मनी में अनाज का भाव बढ़ा देगी, परंतु इतने से ही अनाज की बढ़ती हुई मांग का पूरा होना बहुत कठिन है । एक पिछल अध्याय में बताया जा चुका है कि जब तक किसानों की कठिनाइयां बनी हुई हैं तब तक थोड़ा खर्च करके खेती का व्यवसाय करना जर्मनी में संभव नहीं है, और रूस अथवा अरजेंटोइन में कम खर्च करके खेती करनेवालों के मुकाबले में जर्मनी के कृषक ठहर नहीं सकते । बहुत हुआ तो कुछ दिनों के लिये देश के देश में ही अनाज इकट्ठा करने का प्रबंध किया जा सकता है । चाहे कुछ भी हो अंत में उन्हें विदेश से अन्न लाना ही पड़ेगा । परंतु इसमें भी एक कठिनाई है । विदेशी अनाज पर सरक्षक कर लगा देने से लोगों को सस्ते भाव पर माल नहीं मिलेगा, और यदि यह कर उठा दिया जाय तो देश में सस्ता अनाज तो विक्रान्त लगेगा, परंतु जर्मन लोग उस सस्ते अनाज के मुकाबले में अपने अनाज के उचित मूल्य न पा सकेंगे, और इस आपत्ति से छुटकारा पाने के लिये लोग खेती करना छोड़ कर उद्योग धर्मों की ओर अपना मन लगावेंगे ।

प्रति वर्ष की बढ़ती हुई लोकसंख्या को यदि कृषि के आश्रय से जीवन व्यतीत करते न बने तो व्यवसाय और व्यापार की उन्नति करके परिश्रम द्वारा लोगों को पेट भरने का मार्ग विस्तीर्ण कर देना चाहिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि लोगों का उत्कृष्ट ढंग की खेती करने का ध्येय परित्याग कर देना चाहिए। परंतु यदि जर्मन लोगों को ऐसा करना पड़ा तो प्रति वर्ष दस लाख बढ़ती हुई आबादी को रहने के लिये जगह कहा से प्राप्त होगी ? आज कल जर्मनी में प्रति वर्ग मील जमीन में तीन सौ मनुष्य वास करते हैं इससे पहले सन् १८०७ में यह संख्या दो सौ थी। इंग्लैंड और वेल्जिचम के समान वाणिज्य और व्यवसाय में उन्नतिशील राज्यों की आबादी प्रति वर्ग मील ६०० है। स्वयं जर्मनी के भी कई प्रांतों में यह संख्या तीन सौ से कहीं अधिक पाई जाती है। साक्सनी, ड्रूइनलैंड और वेस्टफालिया में प्रति वर्ग मील आबादी ७८०, ६२०, ४६२ है। यह आबादी उन्हीं प्रांतों की है जहां उद्योग धंधों का जोर है। परंतु सारे देश का विचार करने से इस आबादी का परता कुछ विशेष अधिक नहीं है।

उद्योग धंधों की उन्नति के साथ ही साथ विदेशी बाजार भी हाथ में आना चाहिए, और जितना अनाज बाहर से खरीदा जावे उतना ही माल तैयार करके बाहर भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। केवल माल तैयार करने की व्यवस्था कर देने से ही काम नहीं चलता। उस माल को बिक्र कर घन प्राप्त करने का भी प्रबंध होना चाहिए।

परतु वे राष्ट्र जो व्यवसाय वाणिज्य में फँसे हुए थे जर्मनी की वाणिज्य व्यवसाय संबंधी नीति और व्यवस्था को देख कर अपने भावी कार्य-क्षेत्र को ठीक ठाक बनाए रखने की चिंता में लीन हो गए हैं। वे सोचने लगे हैं कि सत्कार के बाजार में अब जर्मनी से मुकाबला किए बिना काम न चलेगा। कोई भी व्यापारी अपने स्वतः के लाभ के लिये अपना व्यापार बहुत दूर तक फैलाकर यथासंभव उससे लाभ उठाता है परतु यदि सारे राष्ट्र को लाभ पहुँचाना हो तो फिर तो हजारों लोगों को दूर दूर देशों में जाकर वहाँ के बाजारों में अपना प्रभाव जमाना ही चाहिए, और ऐसा करने में ही वह राष्ट्र जीवित रह सकता है। अतएव जर्मन राष्ट्र में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होना प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों को भयानक प्रतीत हो तो इसमें आश्चर्य की कान सी बात है।

अब दूसरा मार्ग है देशत्याग। यह मार्ग विशेष श्रयस्कर है, यह बात जर्मन लोग जानते हैं। परतु इस मार्ग में जर्मनी के सामने बहुत सी कठिनाइयाँ उपस्थित हैं। क्योंकि उपनिवेश सबंधी मामलों में जर्मन राष्ट्र बहुत पीछे अन्य राष्ट्रों के साथ शामिल हुआ है। और जो उपनिवेश उसके अधिकार में हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जहाँ यूरोपियन लोग निवास नहीं कर सकते। ब्रिटिश राज्य के कनाडा और आस्ट्रेलिया के समान उपनिवेश जर्मनी में एक भी नहीं है। जर्मन उपनिवेश, जर्मन सम्राट् के संरक्षण और अधिकार के देश (Protectorates and dependencies) कहलाते हैं। वहाँ के सारे राज्य-सूत्र और राज्याधिकार सम्राट् द्वारा नियत

किए हुए मनुष्य के हाथ में रहते हैं। जर्मन लोगों का वहाँ स्थायी रूप से जाकर रहना कठिन काम है। क्योंकि वहाँ की आबोहवा गरम और उनके अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त वहाँ के मजदूरों को काम पर लगा कर वागवगीचा करने योग्य क्राफ्री जमीन भी नहीं है। हाँ, यदि कहीं उनके काम लायक जगह है तो नैर्ऋत्य अफ्रीका में। वहाँ डमारालैंड और नॉमालैंड (Damaraland and Nomaland) में बहुत सी जमीन उपजाऊ पाई जाती है, और आबोहवा भी समशीतोष्ण होने के कारण वहाँ पर जर्मन लोगों को जा कर बसने में बहुत सुभीता है। दक्षिण अफ्रीका की कैप-कॉलोनी में जाने लोग जाकर बस सकते हैं वतने ही लोग नैर्ऋत्य अफ्रीका में जाकर आनाद हो सकते हैं। जर्मन कालानियल सेक्रेटरी ने भी इस अवध में अपना अनुकूल मत प्रकट किया है। परन्तु वहाँ स्थानिक सम्पत्ति कितनी है और कौन कौन सी है इसका विवरण जानने बिना उपरोक्त मत ठीक है या नहीं यह बताना कठिन है। अतएव जर्मन लोगों को अधिकता के साथ उपनिवेशों में जाकर वास करना कुछ अधिक सुगम कार्य नहीं प्रतीत होता। इसका परिणाम यह होता है कि जो जर्मन लोग दश छोड़ विदेश जाते हैं उनको अपने देश को अतिम राम राम करके जाना पड़ता है, और इस प्रकार कार्य होने से जर्मनी को बलही हानि ही उठानी पड़ती है। सन् १८७६ से सन् १९०६ तक अर्थात् तीस वर्षों में साठे वाइस लाख जर्मन देश छोड़ कर विदेश चले गए। इनमें से बहुतों ने परराज्य और खास कर संयुक्त राज्य

अमेरिका में जाकर अपना घर बनाया । सन् १८८७ से १९०६ तक जो जर्मन लोग विदेश चले गए वे नीचे लिखे राज्यों में जाकर आवास हुए ।

सयुक्त राज्य अमेरिका	१०,०७,५४१
ब्रेजील	२४,०७२
अमेरिका के अन्य प्रांत	३६,१८४
आस्ट्रेलिया	५३९०
अफ्रीका	९६९८
एशिया	२२३३

कुल १०८१११८

इतने लोगों का देश छोड़ कर चला जाना राष्ट्र के लिये कितना हानिकारक है, यह बात सब जर्मन देशाभिमानि लोग जानते हैं । इस दुःखद और शोचनीय स्थिति को दूर करने के लिये उपनिवेशों को बसाना ही चाहिए, यदि यह विचार जर्मन लोग करने लगे हैं तो उस देश के लोगों को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए । सन् १९०८ के पहले ६ वर्षों में विदेश जानेवालों की संख्या में कमी हुई है अर्थात् ६ वर्ष में केवल ३० हजार मनुष्य विदेश गए परन्तु बीस वर्ष पहले यह संख्या प्रति वर्ष एक लाख से अधिक थी और इससे भी कुछ दिन पहले यह संख्या प्रति वर्ष दो लाख से भी अधिक थी । परन्तु पुनः यह प्रवाह फिर न बहेगा, यह इस समय कौन कह सकता है ?

परन्तु केवल यूरोप में ही जर्मन राष्ट्र की सीमा बढ़ाने

से, जर्मनी पर आया हुआ यह सफट टल जायगा, यह संभव नहीं है। जर्मनी में एक भाव यह भी पैदा हो गया है कि ससार भर में फैले हुए जर्मन लोग जर्मन सम्राट् के अधिकार में होने चाहिए और इस आंदोलन को 'पान-जर्मनिक' आंदोलन कहते हैं। परंतु इस आंदोलन का ध्येय सामने रखकर परिणाम कुछ भी हो परंतु यह बात स्पष्ट है कि बढ़ती लाकसख्या की कठिनाई जो आकर उपस्थित हुई है, वह इस आंदोलन से दूर नहीं हो सकती। हा, इस समय यह कल्पना अवश्य की जा सकती है कि आस्ट्रो हंगेरियन राज्य में जर्मन भाषाभाषी जितने लोग हैं, वे उस राज्य की अपेक्षा अधिकतर उत्तरी राज्य (जर्मनी) से आकर सम्मिलित हो सकेंगे। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका तो दूर की बात है, पटोसी स्विट्जरलैंड में जाकर वसे हुए जर्मन भी पुनः अपने देश में आकर रहेंगे अथवा नहीं इसमें भी संदेह है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत के अनुसार राज्य विस्तार करने में आबादी का प्रश्न जो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है, उससे छुटकारा कैसे होगा? और जो सापतिक कठिनाइयाँ इस समय आकर उपस्थित हुई हैं, उनका निपटारा कैसे किया जा सकेगा?

दक्षिण ब्रेजिल में जो "जर्मन सेटलमेंट" है उसी प्रकार की सम शीतोष्ण आवाहवा में जर्मन लोगों को अपने अधीनस्थ अफ्रीका प्रदेश में "सेटलमेंट" स्थापित करना चाहिए। यह कल्पना अब जर्मनों में विशेष जोर पकड़ती जाती है और इस कल्पना के अनुसार कार्य आरंभ होते ही जर्मनी का प्रभाव, कर्तृत्व शक्ति, और व्यापार का प्रसार बढ़ा पर

शीघ्रता के साथ होने लगेगा । एक जर्मन लेखक ने लिखा है कि—“समुद्र पार का यदि कोई देश किसी राष्ट्र के अधिकार में आ जावे और उस देश में अपने यहां की अधिक आवादी को आश्रय प्राप्त हो जाय तो इतने से ही कार्य सिद्ध हो गया यह समझना भूल है । क्योंकि ऐस देश के केवल अधिकार में आ जाने से ही उस राष्ट्र की शक्ति नहीं बढ़ जाती । आस्ट्रेलिया, क्रेनेडा और दक्षिण अफ्रीका आदि उपनिवेशों के अंगरेजों के अधिकार में होने से ही अथवा इंग्लैंड से गए हुए हजारों लोगों के वहां बस जाने से ही, इंग्लैंड की शक्ति नहीं बढ़ गई । तो फिर इंग्लैंड की शक्ति किस तरह पर बढ़ी ? उस देश में व्यापार करके इंग्लैंड ने अपनी सापतिक शक्ति को बढ़ाया और उस सापतिक शक्ति की सहायता से अपने शत्रु से वचाव करने की शक्ति प्राप्त की । जिन उपनिवेशों से यह लाभ प्राप्त नहीं होता वे उपनिवेश नीचे दर्जे के हैं और जिन देश से मुख्य राष्ट्र को इस प्रकार का लाभ अथवा महत्व प्राप्त नहीं होता उस देश को ‘उपनिवेश’ नाम देना ही उचित नहीं है । परंतु यह बात अवश्य है कि उन देशों से भी जो कार्य निकलता है वह उपनिवेशों के कार्य की बराबरी का होता है, यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए ।”

वर्तमान समय में जर्मनी की दृष्टि ब्रजिल, आरजेंटाइन और एशिया-माइनर इन तीन देशों की ओर है । इन तीन देशों में जर्मन व्यापार को कितना यश प्राप्त होगा यह बात भविष्यत् के गर्भ में छिपी हुई है । अतएव यहां उस विषय पर वाद

विवाद करने से कुछ लाभ नहीं है। व्यापार को किसी नई जगह पर जमाना कितना कठिन है, यह जर्मन लोग जानते हैं। बगदाद रेलवे तैयार होते ही नए बाजार की कुर्जी अपने हाथ में आजायगी और फिर शीघ्रतापूर्वक अपना व्यापार वहाँ फैल जायगा, इस बात का जर्मन लोगों का बहुत विश्वास है। उनकी यह कल्पना छिपी हुई अथवा अज्ञात नहीं है। एक जर्मन लेखक ने ता इस विषय में यहाँ तक लिख दिया है कि—“टर्कीश एशिया में, जर्मनी को भविष्यत् में बहुत कुछ लाभ प्राप्त होना सम्भव है। अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के समान, टर्की के यूरोप, एशिया-और अफ्रीका के राज्यों के टुकड़े टुकड़े कर डालने का इरादा जर्मनों का नहीं है। टर्की राज्य की एक हाथ भर भी जमीन हमें नहीं चाहिए। हम तो कवल यही चाहते हैं कि एशिया माइनर में हमारे लिये व्यापार का बाजार खुला रहे, हम अपने उद्योग धर्मों की उत्पत्ति के लिये वहाँ से कच्चा माल ला सके और हमारे देश का उना हुआ माल वहाँ के बाजारों में बराबर बिकता रहे। परन्तु इसी के साथ हम यह भी नहीं चाहते कि अन्य राष्ट्रों को वहाँ पर व्यापार करने की राह टोक दी जाय, वरन् हम तो यह चाहते हैं कि हमारे ही समान अन्य राष्ट्रों के लिये भी वहाँ मुक्त वाणिज्य के सिद्धांत का पचार बना रहे।” परन्तु इस विषय में जर्मन व्यापारी मण्डल की क्या राय है, यह भी जान लेना चाहिए। “कलोन गजट” में इस संबंध एक बार यह प्रकाशित हुआ था—“बगदाद रेलवे का अर्थ टर्की की दृष्टि

से तो यह है कि अन्य राष्ट्रों के व्यापार के लिये अपना एक प्रात खोल देना और जर्मन दृष्टि से उसका अर्थ यह है कि जर्मन मूल धन और व्यापार को एक नया क्षेत्र प्राप्त होना और वहा अपनी योग्यता का लोगों को परिचय देना । जर्मने व्यापारियों ने बगदाद रेलवे तैयार करने के लिये भ्रमज और फ्रेंच व्यापारियों से बहुत कुछ सहायता चाही परंतु उन्हें इस कार्य में यश प्राप्त नहीं हुआ । दूसरे दश के लाभ को हानि पहुँचेगी, यह तर्क उपस्थित करके एशिया-माइनर से अपना हाथ खींच कर जर्मनों पर इसका वार डालना हास्य-जनक बात है । जर्मन माल को विदेश में खपाना, और इसके लिये बाजार ढूँढ निकालना यह काम जर्मनी ने ससार के अन्य देशों में भी अब तक किया है और टर्की में भी वह जो कुछ काम करना चाहती है वह इतना ही है ।" इसके बाद २४ मार्च सन् १९०८ को स्टेट सेक्रेटरी वान शून ने राइशटिंग में यह कहा था—'जर्मन लोगों ने बगदाद रेलवे बनाने का जो कार्य हाथ में लिया उसमें बहुत सा धन खर्च हो गया । अतएव जिस जिस प्रांत से होकर वह रेलवे जायगी उस उस प्रांत का व्यापार जर्मन लोगों के हाथ में रहेगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है । परंतु रेलवे के कारण को सम्मुख रख कर उस उस प्रांत में राजनैतिक कार्यों का आरम्भ करना अथवा भविष्यत् में उसे अपना उपनिवेश बनाना, यह आक्षेप जो लोग जर्मनी पर करते हैं, यह केवल उन लोगों के मन की कल्पना मात्र है ।"

ऊपर जो अवतरण बगदाद रेलवे के संघर्ष में दिए

गए हैं, उनसे धगदाद रेलवे का स्वरूप क्या है, यह बात पाठकों के ध्यान में आ गई होगी। परंतु इस विषय में एक प्रश्न हमारी समझ में और आता है जिसकी ओर जर्मन राजनीतिज्ञों को अवश्य ध्यान देना चाहिए। वह प्रश्न एक जर्मन सज्जन के कल्पनानुसार यह है कि सुकाल के समय इस नवीन रेलवे द्वारा एक टन (२८ मन) अनाज चार पौंड पाच शिल्लिंग के भाव से जर्मनी में आकर पहुँचेगा। अतएव अनाज की इस आमद का जर्मन किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? व्यवसाय वाणिज्य और कृषि कार्य में जो विरोध वर्तमान समय में मौजूद है क्या इस कार्य से यह विरोध और अधिक न बढ़ेगा ? हमारी दृष्टि में यह प्रश्न बड़े महत्त्व का है। परंतु इस प्रश्न का निर्णय करना जर्मन राजनैतिक पुरुषों का काम है, हमें इस प्रश्न पर विचार करने से कोई लाभ नहीं है।

एशिया माइनर अथवा संसार के अन्य भागों में इस पद्धति द्वारा केवल व्यापार के लिये यदि जर्मनी ने प्रयत्न किया तो उसके साथ किसी दूसरे देश का विरोध करने अथवा विपरीति विचार उत्पन्न होने का कोई भय न रह जायगा। यदि स्पर्धा होगी तो केवल परस्पर के बुद्धिबल, व्यापार संधी-सहाइ और साधनों की अनुकूलता के सबंध में। संसार के सब राष्ट्रों ने व्यापार के सबंध में "मुक्त द्वार" के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, और इससे प्रत्येक राष्ट्र को व्यापार से बहुत लाभ पहुँचा है। इंग्लैंड के समान ही व्यापार द्वारा धन प्राप्त करने का अवसर अन्य राष्ट्रों को भी

मिला है। जर्मनी ने यदि इंग्लैंड का यह सिद्धांत स्वीकार भी किया तो उपरोक्त घटाई हुई स्पर्धा से परस्पर विरोध बढ़ने का कोई विशेष कारण नहीं समझ पड़ता। सन् १९०७ में इंग्लैंड के समाचारपत्रों के संपादक बर्लिन गए थे। वहां एक सभा में ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश लोगों को लक्ष्य करके विदेशी विभाग के अडर सिक्रेटरी ने जो वक्तृता दी थी उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अन्य राष्ट्रों के समान ही "मुक्तद्वार" की पद्धति जर्मन सरकार को भी पसंद है। इस आयोजन में परस्पर व्यापार संबंधी अहंभाव तो नष्ट न होगा, परंतु हा, आपस का विरोध बहुत कुछ मिट जायगा।

ऊपर बताया हुआ "वैल्ट पालिटिक" का एक और भी प्रभाव पड़ेगा, जिसका विचार अभी नहीं किया गया क्योंकि इस बात का इंग्लैंड से बहुत निकट संबंध है। जर्मनी की बढ़ती हुई आवादी के लिये यदि नवीन बाजार की आवश्यकता है तो उसी के साथ सामुद्रिक शक्ति बढ़ाना भी उसके लिये अनिवार्य है क्योंकि इसीकी उत्पत्ति से बिना रोक टोक समुद्र पारक देशों के साथ व्यापार किया जा सकता है। इतना ही नहीं जब जब जर्मनों को विदेशी अनाज की आवश्यकता होगी तब तब सामुद्रिक शक्ति की सहायता से जर्मनी में विदेश से अनाज आसकता है और उससे जर्मनों का पेट पालन हो सकता है। "वैल्ट पालिटिक" का जर्मन लोगों में एक सिद्धांत और है। वह यह है कि जर्मनी में भिन्न भिन्न राजपक्ष हैं और उन में आपस में कलह भी खूब होती है। परंतु समुद्र पार जर्मन

राज्याधिकार बढ़ना चाहिए, इस विषय में सब पक्ष के लोगों का राष्ट्रीय दृष्टि से एक मत है, यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए ।

समुद्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में जर्मन राष्ट्र के दो उद्देश्य हैं । पहला व्यापारिक और दूसरा राजनैतिक । पहले उद्देश्य के सबंध में डाक्टर पालसन ने लिखा है कि—“यूरोप के बाहर यूरोपियन राष्ट्रों का विस्तार करने का काम में जर्मनी बहुत प्रयत्नशील हो रही है । वहां के कारखानों में बहिस्राव माल तैयार होने लगा है और विदेशों में उसका व्यापार बढ़ रहा है । समुद्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना और अन्य राष्ट्रों द्वारा उस प्रभुत्व को नष्ट होने से बचाने का प्रयत्न करना, इस ओर जर्मन राष्ट्र का चित्त आकर्षित हुआ है । व्यापार और व्यवसाय में जर्मनी ने अपने को दूसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है । इंग्लैंड का नंबर ही उसके ऊपर है । परंतु पहले और दूसरे नंबर में बहुत कुछ अंतर नहीं है और जो कुछ थोड़ा बहुत अंतर रह गया है वह भी धीरे धीरे कम हो रहा है । अपनी इस स्थिति को बनाए रखने के लिये समुद्री सैनिक शक्ति को बढ़ाने के उद्योग में ही सारे राष्ट्रों का ध्यान आज कल आकर्षित रहता है ।

ऊपर जो दूसरा राजनैतिक उद्देश्य बताया गया है उस का भी स्पष्टीकरण एक प्रथकार ने इस प्रकार किया है—
“जो राष्ट्र हमसे आगे हैं उनके मुकाबले में पहुँचना अथवा जो स्थान हमने खो दिया है उसे प्राप्त करना, यह कार्य सब

राष्ट्रों को मिल कर करना चाहिए अथवा नहीं ? इसी प्रकार जो राष्ट्र बीसवीं शताब्दी और उसके बाद का इतिहास ससार के सामने उपस्थित करेंगे, उसमें योग्य स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा दूसरे नवर पर ही चुपचाप बैठे रहना चाहिए ? यह प्रश्न वर्तमान समय में हम लोगों के सामने उपस्थित है ।”

“ इपीरियल कास्टिट्यूशन ” (साम्राज्य संबंधी व्यवस्था के नियम) के तिरपनवें नियम में जर्मन समुद्री सेना, स्वयं जर्मन सम्राट की देख रेख में कार्य करे, ऐसा निश्चित किया गया है । अतएव समुद्री सैनिक व्यवस्था का कार्य स्वयं जर्मन सम्राट् करते हैं । इस कार्य के संपादनार्थ कौन सा मार्ग ग्रहण करना चाहिए, उसे वे स्वयं अपने इच्छानुसार निर्धारित करते हैं और जब तक वे राज्याधिकारारूढ़ रहेंगे तब तक वे अपने उद्देश्य को कभी बदलनेवाले नहीं हैं । जर्मनी का समुद्र पर हित संबंध, विदेशी व्यापार, उपनिवेशों का राज्य, विदेश गए हुए जर्मन नागरिक, स्वदेशी किनारों और बंदरों की रक्षा, इन सब बातों का महत्व स्वयं सम्राट् को अच्छी तरह ज्ञात है और इसके लिये समुद्री शक्ति को बढ़ाने के लिये प्रबल प्रयत्न करने में वे कभी प्रमाद से काम नहीं लेंगे ।

१८ जनवरी सन् १८९६ को जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुए २५ वर्ष पूरे हो गए अतएव उस दिन जो आनदोत्सव मनाया गया उस अवसर पर जर्मन सम्राट् ने जो महत्वपूर्ण बातें कही थीं उनमें से कुछ ये हैं—“जर्मन साम्राज्य की

व्यापकता ससार भर में हो रही है। भूगोल के हर एक भाग में हमारे हजारों देश बाधव जाकर निवास कर रहे हैं। जर्मनी का माल, जर्मनी का ज्ञान, जर्मनी का साहस, समुद्र को पार कर क बहुत दूर तक पहुँच गया है। लाखों करोड़ों रुपयों का माल जर्मनी समुद्र पर स बाहर ले जाती है। इस बड़ी जर्मनी को मूल की छोटी जर्मनी से मिलाकर एक जीव कर देना, लोगों का पवित्र कर्तव्य है।" सन १८९७ में एक बार उन्होंने फिर भी कहा था—“सार्वभौम अधिकार और समुद्र पर अधिकार, ये दोनों परस्परावलंबी हैं। एक के आश्रय बिना दूसरा ठहर नहीं सकता।”

जर्मनी के विदेश से होनेवाले व्यापार के लिये अथवा उपनिवेशों में राज्य करने के लिये समुद्री शक्ति का बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, यह बात जर्मन सम्राट् बहुत दिनों से कह रहे हैं। परंतु इसके अतिरिक्त वे दूर दृष्टि से यह भी देख रहे हैं कि ससार के मुख्य राष्ट्रों में जर्मनों की गणना तभी हो सकती है जब उसका समुद्र पर पूर्ण अधिकार हो। जुलाई सन १९०० ईस्वी में उन्होंने इस सत्र में कहा था—“अपने राष्ट्र के द्वार पर समुद्र की लहरें जोर से आ कर टकरा रही हैं। ससार के अन्य राष्ट्रों में अपने को जो उच्च स्थान प्राप्त हुआ है, उसे त्याग करने की आवश्यकता नहीं है और इस बात को और भी सरल भाषा में यों कह सकते हैं कि सारे ससार पर आक्रमण करने की राजनीति को स्वीकार करना चाहिए। समुद्र की वे लहरें मानों हमें इसी धान की सूचना दे रही हैं। जर्मनी के वैभव के लिये समुद्र

की सहायता अवश्य चाहिए परन्तु वह समुद्र हमें यह भी स्मरण दिलाता है कि 'मेरे पृष्ठ भाग पर अथवा मेरी मर्यादा जहा समाप्त होती है वहा तक के प्रदेशों में, यदि कोई महत्व पूर्ण राज-कारण होगा तो जर्मन अथवा जर्मन सम्राट् के बिना उसके होन को कोई आवश्यकता नहीं है।' राज घराने के पुरुषों के अधीन रह कर तीस वर्ष पहले जर्मन लोगों ने अपने जीव होम कर, युद्ध में, जो यश संपादन किया था भार विदेशीय महत्व के कामों में जो चालें चली जा रही हैं उसने मुझे एक किनारे रख दिया है, ऐसा मुझ विश्वास नहीं आता। ऐसे कामों में यदि लोग मुझे एक ओर रख दें तो जगद्ग्यापी अधिकार स्थापित करन की महत्वाकांक्षा का अंत ही समझना चाहिए। परन्तु इस प्रकार का अंत मैं कभी होने न दूंगा। यह सकट दूर करने के लिये सब प्रकार के उपायों की—आवश्यकता पड़ने पर—अतिशय कठिन उपायों की योजना करना, मेरा कर्तव्य होगा, इतना ही नहीं सम्राट् के नाते, मुझे यह अधिकार है, यह भी मैं समझता हूँ।"

ऊपर जो कुछ कहा गया है उस पर टीका टिप्पणी करना अथवा उसका भावार्थ समझाने के लिये अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जर्मन राष्ट्र की जल और स्थल दोनों पर प्रभुता बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को जर्मन सम्राट् कभी लोगों से छिपा कर रखना नहीं चाहते। मार्च १९०५ में जर्मन सम्राट् ने प्रेमन स्थान में भाषण करते हुए कहा था—“एक बड़े युद्ध में यदि जर्मनी को यश प्राप्त हुआ

तो भी मेरे इस जीवन काल में बाल्यावस्था से लेकर अब तक समुद्र-प्रवासी जर्मनों को किसी प्रकार का बड़प्पन अथवा वैभवं प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय में हमारे पूर्वजों ने जो कार्य कर दिखलाया है उस संबंध में तर्कशास्त्र की सहायता से किसी बात का अनुमान करने के लिये हम तैयार नहीं हैं। उन्होंने आवश्यकतानुसार देश में सेना तैयार की थी। परंतु समुद्री सेना तैयार करने का कार्य हमारे राजत्व-काल में आकर उपस्थित हुआ है। अब तक कुछ लड़ाऊ जहाज तैयार किए गए और कुछ तैयार हो रहे हैं। जो जहाज तैयार हो गए हैं वे समुद्र पर अपना कार्य संपादन कर रहे हैं। समुद्र में तैरता हुआ प्रत्येक जर्मन लड़ाऊ जहाज, पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के काम में एक प्रकार से लोगों को अभय प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इन जहाजों द्वारा हमारे शत्रु हम से बदला देने या मुकाबला करने के काम में ही प्रयुक्त न होंगे वरन् हमारे साथ स्नेह संपादन करना ही अपने लिये लाभदायक समझेंगे।”

समुद्री सेना और लड़ाऊ जहाज बढ़ाने का विचार जर्मन सम्राट् का आज का नहीं है। यह उनका विचार बहुत पुराना है। इस सकल्प की पूर्ति के लिये वे बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु उन्हें बहुत समय तक इस कार्य में यश प्राप्त नहीं हुआ। अब कुछ दिनों से उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिये अवसर प्राप्त हुआ है। सन् १९०० में जर्मन पार्लियामेंट ने नए समुद्री सैनिक विभाग को बहुत सा धन प्रदान करके लड़ाऊ जहाज तैयार करने की आज्ञा दी

की सहायता अवश्य चाहिए परंतु वह समुद्र हमें यह भी स्मरण दिलाता है कि 'मेरे पृष्ठ भाग पर अथवा मेरी मर्यादा जहां समाप्त होती है वहां तक के प्रदेशों में, यदि कोई महत्वपूर्ण राज-कारण होगा तो जर्मन अथवा जर्मन सम्राट् के बिना उसके होने की कोई आवश्यकता नहीं है।' राज-घराने के पुरुषों के अधीन रह कर तीस वर्ष पहले जर्मन लोगों ने अपने जीव होम कर, युद्ध में, जो यश संपादन किया था और विदेशीय महत्व के कामों में जो चालें चली जा रही हैं उसने मुझे एक किनारे रख दिया है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं आता। ऐसे कामों में यदि लोग मुझे एक ओर रख दें तो जगद्गव्यापी अधिकार स्थापित करने की महत्वाकांक्षा का अंत ही समझना चाहिए। परंतु इस प्रकार का अंत मैं कभी होने न दूंगा। यह सफट दूर करने के लिये सब प्रकार के उपायों की—आवश्यकता पड़ने पर—अतिशय कठिन उपायों की योजना करना, मेरा कर्तव्य होगा, इतना ही नहीं सम्राट् के नाते, मुझे यह अधिकार है, यह भी मैं समझता हूँ।"

ऊपर जो कुछ कहा गया है उस पर टीका टिप्पणी करना अथवा उसका भावार्थ समझाने के लिये अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जर्मन राष्ट्र की जल और स्थल दोनों पर प्रभुता बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को जर्मन सम्राट् कभी लोगों से छिपा कर रखना नहीं चाहते। मार्च १९०५ में जर्मन सम्राट् ने ब्रेमन स्थान में भाषण करते हुए कहा था—“एक बड़े युद्ध में यदि जर्मनी को यश प्राप्त हुआ

इस आंदोलन को कितना बल प्राप्त हो गया है, यह बात अच्छी तरह जान लेने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सैनिक शक्ति पर भरोसा रखनेवाले कुछ आततायी लोगों को छोड़ कर अन्य लोगों के मुख से इस आंदोलन के सबंध में बढ़ाई अथवा अन्य राष्ट्रों के मन में भय उत्पन्न करने योग्य कोई भी शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ते। परंतु तो भी जर्मन राष्ट्र के सब लोग, एकमत हो कर, दृढ़ विश्वास के साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, यह बहुत महत्व की बात है। समुद्री सैनिक शक्ति सार्वभौम अधिकार की कुजी है अथवा सार्वभौम सत्ता के साथ साथ समुद्री सैनिक शक्ति बढ़ती है अतएव इन दोनों अधिकारों का एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसलिये जर्मनी के सारे विश्वविद्यालय, अपना प्रभाव इस आंदोलन को यशस्वी बनाने के काम में डालते रहते हैं। नैवी पार्टी अर्थात् मामुद्रिक शक्ति बढ़ाने के पक्षपाती लोगों को बड़े बड़े कारखानेवालों और व्यापारियों की सहायता प्राप्त है। समाचारपत्र इस विषय पर महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित करके लोकमत तैयार करने को सदा तत्पर रहते हैं और जर्मन पार्लियामेंट में समय समय पर इस विषय पर उपस्थित करनेवाले बहुत से सभासद भी मौजूद हैं। ही नहीं सदा झगड़ा उपस्थित करनेवाले सोशियलिस्ट

की ओर आजकल जर्मनी में कितनी पर कितना प्रभाव जमा हुआ है,

और वही समय से इस ओर विशेष रूप से सम्राट् के इच्छानुसार कार्य आरम्भ हुआ। आरम्भ में तो यह कार्य बहुत धीरे धीरे होता रहा परन्तु सन् १९०६ से जोर के साथ चलाया गया। जर्मनी में सैनिक जहाजों के बनाने के काम में कितना प्रयत्न हो रहा है इसका पता केवल इसी एक बात से लग जाता है कि अब तक इस कार्य में जर्मन राष्ट्र का कितना धन व्यय किया जा चुका है। सन् १८८८ में इस काम पर पैंतीस लाख पाँड खर्च हुए। इसके बाद दस वर्षों में और पचास लाख खर्च हुए। इसके पश्चात् प्रति वर्ष दो करोड़ दस लाख पाँड खर्च होने लगे। इस रकम में से आधी रकम तो नए जहाजों के बनाने में खर्च होन लगी। सन् १८८८ में समुद्री सेना विभाग में अधिकारी और खलासी मिलकर १५ हजार आदमी थे परन्तु सन् १८९८ में यह संख्या बढ़ कर २३ हजार हो गई और सन् १९०८ में यह संख्या ५० हजार से भी ऊपर पहुँच गई थी।

सैनिक जहाजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, इस विषय में अब भिन्न भिन्न राजकीय पक्ष के सब लोग एकमत हो गए हैं। रोडिकल पक्ष के लोग सदा यह कहते रहते हैं कि खर्च में कुछ कमी होनी चाहिए। अधिक क्या कहें, उपनिवेशों को अधिकार में रखने से राष्ट्र को अधिक खर्च करना पड़ता है, अतएव उन्हें छोड़ देना चाहिए, यह कहने में भी वे लोग कभी संकोच नहीं करते। परन्तु इतना होने पर भी वे लोग समुद्री सैनिक शक्ति को बढ़ाने के पक्ष में हैं, यह बात ध्यान में रखने योग्य है।

कुछ लोकमत अनुकूल तैयार हो जाने से सरकार को किसी कार्य के आरंभ कर देने में कुछ भी कठिनाई नहीं पड़ती । और सरकार भी लीग द्वारा दी हुई सूचनाओं को जहां तक वह स्वीकार कर सकती है, वहां तक स्वीकार कर लेने में कभी आगा पीछा भी नहीं करती ।

एक प्रभावशाली जर्मन समाचारपत्र ने एक अवसर पर यह प्रकाशित किया था—“जर्मनी की समुद्री शक्ति कभी तो इंग्लैंड की समुद्री शक्ति के बराबर होगी, यदि यह कल्पना आज जर्मन लोगों की नहीं है तो उनसे बढ़ कर हमारी शक्ति कब हो जायगी ऐसी आशा करने के लिये और स्थान ही कहा बाकी है ?” उसका यह कथन आज भी सभव है सच हो, परंतु कुछ वर्षों के बाद स्थिति कैसी होगी, यह आज कौन कह सकता है ? जर्मनी का वर्तमान समय का आंदोलन बीच में ही बंद हो जायगा, यह बात सभव नहीं मालूम होती । जब तक धनबल की अनुकूलता है तब तक अपनी नाविक शक्ति बढ़ाने के काम में जर्मन पीछे पैर नहीं हटा सकते । ऐसी दशा में “हमने अपनी समुद्री शक्ति बढ़ाई तो भी उससे अन्य राष्ट्रों की शक्ति भंग होने का जरा भी भय नहीं है ।” इन कोरी बातों से अन्य राष्ट्रों का समाधान कैसे होगा ? अंगरेजों का इस उपदेश से समाधान नहीं होता, यह बात तो प्रत्यक्ष ही है । अतएव जर्मन लोगों की इस उच्छृंखल वृत्ति को किस प्रकार दबाया जाय, इस संधर्ष में अंगरेज लोग सदा विचार किया करते हैं । इंग्लैंड की इस चिंता को देख कर जर्मनी के एक समाचार पत्र ने प्रकाशित किया था कि—

“समुद्री शक्ति के प्रश्न पर इंग्लैंड से वाद विवाद उपस्थित होते ही जर्मनी का नाम क्यों भागे रक्खा जाता है ? जर्मन सरकार ने अपना मत सब लोगों के जानने के लिये पहल से ही प्रकट कर दिया है। जर्मन राइस्टाग भी उस विचार से सहमत है। नए जर्मन “नेवी विड” द्वारा निश्चित की हुई योजना को काम में न लाया जावे, ऐसी इच्छा इंग्लैंड बर्लिन में प्रकट नहीं कर सकती। फ्रांस और जापान से स्नेह संपादन करके और रूस को भी अपनी ओर मिला कर, यदि जर्मनी न एक रणपोत तैयार करने का निश्चय किया तो इन तीनों राष्ट्रों के मिला कर दो युद्धपोत तैयार होने चाहिए, यदि ऐसा इंग्लैंड ने निश्चय किया और निश्चय के अनुसार कार्य करने पर इंग्लैंड का अधिक धन खर्च हुआ तो उसके अपयश का टीका जर्मनी के माथे क्यों लगाया जाता है ?”

बड़े बड़े रणपोतों को तैयार करने की कल्पना धीरे धीरे जर्मनी में कितनी प्रबल हो उठी है, इस बात पर जिन्होंने ध्यानपूर्वक विचार किया है वे सहज ही में जान सकते हैं कि जर्मनी की बढ़ती हुई आधादी और विदेशी व्यापार इन दोनों कठिनाइयों के कारण जर्मन लोगों के मन में जो भय उत्पन्न हुआ है उसे देखते हुए, यह कोई विचारशाल पुरुष नहीं कह सकता कि जर्मनी अपनी पुरानी समुद्री शक्ति के सबध में, निर्धारित नीति पर ही सदा चलती रहेगी। इस सबध में बहुत से अंगरेज लोग यह आक्षेप करते हैं कि भविष्यत् काल की कठिनाइयों की कल्पना करके जर्मन राष्ट्र आज कल बिना कारण ही घोर चिंता में डूबा हुआ है। परंतु दूरदर्शिता और

बुद्धिमत्ता का यह पहला लक्षण है। राजकाज में प्रति क्षण नई कठिनाइयाँ और नए सङ्कट उपस्थित होने पर उसी समय नित नए राजनैतिक सुधार किए जावें अर्थात् "प्रधीप्ते भवने तु कूपखनन" नीति को जर्मन लोग स्वीकार न करें तो फिर उन्हें किस मुरख से दोषी ठहराया जाय। सन् १८७१ में जो विजय जर्मनी ने प्राप्त की उससे पहले ही जब जर्मनी ने यह घापण प्रचारित की थी कि हर एक व्यक्ति को सैनिक शिक्षा पानी चाहिए, उसी समय वह विजय प्राप्त हो चुकी थी। आजकल औद्योगिक बातों में जर्मनी का जो विकास हुआ है उसकी नींव अठारहवीं शताब्दी में अर्थात् प्रशिया और साक्सन ने जब अनिवार्य शिक्षाप्रचार की घापण की थी उसी समय पड़ चुकी थी। जर्मनी के नगरों की व्यवस्था जो आजकल दिखाई पड़ती है, उस का बीज आज से सौ वर्ष पहले ही बोया जा चुका था। इन सब उदाहरणों को ध्यान में रख कर भावी सङ्कट को दूर करने के उपाय जर्मन राजनीतिज्ञ अभी से सोच रहे हैं, यह उचित ही है। इस विषय में जर्मन लोगों का मत "कलोन गजट" ने इस प्रकार स्पष्ट प्रकट कर दिया है—“लड़ाऊ जहाज तैयार करने का जो कार्यक्रम है उसे जरा कम करो, यदि यह बात अगरेज लोगों से इस कहें तो वे क्रोधित होकर उल्लूने लगते हैं। इसी प्रकार जर्मनी का अपना नाविक कार्य-क्रम इस प्रकार रखना चाहिए, यह कहने का प्रेट वृटेन को कहा से अधिकार प्राप्त है, इस बात का हमें तो पता नहीं चलता, कृपा कर इसे इंग्लैंड को ही बताना चाहिए ?”

जर्मनी का यह पक्ष और भी अधिक स्पष्ट शब्दों में कहते नहीं बनता । उनका यह पक्ष प्रबल है, अतएव इस विषय में अधिक वाद विवाद करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । समुद्र पर जर्मनी की शक्ति बढ़ने से इंग्लैंड के हित-सवध को विशेष धक्का पहुँचना संभव है । यह बात सच है, परंतु तो भी इंग्लैंड को शांतिपूर्वक और निर्विकार बुद्धि से यह देखना चाहिए कि अपने लाभ और स्थिति के अनुसार इस राजनीति को स्वीकार करने का जर्मनी को पूरा अधिकार है । यह बात एक बार स्थिर कर लेने पश्चात् इंग्लैंड सुरक्षित रह सकती है और दोनों देशों को लाभ पहुँच सकता है । जर्मनी को जो उचित जान पड़े, उसी के अनुसार उसे चलना चाहिए और इंग्लैंड को जिसमें अपना लाभ दिखाई पड़े वह काम करना चाहिए, इस तत्व पर कार्य करने से इंग्लैंड को अपनी समुद्री शक्ति बढ़ाने में अधिक धन व्यय करना पड़ेगा और इस कारण प्रजा पर अधिक कर लगाने के लिये बाध्य होना पड़ेगा । परंतु इसके लिये उपाय क्या है ? किस हेतु से ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अपनी समुद्री शक्ति बढ़ा रहे हैं यह बात जनता के ध्यान में आते ही देश-कल्याण की दृष्टि से अधिक कर का बोझा उठा लेने में ब्रिटिश लोग कभी आगा पीछा न करेंगे ।

अठारहवाँ अध्याय ।

उपनिवेश ।

उपनिवेश स्थापित करने का उद्योग जर्मनी में बहुत समय से हो रहा है, यह बात बहुत से जर्मन इतिहास लेखक कहते हैं। परंतु उनके इस कथन में कुछ भी सार नहीं है। यदि यथार्थ दशा देखी जाय तो यह ज्ञात होगा कि उपनिवेशों की ओर जर्मनी का ध्यान केवल पचीस तीस वर्ष से ही आकर्षित हुआ है। वर्तमान उपनिवेशों में सबसे पुराना उपनिवेश स्थापित करने का यश हर ल्युडेरिट नामक व्यापारी को प्राप्त है। सन् १८८० में इस व्यापारी ने ब्रेमन क राजा से सुलह करके अफ्रीका के नैर्ऋत्य किनारे पर अंग्रा पेक्वेना (Angra Pequena) नामक खाड़ी के पास का कुछ प्रदेश हस्तगत किया और इस काम में सरकारी सहायता पाने के लिये विनय की। उसकी विनय की ओर सरकार ने बहुत समय तक तो ध्यान ही नहीं दिया। अंत में ब्रिटिश सरकार के एजेंट ने इस कार्य में हस्तक्षेप किया। यदि उस समय ब्रिटिश राज्य की ओर से हस्तक्षेप न किया जाता तो और कुछ दिनों तक उपनिवेश स्थापित करने की ओर जर्मनी का ध्यान कभी नहीं जाता। इतना ही नहीं, इस काम में पटककर नया झगड़ा उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है वह भी न दिखाई पड़ती। एक जर्मन नागरिक ने सरकार से सहायता मागी, इस इतना ही आधार लेकर प्रिंस

विस्मार्क ने इस ओर ध्यान दिया और इंग्लैंड के साथ उत्पन्न हुआ विवाद शीघ्र नहीं मिटता जब उन्होंने यह देखा तब उन्होंने ल्युडेरिट का प्राप्त हुए प्रदेश को जर्मन सरकार के अधिकार में किए जाने की सूचना प्रकाशित कर दी। इस सूचना के प्रकाशित होते ही इंग्लैंड द्वारा उपस्थित किया हुआ विवाद जहा का तहा रुक गया। इस प्रकार ऑरेज नदी से केप फ्रांस तक बालफिश खाड़ी को निकाल कर समुद्र के किनारे का प्रांत जर्मनी को प्राप्त हो गया। इसके बाद दो वर्षों में ही अफ्रीका और पैसिफिक महासागर में जर्मन उपनिवेशों का विस्तार ३,७७,००० वर्ग मील अर्थात् जर्मनी के दूने रकब के बराबर हो गया। इस रकब में १७,५०,००० मनुष्य जर्मनी के आश्रय में निवास करते हैं।

इस प्रकार केवल दो ढाई वर्ष में ही उपनिवेशों के स्थापित करने के काम में जर्मनी को बहुत कुछ यश प्राप्त हुआ। परंतु उसका यह प्रयत्न क्षणिक था। कोई नियमबद्ध आंदोलन नहीं हुआ और न यही निश्चय हुआ था कि जो लोग स्वदेश छोड़ कर जावें वे जर्मन सरकार की रक्षा में ही निवास करें। परंतु जिस क्षणिक कार्य ने जर्मनी में जागृति उत्पन्न कर दी थी उसका प्रवाह दिनों दिन बढ़ता ही गया और थोड़े समय बाद ही देश में चारों ओर उपनिवेशों को स्थापित करने की आवाज सुनाई देने लगी। इस नवीन आंदोलन ने सबों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया। किसी राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ होने से उसका ससर्ग जर्मनी के समान मनोविकाराधीन और उत्साही जाति में

शीघ्रता से जड़ पकड़ लेता है। वही दशा यहा भी हुई। उपनिवेशों का प्रश्न कितना व्यापक है, उसके सबध में भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। इन बातों का यथार्थ अनुभव किसी को हुआ था अथवा नहीं, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। इस विषय में लोगों की मनोवृत्तियाँ एक दम उन्मूलित हो गईं। वे पागल के समान हो गए। ऐसी दशा में उत्तमतापूर्वक विचार करने की ओर ध्यान देने-वाले विचारों की भला कहा गुजर हो सकती है ?

प्रिंस बिस्मार्क की सहायता से उपनिवेशों के आदोलन का काम आरम्भ हुआ और शीघ्र ही उसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया। परन्तु इस सबध में यह बात विशेष ध्यान में रखने योग्य है कि उस महामति के मत में स्वतन्त्र इन्डो-चायन के सबध में अधिक श्रद्धा न थी। सन् १८९९ में अर्थात् उपनिवेशों का आरम्भ होने के सत्रह वर्ष बाद उन्होंने यह कहा था—“उपनिवेश हमें नहीं चाहिए, अब तक हमारा यह कहना है।” यदि वे अपने मतानुसार कार्य करते तो बहुत कुछ संभव था कि वे इस प्रश्न की ओर ध्यान ही न दें। समस्त देश में ही देश को स्थावर करना ही उनकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य था। इसी के अनुसार जर्मनी को कार्य करना चाहिए और अधिक देशप्राप्ति के प्रयत्न में न पड़ना चाहिए, सन् १८७१ से वे इसी नीति तत्त्व का प्रचार करते रहे। जर्मनी की सत्ता दूर देशों में स्थापित करने की अनिश्चित योजना के पीछे लगने का समय नहीं है और यदि ऐसा किया जायगा तो बहुत कुछ हानि पहुँचने की संभावना

उनके ये विचार सयुक्तिक और राजनीतिज्ञता से भरे हुए थे। यदि उनके विचारानुसार उपनिवेशों की राज्य व्यवस्था का प्रबंध किया गया होता तो जर्मन राष्ट्र का बहुत कुछ कल्याण होता और इस काम में आगे चलकर जिस अपयश और निराशा का सामना करना पड़ा, उसका सामना न करना पड़ता।

जर्मन स्वभाव और राजकीय विचार के केवल बाह्य स्वरूप पर सुग्ध न होकर यदि जरा गहरा विचार किया जाय तो यह बात मालूम हो जायगी कि जब से उपनिवेशों के आंदोलन का कार्य आरम्भ जब से हुआ तब से सारे जर्मन राष्ट्र के लोगों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। वे इस काम के पीछे विल्कुल पागल बन गए थे। परन्तु इस कार्य के आरम्भ होने के दस पांच वर्ष बाद ही वे इस काम से इतने उदासीन हो गए कि सन् १९०७ के निर्वाचन के समय कालोनियल सेक्रेटरी हर डर्नबर्ग को यह उपदेश देना पड़ा कि "इस काम में इतनी उदासीनता न दिखानी चाहिए।"

लोगों का उत्साह क्यों नष्ट हो गया, इसका भी कारण जान लेना बहुत जरूरी है। इस तरह हतोत्साह होने के अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ पर तो जर्मनी के औपनिवेशिक राज्यों का भविष्य बहुत कुछ अवलंबित है। और पहले पर से, की अपेक्षा कदाचित् अधिक अनुकूल परिस्थिति हुई तो भी उपनिवेशों का जर्मनी को पूर्ण यश प्राप्त होगा अथवा नहीं, यह संदेह करना उचित नहीं है तो भी संदेह उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता।

हाकने का प्रयत्न किया गया । यदि यह कल्पना ठीक होती और उपनिवेशों में भी बिना किसी कठिनाई या आपत्ति के राज काज चलता तो वहा शांति देवी का अटल राज्य हो जाता और लोगों की सापत्तिक उन्नति भी खूब होती । परतु इनमें से एक भी घात अनुभव से सिद्ध नहीं हुई । इस विषय में नए कालोनियल सेक्रेटरी से पहले जो भूलें हुई हैं, उनका उद्देश्य इस प्रकार किया गया है—“उपनिवेश स्थापित करने के काम में जर्मन लोग निरुपयोगी और निकम्मे हैं, ऐसा लोग कहते हैं । परतु हम लोगों के हाथ से ऐसा निकम्मा काम क्यों हो ? हमलोग क्या व्यापार में निकम्मे हैं ? खलासियों का काम करना क्या हमें नहीं आता ? समुद्र पर क्या हमने अपना व्यापार बहुत थोड़ा बढा पाया है ? रणभूमि पर क्या हमने कभी पीठ दिखाई है ? इतना होकर भी उपनिवेशों के कार्य में हमारा घोड़ा आकर रुक गया है ? इसका उत्तर यह है कि इस कार्य में यश संपादन करने के पहले कुछ राष्ट्रों ने जिस प्रकार कितने ही दिनों तक उम्मेदवारी की थी, वैसी हमलोगों ने कभी नहीं की । अन्य विषयों में हमने प्रवीणता प्राप्त की परतु उसके लिये आरम्भ में हमें कितना करना पड़ा है ! उपनिवेशों का स्थापित करना यशों-
 है । यह भी एक विद्या है । और यह विद्या
 व्यवहार में उपयोग किस प्रकार किया
 एक विषय है । यह विषय, किसी
 देश के लोगों को सुनकर धयवा
 नहीं हो सकता । इसके

भी व्योरा न मिलने से ठीक पता नहीं बताया जा सकता परंतु स्वयं उपनिवेश निवासियों अथवा उनके लिये औरों से युद्ध करने में प्राणहानि बहुत ही अधिक हुई है, यह कहने में भी कुछ हर्ज नहीं मालूम होता ।

इसके अलावा एक बात और है । उपनिवेशों का राज काज चलाने के नियम और उन नियमों के अनुसार काम करनेवाले अधिकारियों को नियत करना, लोगों के सुख की ओर ध्यान दकर नहीं किया जाता । इस काम में प्रिंस विस्मार्क ने जो नीति निश्चित कर दी थी अर्थात् उपनिवेशों की व्यवस्था व्यापारी मंडल के हाथ में देनी चाहिए, उसे त्याग कर सरकार ने जो अधिकारी नियत किए वे बर्लिन की आबोहवा में पले पोसे थे, अतएव उन्होंने वहा जाकर कड़ाई के साथ राज्यशासन का कार्य आरम्भ किया, और बृहत् बर्लिन के स्वरूप के छोटे छोटे बर्लिन अफ्रीका और पैसिफिक महासागर के बहुत से भागों में स्थापित किए ।

पहले विद्या पश्चात् उसका व्यावहारिक उपयोग, यह क्रम जर्मनी ने अपने सारे भौतिक कार्यों में जारी कर रक्खा है । परंतु इस विषय में उसने अपना सदा का यह क्रम परित्याग कर दिया । उपनिवेशों के विषय में उसे पहले कहीं भी अनुभव प्राप्त नहीं हुआ था । जर्मन राज्य का इतना बड़ा राज काज उच्च राजपद्धति के कारण बिना किसी आपत्ति के चल रहा है, वही पद्धति यदि उपनिवेशों में काम में लाई जाय तो वहा भी सर्वत्र बिना किसी कठिनाई या आपत्ति के कार्य चल सकता था, यह विचार कर वहा भी राज्य-शकट

प्रति शब्द सत्य है। ऐसी स्थिति को देखकर सन १९०७ में, कोलोनियाल आफिस ने एक कमीशन इस उद्देश्य से नियत किया कि भिन्न भिन्न उपनिवेशों की पुरानी पद्धति और कानून क्रायदों का परिष्कृत प्राप्त करके, उनको व्यवस्थित स्वरूप देने की तहकीकात की जाय। यदि बीस वर्ष पहले इस सरल मार्ग का अवलंबन किया जाता तो राजकाज में जो बहुत सी भूलें और प्रमाद हुए हैं वे न होते और छोटे मोटे जो अनेक युद्ध हुए, वे भी न होते।

इससे भी बुरी बात यह हुई कि उपनिवेशों का राजकाज जिन अधिकारियों को सौंपा गया था, उसमें मनुष्यता का अत्यंत अभाव था। उनमें कुछ लोग अच्छे अवश्य थे, परंतु उन प्रांतों में खेती का काम बिल्कुल आरंभिक दशा में था। स्वदेश में जिन्होंने स्थिरतापूर्वक कोई व्यवसाय नहीं किया, जिनके स्वभाव में स्थिरता नहीं है, जिनका जीवन बुरे व्यसनों में ही व्यतीत हुआ, ऐसे लोगों को अपने ऊपर की बला टालने की गरज से सरकार ने उपनिवेशों का गवर्नर बनाया था। यही क्रम अनेक वर्षों तक जारी रहा। सन् १८८८ में जर्मन सम्राट् ने पार्लियामेंट में भाषण करते समय कहा था—“अफ्रीका में जर्मन राज्याधिकार स्थापित करके 'क्रिश्चियन' सुधार करना इस राष्ट्र का पवित्र कर्तव्य है।” यह 'क्रिश्चियन' सुधार तो एक ओर रहा, छलटा फिधी प्रकार का भी सुधार न हो सका। सरकारी नौकरों और गोरे किसानों (Planters) ने नीग्रो लोगों के साथ गुलामों का सा बर्ताव किया। उन पर नाना प्रकार के धत्याचार किए।

लिये तो विदेशों में जाना चाहिए। वहाँ के लोगों की दशा क्या है, उनकी आवश्यकताएँ क्या हैं, इन बातों का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। और इस विषय में अन्य लोगों के विचार क्या हैं, यह ध्यान में रखकर, अपनी उद्देश्यपूर्ति के लिये कार्य का आरंभ करना चाहिए।”

एक घात और है। उस देश के निवासियों की चाल ढाल, उनका वशपरपरागत जीवनक्रम आदि बातों की ओर जर्मनों ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया। उनके कायदे कानून, उनकी व्यावहारिक रूढ़ि, इन बातों का भी नियमानुसार अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया गया। और न उन लोगों के अनुकूल कानून कायदों को बनाने की व्यवस्था की गई। प्रशियन कानून को ले जाकर वहाँ उनका प्रचार किया गया। इस कारण वहाँ की प्रजा को बहुत कष्ट उठाने पड़े और सरकारी अधिकारियों ने भी वहाँ के निवासियों को बहुत दुःख पहुँचाए। “नेटिवों” की पुरानी चाल ढाल और विचारों को पैर तले दबा कर वहाँ के निवासियों का जर्मनी के बराबर लाने का प्रयत्न किया गया। अतएव उपनिवेशों की पुरानी मर्यादा नष्ट होकर लोगों में असंतुष्टता उत्पन्न हो गई। काले नीग्रो लोगों के लिये जो कानून बनाया गया वह अत्यंत असमाधानकारक साधित हुआ। उठते बैठते उनके साथ कलह और वाद-विवाद उपस्थित होने से जर्मन नाम कलफित हुआ। ‘नीग्रो लोगों को हमारे विषय में तनिक भी सहानुभूति नहीं है।’ ये उद्गार सन् १९०६ में राइशटग के एक सभासद ने व्यक्त किए थे। उपरोक्त वर्णन शब्द

करो, बिना नर्मी का तर्ताव किए काम चल नहीं सकेगा । सन् १९०४ में, एक सज्जन ने, इस विषय पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी । उसमें उन्होंने यह लिखा था—
 “नीमों लोगों से सख्ती के साथ ही काम लेना चाहिए और इसके बदले में उन्हें केवल भोजन दिया जाना चाहिए । वस, उनके लिये इतना ही काफी है । कुछ वर्षों तक सख्ती के साथ मजदूरी देना ही न्यायानुकूल दृष्टि का एक उचित मार्ग है और ऐसा किए बिना अच्छा काम कैसे करना चाहिए, इस बात की मजदूरों की शिक्षा नहीं मिलती । ईसाई धर्म में कहे हुए दया धर्म और परोपकार से मिशनरियों को लाभ-लाभ प्राप्त होता है, हमारे काम में इन बातों का कुछ भी उपयोग नहीं होता ।”

ये सब बातें सुन जर्मन लोकमत विकल हो उठा और राश्ट्र-शताग में सरकार पर टीका टिप्पणियों की बौछार होने लगी । सन् १९०४-०५ में उपनिवेशों के अधिकारियों अथवा अन्य लोगों के कामों का परिचय जत्र प्रमाण सहित लोगों को दिया गया तत्र तो लोगों के क्रोध की सीमा न रही । सन् १९०५ में रोडिकल पक्ष के लोगों की एक सभा हुई थी, उस सभा में, यह प्रस्ताव पास हुआ था कि भविष्यत् के लिये यदि उपनिवेशों का कार्य बंद कर दिया जाय तो बहुत अच्छा हो । एक सभासद ने तो यहा तक कह डाला था कि ‘यदि नीलाम की बोली बोल कर उपनिवेशों को बेच डाला जाय तो देश का बढ़ा कल्याण होगा ।’ परंतु ऐसी बातें करने से भी लाभ क्या । सरकार के काम पर टीका टिप्पणी करना

चाहिए परंतु उस टीका टिप्पणी से सरकारी काम को मदद पहुँचे, इस बात पर दृष्टि अवश्य रखनी चाहिए। सन १८९७ से रोडिकल पक्ष के लोग, इस काम में सरकार का सहायता देने के लिये तैयार हुए हैं। वर्तमान नए क्लोनियल सेक्रेटरी उत्तम राजनीतिज्ञ हैं। उपनिवेशों के काम की ओर वे बहुत ध्यान रखते हैं। उनके प्रयत्नों को यश प्राप्त होकर जर्मनी पर जो कलक लगा है वह शीघ्र दूर हो जायगा।

उन्नीसवाँ अध्याय ।

उपनिवेशों का नया युग ।

सन् १९०७ के मई मास में, "कालोनियल आफिस" नाम का एक स्वतंत्र महकमा बनाया गया और उसके द्वारा उपनिवेशों के सुधार का कार्य आरम्भ हुआ । उसके पहले "कालोनियल डिपार्टमेंट" नाम का एक महकमा था जिसके मुख्याधिकारी का नाम "कालोनियल सचिव" रखा गया था । परन्तु यह महकमा "फॉरेन आफिस" का एक भाग था । अतएव उपनिवेशों का सारा अधिकार फॉरेन मिनिस्टर के हाथ में था । समय समय पर जो फॉरेन मिनिस्टर होते गए उन्होंने बिना कारण कालोनियल सचिव के काम में हस्तक्षेप न करने की नीति का अवलम्बन किया था । परन्तु राज्य-व्यवस्था का नियम ही ऐसा है कि एक की जिम्मेदारी दूसरे पर डालने से काम उत्तमतापूर्वक नहीं चलता । यही दशा यहाँ भी हुई । इस व्यवस्था से दोनों के काम में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई । फॉरेन आफिस के हाथ में जो सत्ता थी उसका भी उपयोग करना दूसरे के हाथ में था । इसके अतिरिक्त परराष्ट्र से जिन बातों का संबंध नहीं है, परन्तु बहुत सी बातों की ओर फॉरेन सचिव को अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ता था । इस मामले में फॉरेन आफिस को उपरोक्त कठिनाइयों का सामना करना

पढ़ता था। कालोनियल डिपार्टमेंट के हाथ में अधिकारों को उपयोग में लाने का काम था परंतु कुछ मामलों के अंतिम निर्णय का काम दूसरे लोगों के हाथ में था, इस कठिनाई का सामना फॉरेन डिपार्टमेंट को करना पड़ता था। तात्पर्य यह कि दोनों महकमे एक दूसरे से ऐसे विधे हुए थे कि सुधार का काम बिना दोनों के एकमत हुए हो नहीं सकता था, और यह काम कुछ सहज न था।

इस कठिनाई को दूर करने की गरज से ही एक स्वतंत्र "कालोनियल आफिस" बनाने की स्वीकृति राइशटग से समय समय पर चांसलर लोगों ने माँगी थी, परंतु उन्हें बहुत दिनों तक यह मजूरी नहीं मिली। अंत में प्रिंस वॉन ब्यूल्डों के समय में राइशटग ने एक अलहदा महकमा बनाने की मजूरी दे दी। इस प्रकार सन् १९०७ में उपनिवेशों का कार्य निरीक्षण करने के लिये एक स्वतंत्र विभाग स्थापित हो गया। और हर सर्वहार्ड डेनवर्ग इसके सेक्रेटरी नियत हुए। ये जाति के यहूदी हैं। इससे पहले आप कालोनियल डायरेक्टर थे। उपनिवेशों का सुधार सबधी काम आपके बताए हुए मार्ग से कितने दिनों में पूरा होगा यह बात तो समय बतावेगा परंतु आप उच्चकोटि क आशावादी हैं आप अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिये कितना उत्साह और प्रयत्न करते हैं, यह बात आपके कामों से प्रकट होती है। आप बड़े दृढ़ निश्चयी हैं। जिस समय आप कालोनियल सेक्रेटरी बनाए गए वह समय बड़ा नाजुक था। सांपत्तिक और नैतिक दृष्टि से उपनिवेशों का आदोलन - विळकुल निरुपयोगी

साधित हो चुका था और उनकी व्यवस्था सबधी प्रस्तावों के विषय में किसी के मुँह से भूल कर भी अच्छे शब्द नहीं निकलते थे । परंतु आपके हाथ में अधिकार जाने से विदेश में जर्मनी के राज्य सबधी कार्यों का विश्वास फिर उत्पन्न होने लगा है । अतएव इसका श्रेय आपको ही मिलना चाहिए ।

उपनिवेशों की अगरेजी पद्धति जर्मन पद्धति की अपक्षा उत्तम है, यह उनकी मत है और इसी उद्देश्य को आगे रखकर उन्होंने अपना कार्यक्रम आरम्भ किया है । आरम्भ में तो आपने देश के अनेक विद्वानों, फ़ारीग़रों, बड़े बड़े कारख़ानेवालों और व्यापारियों के सामने व्याख्यान दिए । इन व्याख्यानों में आपन ग़ास कर राष्ट्रभिमान और राष्ट्रहित की बातें लोगों का बतलाई । आपका कथन है कि जर्मन राष्ट्र ने जो काम एक बार हाथ में लिया उसको छोड़ना राष्ट्र की बड़ी मान हानि है । यह तो हुई उनकी राष्ट्रभिमान की बात परंतु राष्ट्रहित के संबंध में उनके विचार सुनिए—“जर्मन राष्ट्र के मजदूरों की व्यवस्था भविष्यत् में कैसी होनी चाहिए जिस से उद्योग व्यवसाय में लगे हुए मजदूरों का पेटभर खाने को अन्न प्राप्त हो और व्यापार, उद्योग घघों अथवा नए जहाज बनाने के काम में देश का धन लगाया जा सके, ये सब महत्व के प्रश्न उपनिवेशों के व्यवस्थित राज काज पर ही अवलंबित हैं ।” ।

कालोनियल सेक्रेटरी के मतानुसार आगे ऐसा समय शीघ्र ही आनेवाला है कि जर्मन उद्योग घघों और कारख़ानों को जितना रुखा माळ दरकार होगा अथवा गर्भ वायु में

उत्पन्न होनेवाले अनाज की जितनी आवश्यकता होगी उतना उपनिवेशों से प्राप्त हो सकेगा। उनका यह कहना था कि अंगरेजी उपनिवेशों की अवस्था उत्तम होने पर भी वहा की जनसंख्या कम होने के कारण उन देशों से इस प्रकार का जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होता है परंतु जर्मनी को थोड़े समय में ही यह लाभ होने लगेगा, यह संभव नहीं मालूम होता। कपास, ऊन, ताबा, रबर, पेट्रोलियम, काफी, चावल, तिलहन और सन आदि पदार्थ जर्मनी को विदेश से ही लाने पड़ते हैं। सन् १९०५ में उपरोक्त पदार्थ पाच करोड़ पौंड मूल्य के जर्मनी में विदेश से आए। इतने मूल्य के पदार्थ उपनिवेशों में उत्पन्न करने की आप कल्पना कर रहे हैं। इस से ही यह मालूम हो सकता है कि आप कितने बड़ आशावादी हैं। परंतु आप की आशा सफल होने के कोई भी चिन्ह अब तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।

ऊपर जिन पदार्थों का उल्लेख किया है उनमें कपास ही अधिक महत्व का पदार्थ है। कपास उत्पन्न करने का प्रयत्न अफ्रीका के भिन्न भिन्न उपनिवेशों में बड़े जोर से किया जा रहा है। परंतु तो भी जर्मनी को एक वर्ष में जितना कपास चाहिए उसका एक हजारवाँ अंश भी उपनिवेशों में पैदा नहीं होता। कपास का व्यवसाय अभी एक नया व्यवसाय है। आगे चलकर कुछ वर्षों बाद अधिक पैदावार होने लगेगी। परंतु हाथी कर्हीं पहाड़ का मुक्कावला कर सकता है।

उपनिवेशों की उपजाऊ भूमि के विषय में कुछ जर्मन लोगों की विचक्षण कल्पना है। वे लोग यह कहते हैं कि

“कुछ वर्षों के पश्चात् जितना चाहिए उतना कच्चा माल उपनिवेशों से प्राप्त हो सकता है। यह माल उपनिवेश निवासी अपने मातृ-देश को बहुत कम मूल्य पर दे सकेंगे। और उसके द्वारा बनाया हुआ पक्का जर्मन माल, सारे ससार में इतना फैल जायगा कि अन्य राष्ट्रों को जर्मनी के साथ मुकाबला करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।” उपनिवेशों के कृषि कार्य में कितना ही कम खर्च करना पड़ता हो तो भी अनाज उत्पन्न करनेवाले लोग बाजार की उपरा चढी में जितना अधिक से अधिक मूल्य मिलेगा उसकी अपेक्षा कम मूल्य पर अपना अनाज जर्मन व्यापारियों के हाथ बेच देंगे, यह विचार मन-मोदक खाने के समान प्रतीत होता है। हर वर्णवर्ग भी, इस विचार के सामने और कुछ नहीं देखते। पांच वर्ष के अंदर उपनिवेशों का व्यापार मातृ-देश के साथ तीस पाँड से बढ़कर एक करोड पाँड कैसे हो जायगा ? यह उन्नति बहुत ही अधिक है, यह हमारा कहना नहीं है, परन्तु उपनिवेशों के आज तक के अनुभव से यह कहना कठिन है कि यह अनुमान ठीक उतरेगा या नहीं। सन् १८८८ से १९०८ तक बीस वर्ष में जर्मन उपनिवेशों से माल की आमद और खानगी एक करोड वनसठ लाख पाँड थी। अर्थात् एक साल में जर्मनी से स्विटजरलैंड सरीखे छोटे से देश में जितना माल जाता है उसकी अपेक्षा यह आमद और खानगी दोनों प्रकार के माल से कम है। इसके अतिरिक्त जर्मनी के उपनिवेशों को जो माल उस समय से खाना हुआ, उससे सरकारी इमारत महकमा,

फौज और फौजी अधिकारियों के काम लायक ही सामान था ।

जर्मन उपनिवेशों की भविष्यत् में क्या दशा होगी इस विषय में अब तक बहुत कुछ कहा जा चुका है । अब हम यहा पर उनकी वर्तमान स्थिति बतलाना चाहते हैं । यह स्थिति एक मनुष्य ने इस प्रकार वर्णन की है कि जहा की जमीन उपजाऊ है वहा की तो आबोहवा अच्छी नहीं है और जहा की आबोहवा अच्छी है वहा की जमीन उपजाऊ नहीं है । वर्तमान स्थिति का विचार करने के लिये कुछ उपनिवेशों को दो भागों में बाटना पड़ेगा । पहले भाग में सेटलमेंट स्वरूप के उपनिवेशों का समावेश किया जा सकता है और दूसरे में प्रोटेक्शन-बगीचे-स्वरूप के उपनिवेशों का समावेश हो सकेगा । पहले भाग में नैर्ऋत्य अफ्रीका का कुछ भाग, पूर्वी अफ्रीका का ऊपरी प्रदेश और कुछ टापुओं का समावेश होता है । इन सबों का विस्तार जर्मन राष्ट्र से दूना है । दूसरे भाग में पूर्वी अफ्रीका के बहुत से भाग, कमेसन, टोगो और न्यूग्वायना का समावेश होता है । इसका विस्तार जर्मन राष्ट्र की अपेक्षा अट्ठाई गुने से भी अधिक है । परन्तु यूरोपियन लोगों के रहने योग्य आबोहवा के विचार से यह प्रदेश बहुत बुरा है । जर्मन उपनिवेशों का कुल विस्तार सन् १९०६ में २६, ५८, ४४९ वर्ग किलोमिटर (१ किलो-मिटर=३/४ मील) है, और वहां की आबादी १,२१,१९,००० है । कियुकाऊ को भी उपनिवेश मान कर सन् १९०६ में कुल उपनिवेशों की गौरी आबादी ५६६८ और नैर्ऋत्य अफ्रीका में

हैं उनमें इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन और आस्ट्रियन लोग भी हैं और अन्य लोगों में भी ये लोग थोड़े बहुत पाए जाते हैं।

टोगो उपनिवेश का खर्च वहा की आमदनी से पूरा होता है, बाकी उपनिवेशों को जर्मन साम्राज्य को घन से सहायता प्रदान करनी पडती है। सन १९०६-०७ में ४३,६२,५० पाँड सहायता उपनिवेशों को दी गई। इसमे से ३०५३,५० पाँड तो नैर्ऋत्य अफ्रीका में ही काम भागया क्योंकि उस अवसर पर वहा सैनिक खर्चा बहुत हो रहा था। परंतु अब यह खर्च दिनों दिन कम होता जा रहा है। अतएव साम्राज्य को दिनों दिन कम घन देना पडता है।

उपनिवेशों की खास आमदनी "कस्टम ड्यूटी" है अर्थात् बाहर से आनेवाले माल पर कर है। सन १९०६ में कर द्वारा कुल ४१,१०,५० पाँड की आमदनी हुई। विदेश से आनेवाले पक्के माल पर से कर द्वारा इतनी आमदनी हुई, यह तो ठीक ही है, परंतु इससे एक बात का और पता चलता है कि वहा के लोगों को इस प्रकार के माल लेने की अभिरुचि पैदा हो रही है। इस कर की आमदनी अधिकतर शराब की आमद से बड़ी है, यह दु ख की बात है। वहा शराब का व्यसन लोगों में खून बढ रहा है और इस व्यसन से कुछ जातियों का तो नामोनिशान तक मिट गया है। इसके अलावा और भी भिन्न भिन्न प्रकार के कर हैं जिनसे उषी साल ९६,३५,००० पाँड की प्राप्ति हुई। कालोनियल सेक्रेटरी का विचार है कि उपनिवेशों का खर्च उपनिवेशों की ही आमदनी से पूरा किया जाय और इस विचार को पूरा

करने के लिये हर एक उपनिवेश को साम्राज्य से जितनी सहायता दी जानी हो उसे निश्चय कर देना चाहिए । इस निश्चित धन की सहायता से यदि खर्च पूरा न हो तो उपनिवेशों को अपनी जिम्मेदारी पर रकम लेनी चाहिए ।

सन १९०५ में, उपनिवेशों का विदेशी व्यापार ९६५५००० पाँड का था । उसमें से ७०,२७,४०० पाँड का आयात और २६,२७,६०० पाँड का निर्गत था । आनेवाले माल में सरकारी सामान, रेलवे के काम में आनेवाला माल और इसी प्रकार की बहुत सी चीजें थीं । अतएव आयात की आमदनी को देखकर व्यापारोन्नति का स्वप्न देखना भूल होगी ।

कई एक उपनिवेशों में बागों की आमदनी बढ़ाना संभव है । वर्तमान समय में, इसी ओर लोगों का ध्यान भी लगा हुआ है । परंतु इसमें अधिक हाथ पैर हिलाने की तुरत गुंजाइश नहीं है क्योंकि ग़ोरे किसानों को इस काम में जो काठिनाई है वह यह है, कि स्थानीय मजदूर नियमित रूप से काम नहीं करते । कुछ लोग तो अवश्य ऐसे पाए जाते हैं जो जी लगा कर काम करते हैं परंतु अधिकता आलसियों की ही है । उनका आलस्य दूर करने के उपाय में अवतक उन्हें सफलता नहीं मिली है ।

पश्चिमी अफ्रीका के लोगों और कामेरून के लोग अब भी आलसी बने हुए हैं और मन लगा कर काम नहीं करते । वहा पर जी तोड़ कर मजदूर मेहनत नहीं करते । आबोहवा खराब और जमीन दलदली है, परंतु है उपजाऊ । पूर्वी अफ्रीका में अच्छे मजदूर मिल जाते हैं परंतु नैर्ऋत्य

अफ्रीका में मजदूरों के सङ्घ में जो कठिनाई आकर उपस्थित हुई है उसका दूर होना अभी सम्भव नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि हेरेरास जाति के जो लोग वहा मजदूरी का काम अच्छा करते थे उनका जर्मन लोगों ने नाश कर दिया है। इस कारण अब जमीन जोतने बाने योग्य अच्छे आदमी वहा नहीं मिलते। इन लोगों पर जर्मनी की इतनी अकृपा क्यों हुई, इसका इतिहास जानने योग्य है। परन्तु उस ओर जाना हमारे उद्देश्य के बाहर है। अतएव हमें तो इसी बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन लोगों के अभाव में नैर्ऋत्य अफ्रीका का खेती का काम और कुछ दिनों तक ऐसी ही निष्कृष्ट दशा में रहगा। इस प्रात की आवाहवा सौम्य है। जमीन काफी और उपजाऊ है। जगली घरागाँहें बहुत हैं। इन सब बातों की अनुकूलता के कारण, मजदूरों की कठिनाई दूर होते ही नैर्ऋत्य अफ्रीका में बहुत अच्छी पैदावार होने लगेगी, यह जर्मन सरकार का विश्वास है। हर वर्णवर्ग के मतानुसार, यह प्रांत शीघ्र ही ब्रिटिश कनाडा की योग्यता का हो जायगा। इस अतिशयोक्ति के विचार को एक ओर रख कर, सच्ची स्थिति ऐसी जान पड़ती है कि इस प्रात में यूरोपियन लोग बहुतायत से आकर निवास कर सकते हैं। वहा की आवाहवा उनके अनुकूल है और काम काज भी उन्हें वहा साधारणतः अच्छा मिल जायगा। परन्तु इस प्रात में कोई अच्छा बदर नहीं है। बालफिश की खाड़ी व्यापार के योग्य है परन्तु वह अमेजों के अधिकार में है। बदर की दृष्टि से स्वाफोयमेड स्थान अच्छा है। परन्तु उसके सामने ही

बालू का एक विशाल पहाड़ है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये एक कंपनी बनाई गई है, परंतु उसने अबतक कितना काम किया है, यह मालूम नहीं हुआ।

उपनिवेशों में कृषि ही प्रधान व्यवसाय है। अतएव कृषि का सुधार करके सांपत्तिक उन्नति करने का और कोई भी उपाय ही नहीं है। और यदि कृषि की जाय तो वह बढ़ हुए पैमाने पर ही की जाने से लाभदायक साबित हो सकती है। छोटे पैमाने पर खेती करने से लाभ की कोई संभावना नहीं है। अतएव जिनके पास काफी धन मौजूद है, वे ही इस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। कम से कम एक आदमी के २५,००० एकड़ भूमि पर खेती करने से नैर्ऋत्य अफ्रीका में लाभ हो सकता है। अतएव जिसके पास पाच सौ से लेकर ढाई हजार पौंड तक लगाने के लिये मौजूद हो, उसी को वहा जाकर खेती करने की इजाजत दी जा सकती है। इस यह स्पष्ट है कि उपनिवेशों से कितने लोगों को लाभ पहुँच सकता है। फिर बताइए, यह बात ब्रिटिश कनाडा के मुकाबले का शीघ्र ही हो जायगा, यह बात कलोनियल सेक्रेटरी साहब की बुद्धि में कहा से समा गई, वे ही जानते होंगे।

उपनिवेशों की उन्नति में एक और कठिनाई है। वह कठिनाई सड़कों और रेलों की है। विदेश जाने योग्य माल को ले जाने के लिये उपयुक्त साधन न होने से, नीचों लोगों के सिरों पर लाद कर माल पहुँचाना पड़ता है। हाथीदात, रबड़, और मोम को ले जाना सहज है और इन पदार्थों से लाभ भी

अच्छा होता है परन्तु ये पदार्थ जितने चाहिए उतने नहीं मिलते। पूर्वी अफ्रीका में तो माछ ले जाने की कठिनाई बहुत ही अधिक है। सन् १९०८ में राइश्टाग ने यहाँ ९०० मील रेलवे लाइन बनाने की मजूरी दी। यह रेलवे छ सात वर्ष में बन कर तैयार होगी। ब्रिटिश अफ्रीका में जिस हिस्सा से रेलवे बनाई गई है उसकी अपेक्षा जर्मन रेलवे वहाँ बहुत कम है। परन्तु “अकरणान्मदकरण श्रेय” इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि जो कुछ किया गया है, वह ठीक ही है।

इस अध्याय और गत अध्याय में जो बातें जर्मन उपनिवेशों के संघर्ष में कही गई हैं, उन पर ज़रा शांति के साथ विचार करने से यह बात अवश्य प्रतीत होगी कि देश की पदती हुई प्रजा और व्यवसाय वाणिज्य के लिये उपनिवेशों की उत्तम व्यवस्था और उचित सुधार करना, जर्मन लोग अपना कर्तव्य समझते हैं और अपने इस कर्तव्य पालन के लिये वे प्रयत्न भी बराबर कर रहे हैं। “वर्ल्ड पालिटिक्स” की लहरें इसी लिये तो लहरा रही हैं। इस प्रयत्न से इसका कोई संघर्ष नहीं यह कोई नहीं कह सकता। परन्तु हमारे विचार में इस उद्योग और प्रयत्न का मुख्य उद्देश्य यह है कि जर्मनी को नया बाजार हाथ आना चाहिए और यह उद्देश्य हर प्रकार से योग्य और दूर दृष्टि पर ध्यान रख कर स्थिर किया गया है, यह बात हर कोई सहज ही स्वीकार कर सकता है। अपने देश में ही जिनकी जीविका का कोई साधन नहीं रहा, उन्हें स्वदेश त्याग कर उपनिवेशों में जाकर, स्थायी

रूप से वास करना चाहिए । शायद राजकार्यप्रवीण पुरुषों के ध्यान में आज कल ये विचार न उत्पन्न होते हों क्योंकि अभी तक उपनिवेशों में रहने के लिये अनुकूल माधन नहीं हैं । अफ्रीका और पैसिफिक महासागर में जो प्रदेश जर्मनों के अधिकार में हैं, उनकी अभी "उपनिवेश" सजा देना ही उचित नहीं है, क्योंकि यह केवल वाक्यल है । इन प्रदेशों को "सुरक्षक-प्रदेश" (Protecterotes) अथवा "व्यापार के लिये प्रदेश" (Trading settlements) नाम दिया जाय तो बहुत उचित होगा, क्योंकि उपनिवेश कहलाने योग्य अभी तक उन प्रांतों में योग्यता नहीं है और इसी कारण यूरोपियन लोग अब तक वहा पर कहीं भी, घर घर बना कर स्थायी रूप से नहीं रहे ।

कारखानों में बना हुआ पक्का माल बेचने के लिये नए बाजार को हस्तगत करना अथवा सारे ससार भर में जर्मनी की सत्ता स्थापित कर के इग्लैंड के मुकाबले में उसे लाना, इन दो उद्देश्यों में से कौन मुख्य है और कौन गौण, अथवा दोनों मुख्य हैं, वाद विवाद के लिये कुछ भी मान लो, परंतु उपनिवेशों के आंदोलन में जो आश्रय अथवा सहायता लोगों से वर्तमान समय में प्राप्त हो रही है, वह भविष्यत् में भी मिलती रहेगी, यह अभी कहा नहीं जा सकता । परंतु उपरोक्त कारणों के अलावा एक और बलवान कारण है, उसे ध्यान में लाने से यह प्रतीत होता है कि लोगों का उत्साह अतः समय तक बना रहेगा । उपनिवेशों की उन्नति पर ही जर्मन राष्ट्र का वैभव अवलम्बित है, ऐसा चिह्नाने पर भी जिनके मन पर कुछ भी अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसे हजारों

नहीं लाखों लोग आरम्भ से जर्मनी में थे। परन्तु उपनिवेशों के प्रयोग में ही बहुत से जर्मन लोग गत इस पंद्रह वर्ष में कराल काल के गाल में चले गए, इस घात का विश्वास उनको करा देने पर वे लाग चौकन्ने हो गए और अपने काम में जो अब तक उदासीनता दिखाते थे वे अब यह कहने लगे—“जिस जमीन पर जर्मनी के अनेक पुत्र कराल काल के गाल में चले गए और जिस पृथ्वी के उदर में वे आज कल अत्रिड निद्रा-सुप्त का अनुभव ले रहे हैं, वह पृथ्वी अब और लोगों की नहीं, हमारी है। अतएव उसका सुधार करना और सदा उसकी चिंता रखना, यह हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है।” ये विचार अफ्रीका के सारे प्रदेशों के संबंध में सच्चे हैं। परन्तु नैऋत्य अफ्रीका के संबंध में तो अक्षरशः सत्य हैं और इस से स्वदशाभिमानी जर्मन लोगों के मन में, उपनिवेशों के संबंध में कैसी मनोभावना जागृत हुई है, यह घात अच्छी तरह ध्यान में आ जायगी। जर्मनी में जो भिन्न भिन्न सस्थाएँ हैं, उनके एकीकरण करने की मनुष्य का रक्त और लोह के अस्त्र शस्त्र जिस प्रकार कारणीभूत हुए हैं उसी प्रकार ये उपनिवेशों के भिन्न भिन्न प्रांतों को एकीकरण करने में भी कारणीभूत हुए हैं। अतएव जो प्रांत अपार प्राणहानि उठाकर प्राप्त किए गए हैं उनको अपने हाथ से निकल जान देना, राष्ट्र की मानहानि करना है। लोगों के इन विचारों का यह परिणाम हुआ है कि जर्मन राष्ट्र के भिन्न भिन्न राजकीय पक्ष के लोग, आपस का भेदभाव भुलाकर, एक मत से, इस आंदोलन को सहायता पहुँचा रहे हैं। वे लोग “जर्मन कलोनियल

सोसाइटी" सरीखी संस्थाएँ स्थापित करते हैं। उनमें से कुछ लोग यह भी कहनेवाले हैं कि उपनिवेशों से राष्ट्र को साप-
 त्तिक लाभ कुछ नहीं हुआ तो कुछ हर्ज नहीं, परंतु वहाँ
 के लोगों का सुधार करना, यह अपना उद्देश्य होना चाहिए।
 सोशियलिस्ट लोग पहले यह कहा करते थे कि "उपनिवेशों
 को बढ़ाओ" ऐसा कहनेवाले देश में खास कर धनाढ्य लोग
 हैं और उनकी नशात होनेवाली धन-वृष्णा ही, इस आदो-
 लन का मूल है। परंतु उनमें भी जो लोग नरम (Moderate)
 थे, उन्हें यह आरोप स्वीकार न था। मनुष्य जाति का सुधार
 करना ही सोशियलिस्ट—साम्यवादियों—का मुख्य उद्देश्य
 है। नीचों लोगों के समान कुबुद्धि और हीन-दशा-प्राप्त लोगों
 का, अपने द्वारा जो सुधार हो सके, उसके लिये पीछे न रहना
 यह पक्ष ले कर 'गरम बल' के नेताओं से वादविवाद
 आरंभ कर दिया। उस वादविवाद का परिणाम भी अच्छा
 हुआ। उपनिवेशों के संबंध में अब उनमें आपस में कोई
 झगड़ा नहीं रहा। अपने प्रतिरक्षी के साथ मिलकर राष्ट्रीय
 आंदोलन को सफल बनाने के काम में वे दत्तचित्त होकर
 काम कर रहे हैं। परंतु उनकी मुख्य कथन यह है उपनिवेशों
 के आदिम निवासियों के साथ गारे लोगों को सहृदयतापूर्वक
 वर्तव्य करना चाहिए और उनकी मानसिक और सापत्तिक
 वृद्धि का प्रयत्न सच्चाई के साथ किया जाना चाहिए। हमने
 जो ऊपर एक प्रबल कारण बताया था, उसका प्रभाव कैसा
 है, यह सोशियलिस्ट लोगों के उदाहरण से ही पाठकों के
 ध्यान में आ गया होगा।

अपने पड़ोसी राष्ट्र ने उपनिवेशों के समथ में जो उद्योग आरम्भ किया है, इस समथ में इंग्लैंड को कौन सा मार्ग स्वीकार करना चाहिए, यह निश्चय करना कठिन है। सन् १८८५ में, इंग्लैंड से इस काम में जर्मनी से पहली बार जब झटपट हुई, उस समय मि० ग्लैडस्टोन ने इंग्लैंड को किस मार्ग को पकड़ना चाहिए, इसका उल्लेख इस प्रकार किया था—

“हमारी ढाल को लटकाने के लिये कील ठोकने को जहा आराम की जगह मिलेगी वहीं कील ठोकने में हम जरा सी भी देरी न करेग।” इसी प्रकार के वाक्य एक बार जर्मन सम्राट् ने कहे थे, यदि यह बात सच है तो यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो उद्योग और राष्ट्रों ने सौ वर्ष पहले करके यश प्राप्त किया था वह उद्योग अब जर्मनी पचास तीस वर्ष से करने लगी है। अर्थात् ढाल लटकाने योग्य कील ठोकने के लिये जितनी आराम की जगह ससार में थी, अतनी अन्य राष्ट्रों ने पहले ही अपने हाथ में कर ली। सारा ससार जर्मनमय होना चाहिए, ऐसी आशा करनेवाले लोगों की पातों में यदि कुछ अर्थ है तो अन्य राष्ट्रों को उससे भयप्रद अर्थ निकालना उचित होगा, परतु जब तक सार जर्मन राष्ट्र के ऐसे विचार न हों तब तक भय करने का कोई विशेष कारण नहीं है। मित्रता के नात से जो जर्मनी को सहायता देना पसन्द न करते हों, वे सहायता न दे परतु “तुम्हारी चाल हमें पसन्द नहीं अतएव हम उस बीच में पड़ना नहीं चाहते” यह कह कर तटस्थ वृत्ति स्वीकार करना कुछ अनुचित न होगा। तटस्थ राष्ट्रों को यह बात ध्यान में रखनी

चाहिए कि सन् १८८१ में जब फ्रांस ने मोराको का मामला उप-स्थित किया उस समय प्रिंस बिस्मार्क ने बिल्कुल शांत वृत्ति धारण कर ली थी। आपने ऐसी वृत्ति क्यों स्वीकार की ऐसा जब लोगों ने उनसे पूछा तब उन्होंने यही उत्तर दिया—' उपनि-वेशों के सवध में फ्रांस जितना ध्यान देता है उतना ही जर्मनी को लाभ है ।' अर्थात् इस प्रकार के कामों में तटस्थ वृत्ति धारण करना प्रिंस बिस्मार्क को भी स्वीकार था, यह बात स्पष्ट प्रगट होती है ।

बीसवाँ अध्याय ।

साम्राज्य का खर्च ।

गुफरम लोकसत्तावादी लोगों को निकाल कर उन्होंने के
अन्य सभ राजकीय पक्ष के लोगों को बना हुआ
कठिन हो रही है । उनके कथन और कर्च से गुफरम
अंतर दिखाइ पड़ने लगा है । साम्राज्य का खर्च
हित होता है उस कार्य में उनका प्रयत्न करना है कि
इस कार्य संपादनार्थ जो खर्च होता है उसे वह साम्राज्य
भाग पीछा करत है । इस कार्य में साम्राज्य के खर्च
के लिये विशेष करों को लगाने से साम्राज्य को
ही नहीं दिखाई पड़ता, यही सब लोग कहते हैं कि
कर किस वस्तु पर लगाया जाय, इस बात पर साम्राज्य
है । सैनिक खर्च दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, युद्ध
खर्च का बोझा उठाने के लिये वे करों का प्रयोग करते हैं,
उन्हें वे अब तक सहन कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी के
साथ जर्मनी का व्यवहार है कि वे साम्राज्य को
जर्मन लोग चाहते हैं; साम्राज्य के खर्च को वह
खर्च करने की अदम्य क्षमता है, वे साम्राज्य को
को वे तैयार नहीं हैं । साम्राज्य के खर्च को
से इस प्रकार कि साम्राज्य के खर्च को
वरन जर्मन साम्राज्य के खर्च को
रियासते भी साम्राज्य के खर्च को

खर्च में जो कुछ कमी होगी, उसे हम पूरा करेंगे, वे भी साम्राज्य के घटे हुए खर्च को देख कर उसका रोना रोने लगते हैं।

साम्राज्य की स्थापना होने के समय से कुछ वर्षों तक तो देश में सर्वत्र शांति रही। इस कारण लोगों की खर्च के विषय में जो कल्पना थी, उसकी अपेक्षा अब कितना अधिक खर्च बढ़ गया है और आरम्भ में जहा राष्ट्रीय ऋण की गिनती लाखों पर थी वह अब करोड़ों पर पहुँच गई है। साम्राज्य की स्थापना होने के कुछ वर्ष बाद तक भी प्रति वर्ष एक करोड़ पचहत्तर लाख पाँड खर्च या परतु अब यदि किसी से यह कहा जाय तो उसे इतने कम खर्च का विश्वास न होगा। इस रकम में से एक चौथाई से एक तिहाई तक तो विदेश में आनेवाले माल पर कस्टम ड्यूटी (Custom duty) और संवाकू पर कर लगा कर वसूल की जाती थी। आधी रकम शक्कर, नमक, वियर और स्पिरिट पर देश में ही एक्साइज ड्यूटी (Excise duty), स्टाप, पोस्टेज और रेलवे की आमदनी से वसूल होती थी। पच्चीस स लेकर पैंतीस लाख तक साम्राज्यांतर्गत रियासतें सार्वभौम सरकार को प्रदान करती थीं। परतु कुछ वर्षों बाद ही खर्चा बढ़ने लगा। सन १९०८ में वह इतना अधिक बढ़ गया कि उस साल के बजट में खर्च की रकम का अदाजा बारह करोड़, सोलह लाख पाँड किया गया। गत बीस वर्षों में आठवीं तो तीसरी सदी के हिमाच से घड़ी परतु खर्च बढ़ा दो सौ तीस फी सदी। अर्थात् ढाई गुने से कुछ ऊपर।

सैनिक विभाग के अतिरिक्त सिविल, सर्विस विभाग की भिन्न भिन्न शाखाओं में दिनों दिन अधिक खर्च हो किसी भी राज्य में अनिवार्य है और इसी प्रकार यदि जर्मनी में भी खर्च बढ़ा तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु इतने से खर्च की रकम इतनी अधिक नहीं बढ़ सकती। इस खर्च बढ़ने के लिये और भी कुछ कारण होने चाहिए, और वे कारण और कुछ नहीं सेना और लड़ाई के जहाजों की वृद्धि है। उपनिवेशों को स्थापित करने का उद्योग आरंभ करने से, इन दोनों की अपेक्षा अधिक धन खर्च होने लगा है। सन् १८८० अर्थात् इस उद्योग का आरंभ होने से पहले स्थल और जल सेना दोनों को मिलाकर केवल २,३०,००,००० पाँड खर्च होता था। सन् १९०० में ३,५०,००,००० पाँड के अंदर ही खर्च रहा। परंतु सन् १९०८ में यह खर्च बढ़ कर ५,१०,००,००० पाँड हो गया। स्थल सेना की अपेक्षा जल सेना ही तैयारी में अधिक खर्च होता रहा। सन् १९०० में यह निश्चय किया गया कि समुद्री शक्ति बढ़ाने में अब इससे अधिक खर्च न बढ़ाया जाय। इसका बाद सन् १९०८ तक तो बराबर एक करोड़ पचहत्तर लाख पाँड खर्च होता रहा परंतु अब यह खर्च और भी अधिक बढ़ गया है। जर्मन साम्राज्य का इतना विशाल खर्च अप्रत्यक्ष रूप से केवल उपनिवेशों को बढ़ाने के कारण ही हो रहा है। आज से तीस वष पहले उपनिवेश विभाग ही न था। उपनिवेश विभाग के स्थापित होते ही खर्च करने के अनेक मार्ग दिखाई पड़ने लगे और सन् १९०८ में उपनिवेशों का खर्च बत्तीस लाख पचास

हजार पौंड तक पहुँच गया। यह खर्च कितना अधिक है, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है।

साम्राज्य का खर्च इसी प्रकार दिनों दिन बढ़ता जायगा इसके चिह्न अब भी दिखाई पड़ रहे हैं। सन् १९०४ में, जर्मन अर्थसचिव, बैरन वान स्टेंजेल ने राइश्टग में कहा था कि “ भविष्य के लक्षण मुझे अच्छे नहीं दिखाई पड़ते, यह मैं सभासदों से स्पष्ट कह रहा हूँ और जिस प्रकार आज कल आप अपना खर्च कर रहे हो यदि इसी प्रकार भविष्यत में भी खर्च किया जायगा तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है, यह बात मैं आप लोगों से खुले दिल से कह रहा हूँ। ” तीस पैंतीस वर्ष पहले जर्मनी पर विलकुल ऋण न था। सन् १८७६ और ७७ में ऋण लेने का पहले पहल आरम्भ हुआ। उस समय से सन् १९०८ तक वरावर कर्जा बढ़ता ही गया। सन् १९०८ में जर्मन राष्ट्रीय ऋण बीस करोड़ पौंड था। इस धन पर कितना अधिक सूद देना पड़ता होगा, इसकी कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं। जर्मन अर्थ-सचिव ने कुछ साल हुए तब यह भी कहा था कि—“ ऋण लेने में हम लोग सब राष्ट्रों से आगे हैं, यह कितने दुःख की यात है। फ्रांस और इंग्लैंड भी इस काम में हम से पीछे हैं। जिस समय फ्रांस ने अधिक राष्ट्रीय ऋण नहीं लिया था उस समय भी हमारा राष्ट्रीय ऋण उससे दस गुना अधिक था। इस ऋण के कारण राजनैतिक और सापत्तिक दृष्टि से जर्मनी की सारे सवार में बढ़नामी हुए बिना न रहेगी। ” जर्मनी में राष्ट्रीय-ऋण प्रति मनुष्य पर तीन पौंड चार शिल्लिंग है।

इसके अतिरिक्त प्रातों अथवा रियासतों पर जिसका तिसका कुछ न कुछ कर्ज है ही। परंतु इस ऋण के सवध में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह ऋण जिस प्रात पर है उस प्रात, ने उसे किसी न किसी उपयोगी काम के लिये लिया है। इस काम के सामने कर्ज का बोझा हलका नजर आता है जैसे किसी प्रात ने रेलवे बनाने अथवा खानों को खोदने के लिये कर्जा लिया तो उस कर्ज के मुकाबले में उस काम से विशेष लाभ पहुँचता रहता है। साम्राज्य और प्रातों का मिठा हुआ जो ऋण है, उसका आधा रेलवे बनाने के लिये लिया गया है और उस रेलवे से होनेवाले लाभ से ऋण चुका देने की व्यवस्था की गई है।

बीस पचीस वर्ष पहले, जो राष्ट्रीय ऋण था, वह अब बहुत बढ़ गया है। अतएव साम्राज्य का दिवाला निकलने का समय अब समीप आ गया है, यदि कोई यह कहे तो यह उसकी भूल है। सच बात यह है कि अपने खर्च का अदाजान कर के साम्राज्य सरकार ने विदेश से बहुत बड़ी जिम्मेदारी के काम अपने ऊपर ल लिए हैं और इस काम में कल्पना की अपेक्षा जब अधिक खर्च होने लगा तब सरकार को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। जब सरकार की यह वशा हो गई तब लोगों ने भी सरकारी काम की निंदा आरंभ कर दी और कुछ विचारशून्य पुरुष यह भी कहने लगे कि राष्ट्र का अब दिवाला निकलना ही चाहता है। यदि सरकार ने पहले से ही विचारपूर्वक काम किया होता तो प्रति वर्ष बजट में जो पाटा पड़ता है, वह न-पड़ता। परंतु इतने से ही जर्मनी की

आर्थिक स्थिति विलकुल बिगड़ गई है, यह कहना उचित नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि साम्राज्य के अतर्गत जो प्रांत हैं, वे बहुत धनाढ्य हैं। उनकी सारा पर साम्राज्य की मात्र अवस्था स्थिरता को रत्ती भर भी हानि नहीं पहुँच सकती—कुछ प्रांत ऋणी अवस्था हैं, यदि यह कोई आक्षेप करे तो उसके लिये इतना ही उत्तर है कि तुम ऋण की ओर न देखो, उस ऋण की सहायता से उस प्रांत ने अपने पास कितना धन (विशाल और अटूट कारखानों के रूप में) इकट्ठा कर लिया है, उसकी ओर देखो। धन के कारण साम्राज्य को जो सदा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसका मुख्य कारण यह है कि आवश्यकता से अधिक धन उसके हिस्से में कभी नहीं आता। उसकी आमदनी का जरिया बढ़ता है, यह सच है, ता भी, जितनी आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं, उनको पूरा करने के लिये वह काफी नहीं है। प्रांतिक सरकारें कजूसी से काम निकालती हैं और निश्चित किए हुए धन से अधिक धन साम्राज्य सरकार को देना नहीं चाहती।

साम्राज्य की आमदनी के जरिये नीचे लिखे हुए हैं—
सार्वभौम रेलवे, डाक, तार, कस्टम, एक्साइज, स्टाप और कई एक छोटी मोटी रकमें। कर द्वारा जो आमदनी होती है, उसे, निश्चित किए हुए धन की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त होने पर भिन्न भिन्न प्रांतों को उनकी आमदनी के हिसाब से बांट दी जाती है। और यदि खर्चे में कमी हुई तो साम्राज्य सरकार को प्रांतिक सरकार के सामने अपना हाथ पसारना पड़ता है।

साम्राज्य की आमदनी खास तौर पर विदेशी माल के 'कर' द्वारा प्राप्त होती है। देश के व्यवसाय और वाणिज्य की उन्नति के लिये यह कर समय समय पर बढ़ता रहता है। छत्तीस वर्ष पहले की आमदनी की अपेक्षा अब यह आमदनी छ गुनी बढ़ गई है। सन १९०६ में कर द्वारा कुल आमदनी ६६,७७,६०,००० मार्कस (२० ४ मार्कस=१ पौंड) थी। यह कर जब आरंभ में पहले पहल लगाया गया था तब उसे बढ़ा कर रखने का विचार न था। साम्राज्य का खर्च चलाने के लिये प्रातों के आगे हाथ पसारना न पड़े और लोगों को प्रत्यक्ष कर भी न देना पड़े, ये दो बातें सोच कर प्रिंस विस्मार्क ने यह युक्ति दूढ़ निकाली थी।

आमदनी का दूसरा द्वार देश में ही लगाया हुआ कर है। यह कर भी समय समय पर बहुत बढ़ाया गया है। सन् १८७२ में यह आमदनी बत्तीस लाख पचास हजार पौंड थी परंतु धीरे धीरे जैसे आधादी बढ़ती गई वैसे ही खाने पीने के सामान की खपत बढ़ती गई। अधिक सामान की खपत होने से कर द्वारा आमदनी भी बढ़ती गई। अब आज कल यह आमदनी दो करोड़ पौंड है।

साम्राज्य के जमा खर्च को व्यवस्थित स्वरूप सन् १९००, ईसवी में दिया गया। उस समय वसूल करने योग्य और भी अनेक बातें पाई गईं। परंतु जल सेना विभाग का खर्च अधिकाधिक बढ़ जाने के कारण नई आमदनी से भी पूरी न पड़ी। इससे यह बात स्पष्ट जान पड़ती है कि यदि साम्राज्य का खर्चा आज कल के समान ही बराबर बढ़ता गया तो

नमा खर्च के काम में सदा के लिये कोई नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तात्कालिक उपाय कुछ भी किए जायेंगे, उनसे काम चल नहीं सकेगा।

प्रजा पर प्रत्यक्ष (Direct) कर लगाया जाय अथवा अप्रत्यक्ष (Indirect) यह वादविवाद जब से जर्मन साम्राज्य स्थापित हुआ है तब से चल रहा है। परंतु हर साल साम्राज्य को धन की कमी पड़ने के कारण वर्तमान समय में, इस प्रश्न ने और भी जोर पकड़ा है। कमरवेटिव पक्ष के लोगों का कहना यह है कि खर्च की कठिनाई दूर करने के लिये यदि कर लगाने की आवश्यकता हो तो अधिक कर लगाया जाय, परंतु लोगों पर प्रत्यक्ष कर न लगाया जाय। रीडिकल और सोशल डेमोक्रेसी पक्ष के लोगों का कहना यह है कि संरक्षण कर लगाने की अपेक्षा, जिस प्रकार सब लोगों पर खर्च का बोझ समान पड़े, ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष कर लगाना बहुत उचित होगा। उन लोगों की राय है कि सार्वभौम आमदनी पर कर (Imperial Income-tax) लगाने में ही इष्ट कार्य की सिद्ध हो सकती है। परंतु इस विषय में, सरकार अभी तक कमरवेटिव पक्ष के लोगों के अनुकूल है। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीटजरलैंड में, अप्रत्यक्ष कर लगाने की पद्धति आज अनेक वर्षों से जारी है। जर्मन साम्राज्य का मत है कि उसे भी वही मार्ग स्वीकार करना चाहिए और प्रत्यक्ष कर लगाने के क्षण में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। खजाने के सेक्रेटरी साहब ने एक अवसर पर यह कहा था—“साम्राज्यातर्गत सब प्रांतों की यही राय है।”

प्रत्यक्ष कर लगाने का यदि हमने विचार किया तो वे उसे नष्ट किए बिना न रहेगी। राज्यव्यवस्था के नियमानुसार अप्रत्यक्ष कर लगाने का साम्राज्य को जो अधिकार प्राप्त है उस अधिकार-के अदर साम्राज्य की आमदनी के सुधार का प्रयत्न करना चाहिए।" एक और राजनीतिज्ञ ने इसका भाष्य इस प्रकार किया है—“प्रत्यक्ष सार्वभौम कर लगाने के लिये फेडरेल कौंसिलें कुछ भी तो अपनी राय देने को तैयार नहीं हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लगाने का आरम्भ होते ही साम्राज्य का संगठन जिन नियमानुसार हुआ है, उन नियमों का उपयोग में लाना कठिन हो जायगा।”

साम्राज्य संगठन के सत्रहवें आर्टिकिल में जो बात लिखी है उससे यह नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष कर लगाने के नियमों का ऐसा करन से उल्लंघन होगा और स्वयं प्रिंस विस्मार्क की भी यही राय थी। उनके इस मत का पता उनके उन भाषण से पाया जाता है जो उन्होंने किसी अवसर पर राइश्टाग में किया था। उन्होंने प्रत्यक्ष कर की अपेक्षा अप्रत्यक्ष कर प्यो लगाया, इसका कारण यह प्रगट किया था कि अप्रत्यक्ष कर का भार लोगों पर एकदम नहीं पड़ता। सत्राह सत्राह में कर देना पड़ता है अतएव लोग बड़ी खुशी से सहज ही उसे दे झालते हैं। उनकी यह राय बिलकुल ठीक है। प्रत्यक्ष कर लगाने से नियमों में बाधा उत्पन्न होती है अथवा नहीं, यहाँ पर यह बात समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय तो यह बात जानने की जरूरत है कि जर्मनी की यथार्थ दशा क्या है। वहाँ अनेक वर्षों से यह नियम चला आ रहा है कि

साम्राज्य के खर्च के लिये अप्रत्यक्ष कर सार्वभौम सरकार लगाती है और भिन्न भिन्न प्रांतों को प्रत्यक्ष कर लगा कर उसकी आमदनी से साम्राज्य की आमदनी को सहायता पहुँचाई जाती है ।

रेडिकल पक्ष के लोगों का कथन है कि सार्वभौम इनकम-टैक्स लगाना वर्तमान दशा में अनुचित है । प्रांतिक प्रजा को प्रांत के उपयोग के लिये एक, और जिस गाँव अथवा शहर में वह रहता है, उसके उपयोग के लिये एक, इस प्रकार दो कर देने पड़ते हैं । अब यदि तीसरा कर उसी स्वरूप का उस पर लगा दिया जायगा तो वह कर उसे असह्य हुए बिना न रहेगा । भिन्न भिन्न प्रांतों में आमदनी पर जो कर लगाया गया है वही आमदनी का मुख्य द्वार है और इस-करके द्वारा ही उस प्रांत का बहुत सा खर्च चलता है । ऐसी दशा में यदि सार्वभौम इनकम-टैक्स का भार और भी अधिक ढाला गया तो उनकी स्वतन्त्रता की आमदनी में बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाँयगी और जब प्रांतिक सरकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तो साम्राज्य सरकार की क्या दशा होगी, यह सोचने की बात है । अतएव ऐसी दशा में दूसरा कोई भी कर लगाने की सम्मति राइश्टग दे सकती है परंतु आमदनी पर टैक्स लगाने के लिये अभी कुछ वर्षों तक वह अपनी सम्मति देने को राजी न होगी, यह बात स्पष्ट है । परंतु इससे कोई यह न समझ ले कि साम्राज्य सरकार कभी भी यह कर लगाने को तैयार न होगी । संरक्षित व्यापार की अपेक्षा अप्रतिबद्ध व्यापार नीति को स्वीकार कर लेने पर, कर और कस्टम द्वारा आमदनी कम हो जाने पर

हुई तब प्रशिया के कसरवेटिव जर्मोदारों ने उसे मजबूर होकर स्वीकार किया। परन्तु उनके मन में साम्राज्य सबधी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, और यदि देश को हानि न पहुँचे तो साम्राज्य को नष्ट करने में, ये लोग अब भी पीछे पैर हटाने-वाले नहीं हैं। स्वयं जर्मनी के राजा, पहले विलियम अपने को "जर्मन सम्राट्" कहलाने की अपेक्षा होहन्जोर्न राजघराने का नेता कहलाने में अभिमान और अपनत्व समझते थे क्योंकि सम्राट् पद के साथ साथ साम्राज्य के सारे प्रदेशों अथवा रियासतों का स्वामित्व उसे नहीं प्राप्त हुआ था। प्रिंस विस्मार्क ने अपने "रिकेल्केशन (Recollections)" में लिखा है—“जर्मनी के अन्य प्रदेशों और राजघराने की एकता की भावना को लाने में हमें जितना प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ा उससे कहीं अधिक प्रशिया की इस भावना को दूर करने में, करना पड़ा। और सम्राट् पहले विलियम के साथ तो प्रजा का नाता होने के कारण, इस काम में, समय समय पर अतिशय दुःख उठाना पडा है। अपने घराने के विषय में, सम्राट् का मत, अभिमान सज्जित प्रोत हो रहा था और सारे जर्मन राष्ट्र के सुधार के प्रश्न के उपस्थित होत ही, यह अभिमान धीरे धीरे आकर उपस्थित हो जाता था। परन्तु जर्मन राष्ट्र का हित ही अपन राज्य प्रशिया का हित है, जब यह बात उनके ही ध्यान में आजाती तो फिर वह अपना अभिमान भुला कर राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कार्यों में उत्तम में कोई कसर भी उठाने रखते थे।” इसी प्रकार की बातें, इस सवध में प्रिंस विस्मार्क ने लिखी हैं।

इक्कीसवां अध्याय ।

साम्राज्य की अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति ।

सन् १८७१ में स्थापित हुआ साम्राज्य स्थायी होगा अथवा नहीं, इस विषय में जर्मनी के राजकीय पक्ष, खासकर उत्तर जर्मनी और बर्लिन राजधानी में, सदा वाद विवाद होता रहता है । सार्वभौम सरकार (सम्राट, चान्सेलर और स्टेट सेक्रेटरीज) और राइश्टाग में विरोधी पक्ष के लोग इस वादविवाद को बहुधा लाकर उपस्थित करते हैं । ऐसे वादविवाद के अवसरों पर दिए हुए भाषणों में साम्राज्य सबधी जो तर्क वितर्क होते हैं उनका कितना मूल्य अथवा महत्व है, इस बात का पता चल जाता है । जर्मनी में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है, जो यह समझता हो कि जर्मन साम्राज्य कभी नष्ट हो जायगा अथवा उसका कुछ भी अहित हो सकता है । सन् १८७१ के पहले देश की जो दशा थी उस दशा में देश का पुनः जाना असंभव है । राजनीति विशारद लोगों का यही मत है । परन्तु जर्मन राष्ट्र में कुछ खास लोग हैं जिनके मत में अब तक साम्राज्य सबधी प्रसन्न कभी उत्पन्न नहीं हुआ । सन् १८४८ में जब फ्रांस में राज्य-क्रांति हुई तब संयुक्त जर्मन, निर्माण करके प्रजा सत्तात्मक राज्य स्थापित करने का कुछ "बेजवाबदार" लोगों ने प्रयत्न किया था परन्तु प्रशिया के जमींदारों ने यह प्रयत्न सफल नहीं होने दिया । पश्चात् सन् १८७१ में जब साम्राज्य की स्थापना

हुई तब प्रशिया के कसरवेटिव जर्मोदारों ने उसे मजबूर होकर स्वीकार किया। परंतु उनके मन में साम्राज्य संबंधी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, और यदि देश को हानि न पहुँचे तो साम्राज्य को नष्ट करने में, ये लोग अब भी पीछे पैर हटाने-वाले नहीं हैं। स्वयं जर्मनी के राजा, पहले विलियम अपने को "जर्मन सम्राट्" कहलाने की अपेक्षा होइन्जोर्लन राजघराने का नेता कहलाने में अभिमान और अपनत्व समझते थे क्योंकि सम्राट् पद के साथ साथ साम्राज्य के सारे प्रदेशों अथवा रियासतों का स्वामित्व उसे नहीं प्राप्त हुआ था। प्रिंस बिस्मार्क ने अपने "रिकलेक्शन (Recollections)" में लिखा है— "जर्मनी के अन्य प्रदेशों और राजघराने की एकता की भावना को लाने में हमें जितना प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ा उससे कहीं अधिक प्रशिया की इस भावना को दूर करने में, करना पड़ा। और सम्राट् पहल विलियम के साथ तो प्रजा का नाता होने के कारण, इस काम में, समय समय पर अतिशय दुःख उठाना पड़ा है। अपने घराने के विषय में, सम्राट् का मत, अभिमान स ओत प्रोत हो रहा था और सारे जर्मन राष्ट्र के सुधार क प्रश्न के सर्वास्थित होत ही, यह अभिमान बीच में आकर उपस्थित हो जाता था। परंतु जर्मन राष्ट्र का हित ही अपने राज्य प्रशिया का हित है, जब यह बात उनके ही ध्यान में आजाती तो फिर वह अपना अभिमान मुला कर राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कार्यों में उत्तेजना देने में कोई कसर भी उठा न रखते थे।" इसी प्रकार की और भी अनेक बातें, इस सबंध में प्रिंस बिस्मार्क ने लिखी हैं।

एल्ब नदी के पूर्वी भाग के जमींदारों के मन में साम्राज्य विषयक निष्ठा जरा कम होने का मुख्य कारण, केवल राजघराने का अभिमान ही नहीं है वरन् यह भी है कि साम्राज्य की रचना उदार तत्वों को सम्मुख रख कर नहीं की गई है और इससे उनका महत्व कम हो गया है। अतएव ये लोग राइश्टाग में निर्वाचन के अधिकार और भिन्न भिन्न पक्षों के हाथ में दी हुई सत्ता को कम करने का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने में सकोच नहीं करते। भिन्न भिन्न पक्ष के लोग एक होकर संयुक्त सरकार के साथ जय वादविवाद करने लगते हैं तब सरकार को उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। यह दशा अच्छी नहीं है अतएव इसके सुधार के लिये सरकार को वे उपरोक्त दो बातें बताया करते हैं।

जर्मन राष्ट्र के भव लोगों को, फिर वे चाहे किसी पक्ष के हों, कभी न कभी अपने ऊपर अविश्वास उत्पन्न हो ही जाता है और एक प्रकार की धवराहट उनमें पाई जाती है, यह सच है। परन्तु इस बात को अधिक महत्व देना भूल है। जर्मन साम्राज्य अब सुदृढ़ हो गया है और अब उसे किसी का भय नहीं है। समस्त देश में ही उस पर किसी प्रकार का सकट आने की संभावना नहीं है। यदि परचक्र में फँस जाने का अवसर आजाय तो उससे निकल जाने की शक्ति भी उसमें मौजूद है। यह बात जर्मन लोग अच्छी तरह जानते हैं। परन्तु कभी कभी वे, ये सब बातें भूल भी जाते हैं। वास्तव में किसी प्रकार का रोग न होने पर जब कोई यह समझने लगता है कि मैं रोगी हूँ और यह सोच कर वह

घमरा जाता है, वस, उसी प्रकार जर्मन भी कभी कभी, बिना कारण घमरा जाते हैं। और इसी कारण जर्मन लोगों का राष्ट्रीय तेज जितना प्रकाशमान होना चाहिए उतना दिखाई नहीं पड़ता। परंतु निराशावाद क्रमशः कम हो रहा है। वर्तमान भ्रम को मेट देना और फ्रांस के साथ युद्ध होने के पहले राज्य में जो गड़बड़ी मची हुई थी, उसे दूर करने का प्रयत्न प्रत्येक जर्मन तन, मन, धन से कर रहा है।

जर्मन राष्ट्र में अब सच्चकोटि की स्थिरता और एकता आ गई है, वह बात जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन बातों के मालूम हो जाने से एक और विशेष बात के प्रतिपादन करने में आसानी होगी। जर्मनी में प्रत्येक मनुष्य को, आज से चालीस वर्ष पहले, वरसेलिस में साम्राज्य स्थापना की घोषणा प्रसिद्ध किए जाने पर जो उत्साह था और हर एक मनुष्य अपने को साम्राज्याभिमानी (Imperialist) समझता था, वह बात अब नहीं है। फ्रांस के साथ युद्ध करके, सब प्रांतों ने एक दिल होकर शत्रु से युद्ध में विजय प्राप्त की। अतएव राजकीय व्यवहार में उनमें एकता उत्पन्न करने का भाव प्रिंस बिस्मार्क के मन में उत्पन्न हुआ और उसी अवसर पर साम्राज्य स्थापना की अनुकूल स्थिति प्राप्त होने का समय आ उपस्थित हुआ। इस स्थिति का बिस्मार्क ने अच्छा उपयोग किया और युद्धस्थल पर ही यश की विजयपताका, साम्राज्य स्थापना के रूप में, फहरा दी। युद्ध के समय जिस प्रकार हम एक हैं उसी

प्रकार शांति के समय में भी हम सब एक होकर रह सकते हैं, यह बात अपनी विलक्षण-बुद्धि से विस्मार्क ने कर दिखलाई। देशाभिमान का पारा उस समय बहुत ऊचा हो गया था। परंतु कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वह उतरने लगा। साम्राज्य स्रवधी उच्च कल्पना नष्ट होकर उसके स्थान पर उसका यथार्थ लाभ प्राप्त करने की कल्पना वर्तमान समय में आ उपस्थित हुई है। साम्राज्य चाहिए, जैसी पहले इच्छा थी वैसी ही इच्छा अब भी बनी हुई है। परंतु किस लिये? कवल व्यवहार में उसका उपयोग होने के लिये। साम्राज्य के व्यवहारिक उपयोग से बस अब इतना ही समझा जाता है कि राज-नैतिक विषयों में अन्य राष्ट्रों के साथ अपना तेज अथवा महत्व प्रगट करना और छोटी छोटी सयुक्त रियासतों अथवा प्रांतों का कार्य बड़ी बड़ी रियासतों के मुकाबले में उत्तमता पूर्वक चलाना। इनमें से पहला उद्देश्य स्पष्ट और कार्यानुकूल है। परंतु दूसरा उद्देश्य उतना स्पष्ट नहीं है। जर्मन कहने से जहा एक ही खून का बोध हो और जर्मन शत्रु कहने से जहा सारी जर्मन जाति का शत्रु समझा जावे, यह भावना उत्पन्न होकर सब रियासतों न मिलकर जिस समय साम्राज्य का संगठन किया उससे पहले राज्य और रियासतों की दशा कैसी थी, जिन्हे इस बात का स्मरण है, उन्हीं के ध्यान में विशेष कर के, यह दूसरा उद्देश्य आ सकेगा, अन्य लोगों के नहीं। साम्राज्य संगठन के समय साम्राज्य के लिये कानून कायदे बनानेवाली और इन कानून कायदों पर चलनेवाली नई सस्थाएँ उत्पन्न हुईं। अतएव पुरानी रियासतों को अपने अधि-

कार त्यागने पडे । परतु ऐसा होने के पहले से वे अधिक शक्तिशालिनी हो गई हैं । हमारा यह कथन चाहे किसी को विपरीत मालूम हो परतु यथार्थ बात यही है । यदि और कोई भी, विचार कर के देखेगा तो वह भी इसी नतीजे पर पहुँचेगा । इस नई व्यवस्था से प्रत्येक रियासत अथवा प्रांत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है और यह स्वतंत्रता भागो भी ऐसी ही रहेगी । रियासतों में राजा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो गए हैं और स्वतंत्र की शक्ति पर अवलंबित रहकर अन्य लोगों से अलग रहनेवाले राजा के राज्य से अल्प सत्तात्मक राज्यपद्धति जो प्रायः नष्ट हो गई थी अब भी थोड़ी बहुत, उसी प्रकार बनी हुई है । एक सत्तात्मक राज्य पद्धति अर्थात् वंशपरंपरागत राज्यशासन का प्रभाव जितना पहले था उतना ही अब भी जर्मनी में बना हुआ है । सोशल डेमोक्रेटिक पक्ष अर्थात् प्रजासत्तावादी लोग प्रजासत्तात्मक राज्यपद्धति के सिद्धांतों को कितना ही लोगों को समझावे परतु इससे उनकी राजनिष्ठा में कुछ भी अंतर पड़ने की सम्भावना नहीं है । प्रिंस विस्मार्क ने अपनी रिक्त लकूशन" नाम की पुस्तक में उपरोक्त मत को दृढ़ करने के लिए अपने विचार स्पष्ट प्रदर्शित किए हैं । उनके मतानुसार भी नवीन राज्य व्यवस्था से, केवल प्रशिया में ही नहीं, छोटे बड़े सब प्रांतों में अथवा रियासतों में भी राजा की सत्ता अधिक बढ़ गई है । किन्हीं रियासतों में तो राजा की लोकप्रियता के कारण, यह सत्ता और भी अधिक बढ़ हो गई है । राजनैतिक विषयों में प्रगमनशील कल्पना के अनुरोध से प्रजा को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं और इस प्रकार कार्य करने से राज

सत्ता और भी दृढ़ हो गई है। तात्पर्य यह है कि राजा के सबध में एक-सत्तात्मक राज्यपद्धति की जड़ें जनता की श्रद्धारूपी उपजाऊ भूमि में बहुत गहरी खली गई हैं।

सन् १८२८ में गेते (Goethe) ने लिखा था—“राज्य में एक राजधानी बनाने से जर्मनी में एकता उत्पन्न होगी, जो यह बात कहता है, वह भूलता है।” सन् १८७१ में जिन लोगों को इस भूल के मत पर विश्वास था, उन्हें विचारने पर यह प्रगट हो गया कि साम्राज्य की स्थापना हो कर एक राजधानी होने से एकता की अपेक्षा भिन्नता का भाव अधिक दृढ़ हो गया। साम्राज्य को स्थापित करने से यह भेदभाव दूर हो जायगा, जिनको इस बात का बड़ा भरोसा था, वे भी अंत में निराश हुए। परंतु साम्राज्य का स्वास्थ्य और उसके भरोसे पर बढ़ता हुआ व्यवसाय और स्वतंत्र के कामकाज सबधी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिये संयुक्त राज्य बड़ा प्रयत्न करते रहते हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि जर्मनी में भिन्न भिन्न जो छोटी छोटी रियासतें हैं और जिनको “पितृभूमि” (Fatherland) कहते हैं, उनके विषय में, प्रजा के मन में अपने राजघराने और पितृभूमि के विषय में विलक्षण प्रेम उत्पन्न हो गया है।

प्रिंस बिस्मार्क का सिद्धांत था कि यदि जर्मन लोगों के मन में वास करता हुआ राजघराने का प्रेम कम किया जाय तो उनमें देशाभिमान का गुण उत्पन्न नहीं हो सकता। इस विषय में उन्होंने लिखा है—“जर्मन लोगों का पितृभूमि पर प्रेम होने के लिये राजा पर निष्ठापूर्वक प्रेम का होना बहुत

आवश्यक है । जर्मन राजघराने के मुख्य पुरुष को यदि आज एकदम पदच्युत करने की कल्पना की जाय तो यूरोप के राजकाज में और परस्पर राष्ट्रों में विवादग्रस्त प्रश्न जो सदा उपस्थित होते हैं, उससे जर्मन लोग अलिप्त रहेंगे । हम लोग जर्मन हैं केवल इतनी ही बात ध्यान में रखकर वे एकमत हो कर कोई भी राष्ट्रीय व्यवहार नहीं करेंगे । राजा समाज में सब से घेष्ठ है, वह समाज का नियता है, ये मानसिक घघन यदि एक बार शिथिल हो जावें तो एकता के सूत्र में वेंधे हुए अन्य राष्ट्रों के सामने जर्मन लोग ठहर नहीं सकते । अन्य लोगों की अपेक्षा प्रशिया के लोगों में राष्ट्रीय गुण विशेष हैं । यद्यत्त उन्नत देश के इतिहास से स्पष्ट ज्ञात होती है । परंतु वहाँ भी यदि होडेनजोर्न राजघराना नष्ट हो जाय तो उनमें इस गुण का होना अथवा न होना बराबर है और इस समय पर पूर्व प्रशिया और पश्चिम प्रशिया में जो एकता है वह नष्ट हो जायगी । विशिष्ट राजघराने का उत्कट अभिमान और उस घराने के नाम के नीचे आनेवाले राष्ट्रीय समूह के लोगों के अतःकरण में एकता उत्पन्न करने के काम में होनेवाला उसका उपयोग, ये दो बातें जर्मन साम्राज्य के सबंध में विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए ।”

जर्मन लोग अपने अपने प्रातों पर उसी प्रकार प्रेम करते हैं जैसा साम्राज्य संगठन से पहले करते थे । साम्राज्य सबधी अभिमान होते हुए भी अवसर आने पर वे अपने प्रात का प्रेम भुलाते नहीं और अपनी छोटी सी पितृभूमि की स्वतंत्रता नष्ट करने की अपेक्षा साम्राज्य नष्ट होने की कुछ परचाह नहीं

करते । इस प्रकार के विचार के लोग बड़ी बड़ी रियासतों में तो पाए ही जाते हैं परंतु छोटी छोटी रियासतों में भी ऐसे लोगों का अभाव नहीं है । रियासतों को जो अधिकार प्राप्त हैं, उनमें से यदि किसी अधिकार को कम करने की चर्चा उठाई जाय तो उनका खून खौलने लगता है । अतएव लोगों के मन में जो पृथग्भाव है, उसे दूर करके केवल यह भाव उत्पन्न करना कि हम सब 'जर्मन' हैं साम्राज्य के राजनीतिज्ञ पुरुषों का कर्तव्य है और वे अपने कर्तव्य पालनार्थ दत्त चित्त हो कर लग हुए हैं । उनका यह प्रयत्न सिद्ध हो जाने पर जर्मन एक राष्ट्र है, यह भाव उनके मन में उत्पन्न हो जायगा और वर्तमान समय के डावाडोल विचार नष्ट हो कर साम्राज्य सघर्षी उनका विश्वास अधिक टूट हो जायगा, इसमें संदेह नहीं है ।

जर्मनी में सार्वभौम जो सत्ता स्थापित हुई है, वह बिल्कुल अनियंत्रित नहीं है । लोगों को उस पर कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त है । अतएव उसका स्वरूप बहुत कुछ सौम्य हो गया है । परंतु तौ भी लोकमतानुरोध से इससे अधिक सौम्य स्वरूप दिया नहीं जा सका यह जान कर बहुत से लोगों में निराशा उत्पन्न हो गई है । राइश्टाग (पार्लियामेंट, प्रजा द्वारा चुने हुए लोगों की सभा) पर किसी भी पक्ष के लोग प्रसन्न नहीं है । परंतु इसका बहुत सा दोष कुछ लोगों के कथनानुसार स्वयं सभासदों पर है । ये सभासद कोरा वादविवाद और टीका टिप्पणी करने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं । राष्ट्र के कल्याण की ओर उनका विशेष ध्यान नहीं रहता । उनपर

जाय आक्षेप किए जाते हैं वे बहुत करके ठीक हैं। परतु सारा दोष सभासदों का भी नहीं है। उनके हाथ में काम करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अतएव वे कोरा वाद विवाद करते हैं। राइश्टाग के संगठन का इतिहास देखने से पाया जाता है कि उसमें दो प्रकार की राज्यपद्धति का मिश्रण करने का प्रयत्न किया गया है। य दोनों पद्धतिया-एक तो जर्मनी की रियासतों में प्रचलित एक-सत्तात्मक-राजपद्धति और दूसरी पश्चिमी प्रतिनिधि-निक्षिप्त शासन पद्धति हैं। इस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध शासन पद्धतियों का मिश्रण करके राइश्टाग को जो स्वरूप दिया गया है वह अपूर्ण है। २१ वर्ष की उमर का प्रत्येक मनुष्य उसमें सभासद हो सकता है। "फेडरेल कौंसिल" अर्थात् संयुक्त रियासतों की प्रतिनिधिसभा जिसे "बुंडसराट्" कहते हैं उसीके समान कायदा कानून बनाने का इस सभा को अधिकार है, यह सच है, परंतु काम करनेवाले अधिकारियों पर अर्थात् मंत्रिमंडल पर उसका विलकुल अधिकार नहीं है। मंत्रियों को नियत करना अथवा उनको अलग करना यह अधिकार जर्मन सम्राट् के ही हाथ में है और अपन इच्छानुसार वे उसका उपयोग करते हैं। व्यक्तिश अथवा सघ शक्ति के बल पर राजकीय पक्ष के लोगों को सम्राट् अथवा अधिकारियों के विरुद्ध हाथ पैर हिलाने तक का अधिकार न होने का परिणाम यह होता है कि कानून कायदे बनाने का अधिकार राइश्टाग के सभासदों को होते हुए भी जिनको सारा राष्ट्र-चुनता है, राज-काज चलाने के काम में राष्ट्र का हाथ नहीं होता। सभा में वादविवाद का काम

लोग खुले दिल से करते हैं। सरकारी काम को उचित मान न देखकर मनमानी टीका टिप्पणी करते हैं। अपने इच्छानुसार बिना रोक टोक के वे अपनी राय देते हैं। ये सब बातें जैसी होनी चाहिए वैसी होती हैं, परंतु इतना होकर भी सभासदों को राज काज में जो अपनत्व होना चाहिए वह नहीं होता और भेदभाव बना ही रहता है।

कानून कायदा बनाने का भी समान रूप से विभाग नहीं किया गया है। किसी नए कानून का मसौदा उपस्थित करने का अधिकार सभासदों को दिया गया है। इसी प्रकार सरकार की ओर से जो कानून का मसौदा पेश हो, उसे पास न करने अथवा उसमें सुधार करने का भी अधिकार सभासदों को दिया गया है, और इसी तरह पर यदि किसी सभासद ने कोई बिल उपस्थित किया तो उसे स्वीकार करने अथवा न करने या उसके बजाय दूसरा नया बिल उपस्थित करने का सरकार को भी अधिकार प्राप्त है। दोनों की समानता बताने का यह एक उत्तम साधन है। परंतु व्यवहार में वह किसी काम का नहीं है। सरकार द्वारा उपस्थित किए गए बिल बराबर पास होनेवाले हैं परंतु यदि किसी सभासद ने बिल उपस्थित किया तो बिल पास होने तक उसका नाकौं दम आ जाता है। बिल को वापस लेने की अपेक्षा उसमें जितना कतर ब्योत सरकार चाहती है उतना करने को भी वह विचारा तैयार हो जाता है। सरकार की ओर से किसी योजना के उपस्थित किए जाने पर, उसे अस्वीकार कर देने से कायदा कानून बनाने का यत्न बंद करने

का अधिकार राष्ट्रताग को है परतु इस अधिकार का उपयोग करना मानो सरकार को उठते बैठते तग करना है; फिर भी इससे कोई विशेष लाभ न होकर उल्टी मूर्खता गले पड़ती है। अतएव ऐसी मूर्खता को लेकर काम को बढ़ कर देने की अपेक्षा सरकारी योजना में उचित फेर फार कर के उसे स्वीकार करने का मार्ग ही सभासद पसद करते हैं।

किसी पक्ष के अधिकारारूढ होने पर, उसी के हाथ में, राज काज के सारे सूत्र देना, इंग्लैंड के समान जर्मनी में, यह चाल नहीं है, और वहा के कुछ लोगो का मत है कि ऐसा न होना हितकर है। इस सबष में वे यह उक्ति बताते हैं कि जर्मन मंत्रिमडल में पक्षाभिमान न होने से वे जो कानून कायदा पास करते हैं, वह किसी खास पक्ष के हित साधनार्थ पास नहीं किया जाता, सारी प्रजा का जिससे हित होता है उसी प्रकार की राज्यव्यवस्था बनाने की आर सदा उनका ध्यान रहता है। इंग्लैंड के मंत्रिमडल से इतना निष्पक्षपात होकर काम करते नहीं बनता। परतु इन विचारों में भूल है। थोड़ा सा विचार करने पर ही यह भूल मालूम हो जाती है। जर्मनी के अधिकारी मडल के पक्षाभिमान की बात तो दूर रही वरन प्रतिनिधि सभा में अपना मत प्रबल करने के लिये जिस पक्ष के लोग अपने अनुकूल हैं, ऐसा प्रतीत होने पर, उन्हें अपने पक्ष में मिलाने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि पक्ष प्रबल न होने से राज-शकट चल कैसे सकता है ? इस प्रकार का व्यवहार प्रातिक सभाओं (बाएट) में ही होता हो, यह बात नहीं है, प्राशिया अथवा

साम्राज्य की बड़ी सभा में भी यह व्यवहार चलता है। गत बीस पचीस वर्षों में, एक दो अवसरों को छोड़ कर प्रशियन लॉन्ग हाउस में कंसरवेटिव पक्ष के लोगों के हाथ में हाथ मिलाकर सरकारी अधिकारी, अपना पक्ष प्रबल बनाते रहे हैं। प्रिंस विस्मार्क ने भी साम्राज्य के आरम्भ में राइश्टाग में के एक पक्ष का सहारा लिया था। परंतु जब उस पक्ष को अपने अनुकूल होते न पाया तब उसे त्याग कर फिर दूसरे पक्ष का सहारा लिया। उनके पश्चात् होनेवाले चांसलर लोगों ने भी इसी मार्ग का अनुकरण किया। तात्पर्य यह है कि जो पक्ष प्रबल होता है, मन्त्रिमंडल उसी पक्ष को अपने अनुकूल बनाए रखने का प्रयत्न करता है।

जिस राज्य का ध्येय एक सत्तात्मक राज्यपद्धति नहीं है अथवा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अनुसार बहुसत्तात्मक राज्य पद्धति भी नहीं है, उस राज्य के लोगों के मन में सार्वजनिक हित सबधी सन्नति के विचार उत्पन्न नहीं होते और राजनैतिक हित के उपयोगी विचार श्रृंखलाबद्ध नहीं होते। अपने हाथ में अधिकार नहीं है, यह बात भिन्न भिन्न पक्ष के लोग जान कर निरर्थक वादविवाद में अपनी सारी शक्ति लगाते हैं और इस कोरे वादविवाद से कोई लाभ भी नहीं होता। राइश्टाग के सारे सभासद राष्ट्र के युवा पुरुषों द्वारा निर्वाचित होते हैं और उनके पक्ष में बहु-जन-समाज होता है। यह बहु-जन-समाज वाद-विवाद-प्रिय होने के कारण वक्तृता का स्रोत बराबर बहा करता है। परंतु उनकी नि सार वक्तृताएँ जितनी निष्फल होती हैं उतनी अन्य शिक्षित देशों की किसी भी प्रतिनिधि

सभा के सभासदों की नहीं होती। टीका टिप्पणी करने में कोई रोक टोक नहीं है, यह बात उन सभासदों को मालूम ही है। अतएव सरकारी काम की वे इच्छानुसार आलोचना करते हैं और ऐसा करने पर वे ससार के नाना विषयों पर षक्वृताएँ फटकारते रहते हैं। यदि एक वर्ष के व्याख्यानो की संख्या देखी जाय तो मालूम होगा कि ससार का कोई भी विषय छूट नहीं गया है। परंतु यह पद्धति राजनैतिक दृष्टि से हितकारिणी नहीं है और कानून कायदा बनाने के काम में भी उससे उचित सहायता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि राजकाज में लोकमत का लाभदायक प्रभाव जो पड़ना चाहिए, वह नहीं पड़ता। अधिकारी लोग अपना काम ईमानदारी और फर्त्तव्य-रत होकर करते हैं, इस बाबत किसी को शंका नहीं है। परंतु साधारण लोगों के साथ मिलकर सामने उपस्थित किए गए प्रश्नों पर उदारतापूर्वक समाज का हिताहित देखकर कार्य करने की योग्यता का अभाव उनमें अवश्य है, और सब से बुरी बात जो है, वह यह है, कि पार्लियामेंट के समान सभा पर कानून कायदा बनाने की जिम्मेदारी होने की अपेक्षा उसके अधिकारी मंडल पर होने के कारण, असंतुष्ट प्रजा, अधिकारियों पर और जिस राज्य-पद्धति द्वारा आवश्यकता से अधिक सत्ता हाथ में आती है, उस राज्य पद्धति पर, दोषारोपण करती है। किसी राजनैतिक विषय का निर्णय इंग्लैंड के कुछ लोगों अथवा किसी पक्ष विशेष को पसंद न हुआ तो वहा राज्य-पद्धति को सहसा दूषित नहीं बताया जाता, क्योंकि जो मूल हो गई है, उसको पुनः ठीक कर लेने की

कमोवेश शक्ति वे समझते हैं कि हममें मौजूद है। असतुष्ट जर्मन नागरिक लोग स्वतः किसी बात को करने में समर्थ नहीं हैं। अतएव वे राज्य-पद्धति को ही सदा दूषित बताया करते हैं।

राज्य व्यवस्था में किस प्रकार का सुधार जर्मन लोग चाहते हैं, उसका दिग्दर्शन भी यहाँ पर करा देना उचित होगा। जिन तीन बातों के लिये वहाँ वाद विवाद हो रहा है वे ये हैं—(१) चुनाव का अधिकार (२) सभासदों का निर्वाचन विभाग और (३) राजमन्त्री की जिम्मेदारी। इनमें से पहली बात का संबंध तो केवल उन रियासतों से है जहाँ निर्वाचन सबधी सुधार अभी तक होना बाकी है, और बाकी की दो बातों का संबंध सार्वभौम सभा से है।

प्रशिया में प्रतिनिधियों के निर्वाचन सबधी अधिकार का जो प्रश्न उपस्थित है, उसे स्थानीय-प्रश्न बनाए रखने का प्रयत्न आज बहुत वर्षों से हो रहा है परंतु उस प्रश्न को अब सार्वभौम स्वरूप प्राप्त हो गया है। प्रशिया के लोअर हाउस में रेडिकल पक्ष के एक सभासद ने सन् १९०८ में कहा था—
 “जर्मन की सारी संयुक्त रियासतों में प्रशिया का स्थान सबसे ऊँचा है और सारे साम्राज्य पर उसका प्रभाव है, अतएव प्रशिया में निर्वाचन सबधी प्रश्न का निर्णय केवल प्रशिया की दृष्टि से न, किया जाकर जर्मन राष्ट्र की दृष्टि से किया जाना चाहिए।” प्रशिया की राज्यव्यवस्था को नवीन पद्धति पर लाने की ओर अन्य रियासतें बहुत ध्यान देती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बुद्धिबल और राष्ट्र की साम्प्रतिक

दशा सुधारने में प्रशिया ने नेता बन कर जैसा काम किया है वही प्रकार राजनैतिक विचारों को नया स्वरूप देने के काम में भी उसको अगुआ बनकर काम करना चाहिए, इस भाव का प्रशियन लोगों के मन में उत्पन्न होना एक सहज बात है। "इपीरियल चैंसलर" और "प्रशियन मिनिस्टर प्रेसिडेंट" इन दोनों जगहों पर एक ही आदमी होने का उद्देश्य यही है कि साम्राज्य और रियासतों की राज्य-पद्धति समान हो। यह बात रियासतों की ओर से उपरोक्त बात को पुष्ट करने के लिये बार बार आगे लाई जाती है और इस विषय में उभय पक्ष के बीच सदा वाद विवाद होता रहता है। एक पक्ष दक्षिणी जर्मन लोगों का यह है कि प्रशिया के धीमेपन के कारण हम लोग भी पीछे रहे जाते हैं। दूसरा पक्ष यह कहता है कि यदि प्रशिया के राजनैतिक विचारों में पीछे पड़े हुए लोगों को इन उदाराशय मनुष्यों ने अपने साथ ले चलने का प्रयत्न किया तो लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं।

प्रशिया के जमींदारों के मुख्य समाचार पत्र "बर्लिन क्रॉस गजट" ने सन् १९०७ में एक लेख प्रकाशित किया था— "प्रशिया अथवा अन्य रियासतों के बीच जो मतभेद है वह आज कल एक नया रंग लाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ रियासतों और खास कर दक्षिण जर्मनी की रियासतों में पार्लियामेंट (डाएट) के निर्वाचन के जो नियम हैं, उनमें लोकमत का खयाल करके कुछ बदल बढ़ किया गया है। इसी प्रकार प्रशिया भी अपने नियमों में बदल बढ़ कराना चाहता है परंतु प्रशिया की सरकार और पार्लिया-

मेंट को यह बात स्वीकार नहीं है। दक्षिण-जर्मनी की रियासतों को सार्वभौम डाएट की पद्धति पर प्रत्येक बालिग पुरुष को मत देने का अधिकार है। इसी कारण राजनैतिक उन्नति के कामों में नेता होने का थोड़ा मान उनको देना जरूरी है। परंतु प्रशिया में इसका बिलकुल उल्टा है, यह बात जो लोग कहते हैं, वह ठीक नहीं है। इन लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जर्मन साम्राज्य संगठित करते समय जिन बड़े और खानदानी लोगों ने परिश्रम किया था, उसका लाभ उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। उस लाभ को उन्हें न मिलने देने का यदि कोई प्रयत्न करे तो यह समझना चाहिए कि उसके ध्यान में यह बात आई ही नहीं है कि साम्राज्य की स्थापना अपनी भलाई के लिये हुई है अथवा गुराई के लिये।”

निर्वाचन का अधिकार विशेष विस्तृत होना चाहिए, यह बात जो लोग कहते हैं, उनका कथन है कि साम्राज्य के लिये जो बात हितकारी है वह उसके अतर्गत रियासतों के लिये क्यों न हितकारी समझी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह यह भी बताते हैं कि प्रशिया में निर्वाचन की जो पद्धति है वह साम्राज्य की मुख्य रियासतों को पसंद नहीं है। अतएव उन्होंने अपने लायक अपना सुधार कर लिया है। प्रशिया में इस पद्धति का बीजारोपण कैसे हुआ, उसे संकुचित स्वरूप क्यों कर प्राप्त हुआ और अब भी उसका यह स्वरूप क्यों बना हुआ है, बिना इन बातों को स्पष्ट किए हुए, यह विषय समझना कठिन है।

१७वीं शताब्दी के मध्य काल में, प्रशिया के नेताओं के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि राजकाज में, अपना भी हाथ होना चाहिए। इसी के अनुसार सन् १८४९-५० में प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम ने लोगों को राजकाज संबंधी अधिकारों की सनद प्रदान की। इस सनद के अनुसार सन् १८७१ अर्थात् साम्राज्य की स्थापना होने के बाद तक काम हांता रहा और अब तक इसी के अनुसार काम हो रहा है। प्रशिया का प्रभाव अधिक होने के कारण, साम्राज्य की स्थापना होने के बाद की राज्यव्यवस्था में और राज-नैतिक आंदोलन में, प्रशिया का अनुकरण ही अन्य सब रियासतों ने किया। प्रशियन लोगों को अधिकारप्राप्ति की सनद तो मिली और लोगों को मत देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ परंतु वहा की पार्लियामेंट में सच्चे प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो कर सरकार के अनुकूल प्रभावशाली खानदानी लोगों का ही निर्वाचन अधिकतर होता है। परंतु यह क्यों होता है, इसका भी कारण सुनिए।

“प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने का जिम्मे अधिकार है, उनके तीन विभाग किए जा सकते हैं। ये विभाग सरकारी कर अदा करने का ध्यान रख कर किए गए हैं। अर्थात् जो लोग अधिक कर देते हैं, वे अधिक प्रतिनिधि चुन सकते हैं और जो कम कर देते हैं वे कम प्रतिनिधि चुन पाते हैं। अब हम इस विषय को और भी स्पष्ट करके बताते हैं। प्रशिया में २,६०,००० अमीर लोग कर देनेवाले हैं जो एक तिहाई समासदों का निर्वाचन करते हैं। ८,७०,००० लोग मध्यम

श्रेणी के एक तिहाई मनुष्यों का निर्वाचन करते हैं और ६५,००,००० गरीब लोग भी एक तिहाई मेंबर चुन देते हैं। इसका परिणाम सदा यह होता है कि ६५ लाख लोगों के प्रतिनिधि बिल्कुल थोड़े होने के कारण, उनके प्रतिनिधि प्रशियन लोकसभा में बहुत कम होते हैं अर्थात् प्रशियन लोक-नियुक्त-सभा का "लोक" शब्द निरर्थक है। बर्लिन नगर की म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के समय भी यहा कठिनाई आ उपस्थित होती है। कर के अनुसार वर्गीकरण का परिणाम यह होता है कि बर्लिन नगर में सोशल डेमोक्रेट लोगों की अधिकता होते हुए भी १४४ म्युनिसिपल सभासदों में से ३२ मेंबर "लोकसत्ता वाले" होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस-नगर में लाख लोग वास करते हैं उस नगर की व्यवस्था दो तिहाई सभासदों का निर्वाचन करनेवाले ३३००० लोगों के हाथ में है।

यह हुई लोकनियुक्त सभा की कैफियत, जिसे "लोअर हाउस" कहते हैं। अब बड़ी सभा की दशा का क्या वर्णन किया जाय। इस बड़ी सभा को "अपर हाउस" कहते हैं। इस अपर हाउस में राजघराने के युवा राजकुमार, सरदार, महाजन, जर्मीदार और राजा ने जिसे जीवन पर्यंत चुन दिया, ऐसे लोग, सभासद होते हैं। लोकसत्तावादी कचित ही मेंबर इस सभा में देखे जाते हैं। प्रशिया की इस सभा में ३२७ सभासद थे, जिनमें केवल १२ लोकसत्तावादी थे, अर्थात् ३ बैंक के डायरेक्टर, ८ व्यापारियों के प्रतिनिधि और केवल १ मजदूर पक्ष का। इससे यह कह

सकते हैं कि व्यवसाय वाणिज्य और मजदूरी करनेवाले लोगों में ४ फी सदी से अधिक योग्य मनुष्य इस काम के लिये प्रशिया में मौजूद नहीं हैं। अतएव प्रशिया में, सच्चे लोकमत का राज्याधिकारियों की आर से कितना मान है और उन्हें कितनी उत्तेजना मिलती है, यह प्रगट हो जाता है।”

अब साम्राज्य महासभा “राइश्टाग” में निर्वाचन कार्य किस तरह होता है, यह देखिए। इस सभा में लोकनियुक्त, प्रतिनिधियों के लोग होते हैं। यह निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, प्रशियन पार्लियामेंट की तरह परंपरा से नहीं होता। इकीस वर्ष की उमर के हर एक मनुष्य को मत देने का अधिकार है। उन लोगों द्वारा निर्वाचित ३९७ सभासद, इस सभा में बैठ कर कानून कायदा बनाते हैं और राजकाज सुयंत्रित रूप से चलाने के लिये उचित धन खर्च करने की आज्ञा प्रदान करते हैं।

इससे यह पता चलता है कि राइश्टाग में निर्वाचन कार्य बड़े सरलतापूर्वक होता है और यह सरलता दक्षिण जर्मनी की कई रियासतों ने अपनी अपनी पार्लियामेंटों में निर्वाचन के समय काम में लाई थी। परंतु अन्य रियासतों में प्रशियन निर्वाचन-पद्धति का प्रचार होने से लोकमत जितना प्रगट होना चाहिए, उतना प्रगट नहीं होने पाता। अतएव अन्य रियासतों का कथन है कि प्रशिया को अपना वर्ताव, इस संध में, जरा उदारतापूर्वक प्रगट कर दिखाना चाहिए।

राइश्टाग की निर्वाचन-पद्धति कुछ अधिक सतोषजनक नहीं है, क्योंकि वहां भी लोकमत के अनुकूल प्रतिनिधि नहीं

जाते । इसका कारण यह है कि भिन्न भिन्न रियासतों के सभासदों का विभाग उचित रीति से नहीं किया गया है । किस शहर से कितने प्रतिनिधि आने चाहिए यह बात प्रिंस विस्मार्क और उनके साथियों ने सन् १८७२ में निश्चय कर दी थी । उस समय यह विभाग एक तर्फा किया गया था । इस सभा में भी जहां तक हो सके बड़े बड़े जमींदारों का ही निर्वाचन होता है, जिससे उनके द्वारा राजसत्ता और राजघराने के लोगों का हितसाधन होता रहे और इसी उद्देश्य पूर्ति के लिये ये विभाग किए गए थे । परंतु अब यह चुनाव बिलकुल एक तर्फा ही नहीं रहा वरन अन्याय की कोटि तक पहुँच गया है । सन् १८७२ के बाद जर्मनी में व्यवसाय व्यापार की खूब उन्नति हुई और उसी के साथ आवादी भी बढ़ी । परंतु बढ़ती हुई आवादी के मुकाबले में अधिक सभासदों के निर्वाचन का नियम नहीं बनाया गया । बर्लिन अब बहुत विशाल नगर होगया है परंतु तोभी उसके ६ प्रतिनिधि निर्वाचित हो पाते हैं । सन् १८७२ में जो बिलकुल छोटे से गाव में अब वे बड़े बड़े नगर हो गए हैं परंतु उनके प्रतिनिधियों का साम्राज्य-सभा में कहीं नाम नहीं है । यह दशा सुधारने के लिये "नेशनल लिबरल" और "सोशल डेमोक्रेट" लोगों का प्रयत्न जारी है परंतु अब तक उन्हें इस काम में यश नहीं मिला है ।

राइश्टाग के ऊपर "बुडेसराट्" नाम की जो सभा है और उसके हाथ में जो अधिकार हैं, उनको देखने से राइश्टाग को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, यह बात ध्यान में आ जाती है । यह

सभा सब संयुक्त प्रांतों अर्थात् रियासतों के प्रतिनिधियों से
 यनी है। इस सभा में राजघराने के लोग और बड़े बड़े
 सरदार लोग सम्मिलित हैं। हर एक रियासत से चुनकर
 ये लोग उनके प्रतिनिधि बनकर सभा में आते हैं। किसी कठिन
 प्रश्न के उपस्थित होने पर अपनी रियासत की सम्मति से
 हर एक मेशर अपनी एक एक राय अर्थात् मत दे सकता
 है। इस सभा में कुल ५८ सभासद होते हैं। इस ५८ में १७
 तो अकेले प्रशिया के हैं। ये प्रतिनिधि उस सभा में, अपनी
 निजी राय नहीं देते, उनकी रियासत की ओर से जो कुछ
 कहा जाता है, उसे ही व्यक्त करने के ये अधिकारी हैं।
 “ यह सभा अपना कार्य गुप्त रखती है। जो कार्य रियासत
 अपनी राजधानी में नहीं कर सकती वह कार्य इसके द्वारा
 होता है। लोकमत के दबाव का भय इस सभा का बिल्कुल
 नहीं है, इसी कारण प्राचीन घरानों के लोग इसमें बहुत कुछ
 भाग लेते हैं। किसी भी उन्नतिशाली राष्ट्र में इतनी संयुक्तशक्ति
 शालिनी सभा नहीं है। इस सभा में प्रशिया के १७ सभासद होने
 के कारण ही प्रशिया के राजा—जर्मन सम्राट—का प्रभुत्व
 अधिक रहता है। स्थल और जल सेना सबधी कानून कायदों
 का बनाना, साम्राज्य के खर्च के लिये कर लगाना, इत्यादि
 बातों का निर्णय प्रशियन प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा होता
 है, क्योंकि १७ मतों के अनुकूल होने पर अन्य प्रतिनिधि
 भी उनके मत को अस्वीकार नहीं कर सकते।

युद्ध और सुलह करने में इस सभा की राय ली जाती है।

(इसके अतिरिक्त राष्ट्रद्वारा स्वीकार की हुई नीचे लिखी

बातों पर भी यह सभा अपना अधिकार रखती है—(१) राइश्टाग द्वारा पास हुए कानून कायदों पर विचार, (२) कानून कायदों के प्रचार संबंधी व्यवस्था पर विचार, (३) कानून कायदों के प्रचार में जो कठिनाइयाँ आ कर उपस्थित हों, उन पर विचार । जर्मन सम्राट जिसे अपना "चैंसलर" (मुख्य प्रधान) बनावे, वही इस सभा का सभापति होता है और वही इस सभा की ओर से लोकनियुक्त सभा में भाषण करता है । परंतु " बुडेसराट् " सभा को कोई बात शायद पसंद न हो, इस विश्वास पर सभा की ओर से कोई वचन यह नहीं दे सकता ।

अब तक, पीछे कही हुई दो बातों का सबध होने के कारण पर विचार किया गया । बाकी तीसरी बात, " मन्त्रिमंडल " की जिम्मेदारी पर लिख कर यह विषय समाप्त किया जाता है ।

यह तीसरी बात बहुत नाजुक है । परंतु लोकसत्तावादी लोगों के कथनानुसार यदि इसमें सुधार हुआ तो साम्राज्य और प्रशिया की राज्यव्यवस्था के नियमों में बहुत गड़बड़ मच जायगी, अर्थात् उसे एक भिन्न स्वरूप ही देना पड़ेगा । यदि तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो जर्मन सम्राट के मन्त्रिमंडल पर ही सारी जिम्मेदारी है, परंतु व्यवहार में उसका अनुभव नहीं होता । इंग्लैंड का मन्त्रिमंडल किसी विशेष पक्ष का होने से जब उसका पराजय होता है तब मन्त्रिमंडल को पदच्युत होना पड़ता है । परंतु यह दशा जर्मनी की नहीं है । सैनिक विभाग को छोड़ कर, अन्य विभागों में, सम्राट

जो आज्ञा देता है अथवा जो घोषणा प्रचारित करता है उस आज्ञा अथवा घोषणा पर इपीरियल चैंसलर को एक किनारे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। अतएव नियमानुसार उसे जिम्मेदार होना चाहिए परंतु वह जिम्मेदार नहीं होता। प्रधान-मंत्री से, सभासद जो चाहें वह प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके किए हुए कामों के संबंध से वे इनकार कर सकते हैं परंतु उसे अथवा अन्य मंत्रियों को अलग कर देने का उन्हें अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल जर्मन सम्राट के हाथ में है। सम्राट अर्थात् कैसर ही प्रत्यक्ष राजसूत्रों के सचालक और मंत्रिमंडल के मुख्याधिकारी हैं। उनका निर्वाचन पहले के समान रियासतों द्वारा न हो कर, वंशपरंपरागत होता है। प्रशिया के बाहर उन्हें दीवानी कानून के अनुसार किसी काम में हाथ डालने का अधिकार नहीं है परंतु वे जर्मन जल और स्थल दोनों प्रकार की सेनाओं के मुख्याधिकारी हैं और पर-राष्ट्र संबंधी सारा काम उन्हीं के हाथ में है। इसके अतिरिक्त रियासतों की प्रतिनिधिसभाओं में भी उनका बहुत प्रभाव है। प्रशिया की अद्भुत शक्ति—एक दम सत्रह मत—होने के कारण ही, यह सभा उनके इच्छानुसार ही काम करती है। उनके प्रधान को चैंसलर कहते हैं, उसकी सहायता के लिये प्रत्येक विभाग में एक एक मंत्री रहता है। सहायक मंत्रियों की अपेक्षा उसका अधिकार और योग्यता अधिक न होने पर भी उसकी इग्लैंड के मंत्रियों से तुलना करना कभी उचित न होगा।

बाइसवां अध्याय ।

सोशियालिज्म के भावी चिन्ह ।

जर्मनी के सामाजिक और साम्पासिक भादोळन का अध्ययन करनेवाले लोगों को, सोशल डेमोक्रेट्स लोगो के समझ की बातें भी अवश्य जान लेनी चाहिए । जनवरी सन् १९०७ में जो सार्वभौम-निर्वाचन हुआ था उसमें सोशियालिस्ट लोगों की हार हुई । इससे यह अनुमान किया जाता है कि इन लोगों की संख्या जितनी बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ी नहीं । अर्थात् लोक संख्या के साथ साथ इन लोगों की संख्या नहीं बढ़ी । सन १९०७ में सोशियालिस्ट सम्मेलन वारों ने ३ २,५८,००० मत अधिकार में कर लिए थे परंतु सन् १९०३ में यह संख्या ३०,१०,११० थी । सन १९०३ में जहाँ ४३ फी सदी वाढ हुई वहा सन १९०७ में ८२ फी सदी वाढ हुई । सन १९०३ में जहा सब मतों में सोशियालिस्ट लोगों के मत प्रति सैकड़ा ३१ ७ थे वहा सन १९०७ में प्रति सैकड़ा २९ रह गए । छोटी छोटी रियासतों से करीब दो हजार के मत उनके हाथ से निकल गए । मुख्य हानि साक्षेन प्रांत में हुई । वहा एकदम २२२०० मत कम हो गए । और मेल्केनवर्ग-श्वेरिन से ५५०० मत हाथ से जाते रहे । प्रशिया, बवेरिया, वेडन, चुर्टेम्बर्ग इत्यादि रियासतों में पहले की अपेक्षा उन्हें अधिकमत मिले परंतु उससे अन्य रियासतों में जो कमी हुई वह पूरी न हो सकी ।

सोशियलिस्ट लोगों की चरित्र

नव लेखक यह बात स्वीकार
 लोगों की ओर ध्यान न रखने
 पराभव हुआ। इन लोगों ने
 हैं पहले वर्ग में सापेक्ष
 वर्ग में दरिद्रावस्था में जीवन
 गए हैं। मजदूरों का एक और
 था है जिसे "लोअर मिडिल
 किसी का विशेष ध्यान न था।

बहुत प्रचल हो गया और
 लोगों को नीचा दिखाया। जो
 जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें
 ने लोगों में महानुभूति संपादन
 ध्यान में आई तब उन्हें बड़ा

धनी के लोगों की सोशियलिस्ट
 भूल को सोशियलिस्ट नेताओं
 किया है। ऐसा करने से उनकी
 धर को कम गया।

बेचनेवाले व्यापारियों ने उनका पक्ष त्याग दिया है। परन्तु ये कारण कुछ अधिक महत्व नहीं रखते।

सोशियालिस्ट लोगों के विरुद्ध प्रयत्न करनेवाले लोग खास कर मध्यम श्रेणी के लोग हैं। इन लोगों में सन् १९०३ और १९०६ के बीच में बहुत कुछ जागृति हुई है। सोशियालिस्ट लोगों का बल कम करने का ये लोग बहुत कुछ प्रयत्न करते हैं। इसी का यह परिणाम है कि उनका प्रभाव दिनों दिन कम होता जाता है। पहले पहल मध्यम श्रेणी के लोग निर्वाचन के समय मत ही नहीं देते थे अतएव इनका स्थान सोशियालिस्ट लोगों ने हस्तगत कर लिया था। जब उन्होंने देखा कि हमारे आलस्य ने सोशियालिस्ट लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है तब वे सचेत हुए और अपना पक्ष सबल कर लेने में उन्हें बहुत समय न लगा। जिस तरह सन् १८८७ में फ़ररवोटिव और नेशनल लेबर लोगों ने मिलकर उनके विरुद्ध प्रयत्न करके विजय पाई थी उसी प्रकार सन् १९०७ में मध्यम श्रेणी के लोगों ने उनका पराभव किया। सन् १८८७ से १९०३ तक बराबर सोशियालिस्ट लोगों का उत्कर्ष होता गया और सन् १९०३ में तो उन्होंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। यदि सन् १९०७ में मध्यम श्रेणी के लोगों ने उनपर विजय न पाई होती तो हर बवेल का भविष्य चिन्ता सत्य हुए न रहता। परन्तु उनकी उस भविष्यवाणी का ही अंतन हुआ वरन उस साल के निर्वाचन में, बहुतों के ध्यान में यह बात आई कि बड़े बड़े शहरों में रहनेवाले लोगों ने आपस में एका करके, आपस का भेद भाव भुलाकर

कमतर से चढ़ाई की जाय तो सोशियालिस्ट लोगों की चरित्र
अवश्य बाधा पहुँचेगी ।

साशुल डिमोक्रेसी पक्ष के सब लेखक यह बात स्वीकार
करते हैं कि मध्यम स्थिति के लोगों की ओर ध्यान न रखने
वाली सन १९०१ में उनका पराभव हुआ । इन लोगों ने
समाज के दो भाग कर दिए हैं पहले वर्ग में सापतिक
लोगों को रक्खा है और दूसरे वर्ग में दरिद्रावस्था में जीवन
यापित करनेवाले लोग रखे गए हैं । मजदूरों का एक और
वर्ग भी किसी किसी ने किया है जिसे "लोअर मिडिल
क्लास" कहते हैं । इसकी ओर किसी का विशेष ध्यान न था ।
परन्तु सन १९०७ में यह भाग बहुत प्रबल हो गया और
एकदम उसने सोशियालिस्ट लोगों को नीचा दिखाया । जो
लोग राजनैतिक अधिकार पाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें
वाहिए कि वे मध्यम श्रेणी के लोगों में सहानुभूति संपादन
करें, जब यह बात उनके ध्यान में आई तब उन्हें बड़ा
प्राश्चर्य हुआ ।

सन १९०७ में मध्यम श्रेणी के लोगों की सोशियालिस्ट
लोगों में पूछ ही न थी । इस भूख को सोशियालिस्ट नेताओं
और लेखकों ने स्वयं स्वीकार किया है । ऐसा करने से उनकी
सरलता का पता सारे ससार को लग गया । हर पहलू में
स्वीकार नै लिया है—

"आधादी के विचार से मजदूरी पर निर्वाह करनेवाले
लोगों की संख्या बढ़ती जायगी; और मनुष्य जाति के बहुत
बड़े समुदाय को सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक भुगतना

पड़ेगा, मध्यम स्थिति के लोगों का धीरे धीरे नाम निशान मिट जायगा और थोड़े दिनों में ही ऐसी स्थिति आ उपस्थित होगी कि संपत्ति उत्पादन की अधिकता करनेवाले मुट्ठीभर बड़े लोगों की एक श्रेणी और मजदूरी पर निर्वाह करनेवाले असह्य लोगों की एक श्रेणी, इस प्रकार समाज के दो विभाग ही रह जाँयगे। इसलिये लोगों को सोशियलिज्म के तत्वा को स्वीकार करने के लिये यदि कुछ प्रयत्न करना हो तो मजदूरी पर निर्वाह करनेवाले लोगों को अपने पक्ष में मिलान का प्रयत्न करना चाहिए, इन बातों का प्रचार आज बहुत दिनों से बड़े जोर के साथ हम लोग करते आ रहे हैं परंतु अब अनुभव से यह बात साबित हो रही है कि यह सिद्धांत ठीक नहीं है और व्यवहार में इसका प्रचार ही नहीं हो सकता। समाज में धनवान और मजदूर दो ही पक्ष रहेंगे, इसे हम लोग चिन्ता चिन्ता कर कहते थे परंतु अनुभव से यह बात जानी गई कि मजदूर श्रेणी के अलावा एक और श्रेणी है जो धीरे धीरे आगे आ रही है। इस श्रेणी के लोग धनवान लोगों के समान पेश धाराम में अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पाते तो भी मजदूरों के समान दुखी भी नहीं हैं।”

हर फिशर ने अनुमान लगाया है कि इस मध्यम श्रेणी के लोगों की संख्या पचपन लाख से कम नहीं है। इस संख्या में कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, जमींदार, मालविभाग और न्युनिसिपैलिटी के नौकर, शिक्षक और अन्य व्यवसाय-जीवी लोग सम्मिलित पाए जाते हैं। उनके मतानुसार वे सब लोग मजदूरी पर निर्वाह करनेवाले लोगों में से ही उत्पत्ति

करते करते भलग हो गए हैं, और विकास के सिद्धातानुसार यह क्रम सदा चला ही जायगा, कभी रुक नहीं सकता। उनका यह मत ठीक हो अथवा न हो परंतु इससे एक बात यह अवश्य साधित होती है कि सोशियालिस्ट लोगों ने आज तक जिस मत का प्रचार किया उसमें भूलें अवश्य थीं। मध्यम स्थिति के लोगों के अस्तित्व को स्वीकार न करना और यदि स्वीकार भी करना तो उसे बहुत छोटा समझना और यदि एक बार उसे नष्ट कर दिया तो अपने सिद्धातों की विजय हुए बिना न रहेगी आदि, ये उनके विचार हर प्रकार से प्रतिकूल साधित हुए और इसी कारण उनके सिद्धातों का जितना प्रभाव लोगों पर पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ा, यह बात हर एक विचारवान पुरुष सहज ही में समझ सकता है।

सोशियालिज्म के सिद्धातानुसार व्यवसाय वाणिज्य अथवा खेती का कार्य कर के अपना जीवन निर्वाह करने-वाले लोगों को "जर्मन मिडिल क्लास" कहना उचित नहीं है। उनका कथन है कि समाज के सब लोगों को समान होना चाहिए। सापत्तिक स्थिति के विचार से अथवा अन्य किसी विचार से उनमें किसी प्रकार के फेरफार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा किसी मनुष्य को स्वतः के साहस या भरोसे पर अन्य लोगों की अपेक्षा अपना दर्जा बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। मनुष्य स्वभाव की सचय करने की बुद्धि के अस्तित्व को केवल विक्षम लोग ही स्वीकार नहीं करते। यह बुद्धि जिस प्रकार बड़े बड़े किसानों में होती है उसी प्रकार छोटे छोटे किसानों में भी होती है, बड़े कारखानेवालों में

जैसी होती है उसी प्रकार छोटे शिल्पकार में भी यह हांती है, राजा महाराजाओं को ऋण देने की जिनमें शक्ति है ऐसे लक्ष्मीपुत्रों में वह जैसी होती है उसी प्रकार खारी खुरपा ले कर घास खोदनेवाले और प्रति सप्ताह अपनी आमदनी म्युनिसिपल बैंक में जमा करनेवाले मजदूरों में भी स्वभावतः होती है।

उपरोक्त लेखानुसार अब भी सोशियलिज्म के कुछ लोग दरिद्रता और असतोष पर ही अधिक जोर देकर लोगों के सामने अपने सिद्धांतों को लाने का प्रयत्न करते हैं और समझते हैं कि इस प्रकार अपने सिद्धांतों के प्रचार होने में बहुत देर न लगेगी। परन्तु सभ्यता में सुधार का कार्य होने से दरिद्रता अथवा दरिद्रता से होनेवाली यातना, कुछ न कुछ धीरे धीरे कम करने के साधन अस्तित्व में आने लगे हैं, यह बात उनके ध्यान में नहीं आती और इस कारण सोशियलिस्ट लोगों का यह व्यावहारिक पक्ष बहुत निर्बल हो जाता है। इतना होने पर भी वादविवाद के समय लोगों की बढ़ती हुई दरिद्रता का राग अलापते वे कमी नहीं करते। “तुम दरिद्रता में कैसे पड़े हो और कुछ लोग धन के ढेर पर पड़े हुए आनंद मना रहे हैं, यह देखो।” ये बातें वे मजदूरों से बार बार कहते हैं और इस प्रकार वे मजदूरों के मन में असतोष उत्पन्न करते हैं। अपने अनुयायियों के वर्तव्य के लिये जो नियम उन्होंने बतला दिए हैं उनमें मितिव्यय—किफायतसारी—से चलने का नियम बिलकुल भुला सा दिया गया है।

से

धन से बचा

कर रकड़गे वह सफट के समय काम आवेगा और ऐसा होने से दरिद्रता से उत्पन्न हुए असतोष का उन्हें विलकुल ध्यान न रहगा। इस कारण हर एक शहर कम्युनिस्मिपिल सेविंग बैंक में, बहुत से मजदूर लोग अपनी बचत का रुपया जाकर जमा कर आते हैं। परंतु यह बात सोशियालिस्ट लोगों को पसंद नहीं है, और यदि किसी मजदूर ने अपने बचाए हुए धन से अपने रहने के लिये अपना निज का घर बना लिया तो फिर यह बात उन्हें विलकुल ही अच्छी नहीं लगती। मनुष्य स्वभाव प्रायः समान होता है और इसी सहज स्वभाव के कारण—फिर चाहे वह सोशियालिस्ट मत का अनुयायी ही क्यों न हो, उसके मन में यह बात सहज ही उत्पन्न होती है कि अपने रहने के लिये अपना निजी मकान होना चाहिए और किराया देने का दृष्ट सदा के लिये दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर छोटे छोटे घर बनाने की ओर मजदूरों का ध्यान जर्मनी में बहुत कुछ आकर्षित हुआ है। बहुत से मजदूरों ने अपने लिये मकान बनवा भी लिए हैं। इन मकानों से उन्हें लाभ भी हो रहा है। परंतु समझ करना, फिर चाहे वह मकान क रूप में हो, चाहे बैंक में जमा किए हुए धन के रूप में हो, यह बात सोशियालिज्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। इस प्रकार का समझ करनेवाले सोशियालिस्ट पक्ष के लोग भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक विशेष आश्चर्य की बात यह है कि निज की संपत्ति के विरुद्ध सोशियालिस्ट लोगों की जो चढ़ाई हो रही है, उसका व्यय करने के लिये घर के लोग अर्थात्

जैसी होती है उसी प्रकार छोटे शिल्पकार में भी यह होती है, राजा महाराजाओं को ऋण देने की जिनमें शक्ति है उस लक्ष्मीपुत्रों में वह जैसी होती है उसी प्रकार सारी खुरपा ले कर घास खोदनेवाले और प्रति सप्ताह अपनी धामदनी म्युनिस्त्रिपल बैंक में जमा करनेवाले मजदूरों में भी स्वभावतः होती है ।

उपरोक्त लेखानुसार अब भी सोशियलिज्म के कुछ लोग दरिद्रता और असतोष पर ही अधिक जोर देकर लोगों के सामने अपने सिद्धांतों को लाने का प्रयत्न करते हैं और समझते हैं कि इस प्रकार अपने सिद्धांतों के प्रचार होने में बहुत देर न लगेगी । परन्तु ससार में सुधार का कार्य होने से दरिद्रता अथवा दरिद्रता से होनेवाली यातना, कुछ न कुछ धीरे धीरे कम करने के साधन अस्तित्व में आने लगे हैं, यह बात उनका ध्यान में नहीं आती और इस कारण सोशियलिस्ट लोगों का यह व्यावहारिक पक्ष बहुत निर्बल हो जाता है । इतना होने पर भी वादविवाद के समय लोगों की बढ़ती हुई दरिद्रता का राग अलापते वे कमी नहीं करते । “तुम दरिद्रता में कैसे पड़े हो और कुछ लोग धन के ढेर पर पड़े हुए आनंद मना रहे हैं, यह देखो । ” ये बातें वे मजदूरों से बार बार कहते हैं और इस प्रकार वे मजदूरों के मन में असतोष उत्पन्न करते हैं । अपने अनुयायियों के वर्तव्य के लिये जो नियम उन्होंने यथा दिए हैं उनमें मितिव्यय—किफायतसारी—से चलने का नियम बिल्कुल भुला सा दिया गया है । मितिव्ययिता से चलने पर जो धन वे बचा

कर रखेंगे वह सफ़ट के समय काम आवेगा और ऐसा होने से दरिद्रता से उत्पन्न हुए असतोष का उन्हें बिल्कुल ध्यान न रहेगा। इस कारण हर एक शहर कम्युनिस्पिल सेविंग बैंक में, बहुत से मजदूर लोग अपनी बचत का रुपया जमा कर आते हैं। परंतु यह बात सोशियालिस्ट लोगों को पसंद नहीं है, और यदि किसी मजदूर ने अपने बचाए हुए धन से अपने रहने के लिये अपना निज का घर बना लिया तो फिर यह बात उन्हें बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। मनुष्य स्वभाव प्रायः समान होता है और इसी सहज स्वभाव के कारण—फिर चाहे वह सोशियालिस्ट मत का अनुयायी ही क्यों न हो, उसके मन में यह बात सहज ही उत्पन्न होती है कि अपने रहने के लिये अपना निजी मकान होना चाहिए और किराया देने का कष्ट सदा के लिये दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर छोटे छोटे घर बनाने की ओर मजदूरों का ध्यान जर्मनी में बहुत कुछ आकर्षित हुआ है। बहुत से मजदूरों ने अपने लिये मकान बनवा भी लिए हैं। इन मकानों से उन्हें लाभ भी हो गया है। परंतु समझ करना, फिर चाहे वह मकान के रूप में हो, चाहे बैंक में जमा किए हुए धन के रूप में हो, यह बात सोशियालिज्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। इस प्रकार का समझ करनेवाले सोशियालिस्ट पक्ष के लोग भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक विशेष आश्चर्य की बात यह है कि निज की संपत्ति के विरुद्ध सोशियालिस्ट लोगों की जो चढ़ाई हो रही है, उसका व्यय करने के लिये घर के लोग अर्थात्

स्वत की संपत्ति पैदा करनेवाले मजदूर लोग चदा देते ही हैं। वे लोग यह कहते हैं कि "भावी राज्य (Future State) जब होना होगा तब होगा, उस समय तक तो घर बगैरह बनाकर रहने में हमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई पड़ती। नियमानुसार चदा देने में ही हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। मजदूरों के व्यवहार की ओर ध्यान देने से सोशियालिज्म की नौका किस ओर जा रही है, यह बात सहज ही ध्यान में आ जाती है।

सोशियालिस्ट लोगों को इस समय जो प्रश्न लगा है, उसका एक और प्रबल कारण है। पार्लियामेंट में सोशियालिस्ट लोग जो आंदोलन मचा रहे हैं उसको जितना यश प्राप्त होना चाहिए उतना विल्कुल नहीं हुआ है। अपनी स्थिति सुधार कर धनवान लोगों के पजे से मजदूरों को छुड़ाने का प्रयत्न करना हो तो अपनी राजनैतिक शक्ति बढ़ानी चाहिए, यह बात आज से साठ वर्ष पहले ही उनके मुख्य नेता कार्ल मार्क्स ने कही थी। सोशल डेमोक्रेट पक्ष मनुष्यगणना के विचार से जितना प्रबल है उतना प्रबल और कोई भी राजनैतिक पक्ष नहीं है। परंतु आपस में ही एकमत न होने के कारण उनकी शक्ति नुमायशी हो गई है। व्यावहारिक दृष्टि से इसके द्वारा कोई लाभ नहीं होता। इसका कारण यह है कि इन लोगों के काम करने की शैली की नींव टूट नहीं है। पार्लियामेंट में कोई भी प्रश्न उपस्थित होने पर सिवाय टीका टिप्पणी करने अथवा उसमें विघ्न उपस्थित करने के और कोई दूसरा काम ही इन्हें नहीं है। इस प्रकार कार्य करने से क्या उनका राजकीय महत्व बढ़ सकता है ? महत्व बढ़ाने के लिये

कोई न कोई लोकोपयोगी कार्य किया जाना चाहिए। केवल कुत्सित टीका करना अथवा चलती गाड़ी की राह में रोड़ा अटकाने से कभी यह महत्त्व बढ़ नहीं सकता ? सोशियालिस्ट लोग अभी तक यही निश्चय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें चाहिए क्या ? यह बात न तो उन्हें पहले मालूम थी और न अब मालूम है। यदि इन लोगों से प्रश्न किया जाय कि “ देश का कार्य तुम्हारे मतानुसार किस प्रकार चलाया जाय ? ” तो इसका उत्तर देने में ये लोग टालमटोल करते हैं। “राष्ट्रग में यदि तुम लोगों का मत अधिक हो जाय तो तुम करना क्या चाहते हो ? ” यह प्रश्न अभी हाल में ही एक मेवर ने पूछा था। इसका उत्तर हर बेवल ने यह दिया था—“ हम लोगों का मताधिक्य होने से हम अपनी कल्पना के अनुसार राज काज चलावेंगे और विदेशियों के साथ हमारा ऐसा व्यवहार होगा कि सभार में स्वार्थों और शांति ही शांति विराजमान हो जायगी। हम स्वत शांत रहकर दूसरों को अपना उदाहरण बता कर उन्हें शांति के मार्ग में लगा देने से हम मनुष्य जाति का कल्याण कर सकेंगे। ” ये विचार अवश्य उदारता लिए हुए हैं परंतु इन विचारों के अनुसार काम कैसे किया जा सकता है, इसका उत्तर नहीं मिलता। सोशियालिस्ट पक्ष के प्रसिद्ध लेखक हर पारवस ने अपने पक्ष की वर्तमान स्थिति का वर्णन केवल एक वाक्य में इस प्रकार किया है—“स्वत के कार्यक्रम में असमर्थ होनेवाले भिन्न भिन्न मतों का सचय हमारे पक्ष के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से किया है। ” सोशियालिस्ट लोगों में भी बहुत कुछ मतभेद है।

नाना मत और नाना पथों से वह भी खाली नहीं है । इतना ही नहीं, एक मत दूसरे मत का घातक है । परंतु जिन लोगों के पास धन है, उनके साथ द्वेषभाव रखने में किसी का मत-भेद नहीं है । जिस प्रकार माला की मणि एक सूत्र में एक दूसरे से संलग्न रहती है उसी प्रकार इस पक्ष के लोग हम एक बात में आपस में संलग्न रहते हैं । बाकी बातों में एक का मुँह यदि पूर्व की ओर हुआ तो दूसरे का पश्चिम की ओर रहता है । उदाहरण के लिये अनियंत्रित व्यापार पद्धति को ही ले लीजिए । इस पक्ष के लोगों का यह सिद्धांत है कि नियंत्रित व्यापार न होकर वाणिज्य के लिये मुक्त द्वार होना चाहिए परंतु बहुत से लोग इनमें ऐस भी पाए जाते हैं जो संरक्षित व्यापार के पक्ष पार्ते हैं । इसी प्रकार कृषि की उपेक्षा करके व्यवसाय वाणिज्य को उत्तेजना देना, इन लोगों का मुख्य सिद्धांत है परंतु कृषि की रक्षा पहले होनी चाहिए फिर चाहे व्यवसाय वाणिज्य का नाश भी हो जाय तो भी कुछ हानि नहीं है, इस मत का प्रतिपादन करनेवाले लेखक भी इस समुदाय में पाए जाते हैं । उपनिवेशन चाहिए, हमें यह बात इस पक्ष के लोग स्पष्ट कहते हैं परंतु इस पक्ष के लोगों की कामेस में कभी यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ कि हमें उपनिवेशों की आवश्यकता नहीं है । सरकार को अपने पास से धन खर्च करके सेना रखने की जरूरत नहीं है, यह बात कहने पर भी कागज पत्रों के अलावा स्पष्ट रूप से इस प्रश्न को सम्मुख लाने का साहस कोई नहीं करता ।

जिस पक्ष के लोगों के विचारों में इतना अंतर है उस

पक्ष के लोगों के द्वारा राज्य अथवा समाज की अच्छी स्थिति को धक्का पहुँचाने का कोई डर नहीं है। गुणदोष विवेचना के काम में जर्मन लोग पहले से ही प्रसिद्ध हैं। उनका यह गुण यदि अत समय तक बना रहा तो सोशियालिज्म की दाल जर्मनी में बहुत दिनों तक न गल सकेगी। जर्मन सोशियालिज्म का प्रधान लक्षण "विध्वंस" है। जर्मन समाज को विध्वंस करने का काम इस पक्ष के लोगों ने अपने हाथ में लिया है। परन्तु सौभाग्य की बात यह है कि जर्मन समाज का विध्वंस होने के बदले इस पक्ष का विध्वंस अथवा रूप से कम उसके मूल स्वरूप में उलट पुलट होने का समय आ गया है। अपनी आँखों के सामने एक ध्यय रख कर उसे साध्य करने के काम में एरुचित्त हो कर सहायता करनेवाले लोग जिस पक्ष में हैं, उस पक्ष के प्रतिकूल राजकीय स्थिति होने पर भी जर्मनी में बहुत बड़े कार्य होने चाहिए, परन्तु सोशल डेमोक्रेट लोगों का पक्ष यदि कमजोर हुआ तो यहाँ पर मजदूर वर्ग तक ही इनका कार्य क्षेत्र सीमा-बद्ध नहीं है, सारे सभार को आर्लिगन करने का वे प्रयत्न कर रहे हैं। जिस सापत्तिक नीव पर समाज खड़ा हुआ है, उस नीव को दृढ़ बनाए रखने का प्रयत्न त्याग कर शास्त्र, कला, तत्त्वज्ञान और धर्म सुबधी सुधारों का प्रयत्न करने की ओर इन लोगों का ध्यान अधिक है। इसका परिणाम यह होता है कि जैसे पहला पाठ याद होने के पहले ही पुस्तक के सारे पृष्ठ उलट जाने से पहला पाठ याद नहीं होता और पढ़नेवाला कोरा का कोरा बना रहता है, वैसे यही

दशा उनकी होती है, और इसी कारण आपस में घर के घर ही में मतभेद ही हो जाता है। इस पक्ष के तीस 'पैंतीस लाख मनुष्य आज अनेक वर्षों से हवा में गठरी बाँधने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वह विलक्षण और शोकप्रद है। जर्मन राजनैतिक क्षेत्र का यह अपूर्व दृश्य अन्यत्र कहीं भी देखने में नहीं आता।

सोशियालिस्ट पक्ष के पुराने नेताओं के दुराग्रह से समाज का हित उस पक्ष के लोगों द्वारा आज तक न हो सका। परन्तु यह दुराग्रह वर्तमान समय के तरुण लोग वैसा ही बनाए रखेंगे, इस बात का निश्चय नहीं होता। हर वान वाल्मर के समान लोग अब यह प्रतिपादन करने लगे हैं कि भविष्यत् में अपने पक्ष के लोगों के हाथ से कोई महत्त्वपूर्ण कार्य संपादन हो अतएव अब नवीन कार्य-क्रम निश्चित किया जाना चाहिए। सोशियालिस्ट पक्ष के समाचार पत्र भी वाल्मर के मत का प्रतिपादन करने लगे हैं। विकास पक्ष के अनुयायियों के अनुकूल यदि कोई नया मार्ग सोशियालिस्ट लोगों ने ढूँढ़ निकाला तो दोनों पक्षों की एकता होने से यश मिलने में सन्देह नहीं है, इस प्रकार के विचारों से भरे हुए लेख सोशियालिस्ट पक्ष के समाचारपत्रों में छपने लगे हैं। सोशियालिस्ट दल के नेता हर ह्य ने राइश्टग में भाषण करते हुए, अभी हाल में कहा था—“जर्मन नागरिकों में जो सचे उत्तमिवादी हैं, यदि उनके साथ मिल कर हम लोग कार्य करने लगेंगे तो लोककल्याण के कुछ न कुछ कार्य हमारे द्वारा अवश्य होंगे। सुधार का विरोध करनेवाले

लोग जिस तरह एकचित्त हो कर काम करते हैं उसी प्रकार ज्ञान और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये जो लोग अलग अलग प्रयत्न करते हैं उन्हें मिल कर एक चित्त हो कर काम करना चाहिए ।” सोशियालिस्ट लोगों की मनोवृत्ति में इस प्रकार का पलटा खाने का परिणाम यह हुआ है कि राइश्टग में इस पक्ष के सभासदों का अब तक किसी पक्ष के सभासदों से मत नहीं मिलता था, परन्तु अब रेडिक्ल अथवा नेशनल लिबरल टूल के सभासदों के साथ इनका मत मिल जाने के कारण इनके द्वारा समाज सुधार का थोड़ा बहुत कार्य भी होने लगेगा । दक्षिण जर्मनी के लोग उदारमतवादी हैं, इसी कारण शायद वहाँ के साशियालिस्ट भी अधिक हठवादी नहीं हैं, और इसी कारण अन्य राजनैतिक पक्ष के लोगों के साथ मिल कर काम करने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है । पार्लियामेंट में बजट पर वाद-विवाद आरम्भ होने से सोशियालिस्टों को मत देने की आवश्यकता नहीं है, यह उन लोगों का मत है । इसका कारण यह बतलाया जाता है कि यदि व बजट सबधी बातों पर अपना मत प्रकट कर दें तो मानों उससे यह बात पाई जायगी कि उन्होंने वर्तमान राज्य पद्धति को स्वीकार कर लिया है । परन्तु इतना होने पर भी दक्षिण की वेवरिया, बुटेबुर्ग और वेडन रियासतों को साशियालिस्ट सभासद अपने अपने प्रांत की पार्लियामेंटों में इस विषय पर बिना किसी सफाच के अपना मत प्रदर्शित करते हैं, और ऐसा करने से हम अपने पक्ष के नियमों का उल्लंघन करते हैं, यह विचार भी उनके मन में नहीं आता । परन्तु उत्तरी

रियासतों के सोशियालिस्टों का कार्यक्रम इससे बिलकुल चला है। उनके मतानुसार बजट एक अपवित्र वस्तु है, उसके छूते से भी पाप लगता है अतएव उसका स्पर्श अपन को न होने देना चाहिए। बजट उपस्थित होने पर मत देने का समय भाषे ही वे लोग उठ कर चले जाते हैं। बजट पर मत देना प्रचलित राज्य-पद्धति को स्वीकार कर लेना है, यदि यही बात है तो राज्य पद्धति द्वारा निश्चित किए हुए निर्वाचन सबधी नियमों का वे क्यों पालन करते हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार निर्वाचित हो कर पार्लियामेंट में जा कर क्यों बैठते हैं ? यह उनकी बाल लीला कबल हठ के कारण होती है। निश्चित किए हुए कार्यक्रम में स्थिति पर ध्यान रख कर उसमें फेर फार करने को वे लोग कभी तैयार नहीं होते। अद्य परंपरा के उसी कार्य क्रम को बनाए रखने का बहुत बड़ा दुर्गुण सोशियालिस्ट लोगों में पाया जाता है।

सोशियालिस्ट लोगों के कार्यक्रम में प्रजातंत्र राज्य, एक विशेष महत्व की बात है। उत्तर जर्मनी के सोशियालिस्ट राजसत्ता को मानने के लिये तैयार नहीं है। परंतु दक्षिण जर्मनी के सोशियालिस्ट लोग राजा का बहुत मान करते हैं और राजघराने के लोगों को विशेष आदर भी बुद्धि से देखते तथा उनके साथ आदर का व्यवहार करते हैं। राजा को पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में आनंद प्रदर्शित करने के लिये चेंडल, बुट्टेवर्ग और बवेरिया रियासतों के सोशियालिस्ट नेता राजमहलों में जाते हैं। वहां मजदूरों के घरों में सोशियालिस्ट नेताओं के साथ साथ राजा रानी की तस्वीरें भी दीवारों

पर लटकती हुई पाई जाती है। इन बातों से यह पाया जाता है कि दक्षिण जर्मनी के सोशियालिस्ट अन्य लोगों के साथ मिल जुल कर चलते हैं और अन्य राजनैतिक पक्ष के लोगों से अपने विचारों को मिला कर चलने का प्रयत्न करते हैं। इतना होने पर भी उनके नामों को सोशियालिस्ट लोगों के रजिस्टर में अतक किसी ने रजिस्टर करने का साहस नहीं किया और उनको जाति के बाहर कर देने का विचार भी अब तक किसी ने प्रकट नहीं किया है। यदि सोशियालिस्ट हठवाद को त्याग कर समाजसुधार के काम को एकचित्त होकर करेंगे तो व्यवहार-शून्यता का जो दौप उनपर लगाया जाता है वह दूर होकर उनके द्वारा समाजहित का कुछ न कुछ कार्य अवश्य होगा। परंतु वर्तमान समय की इनकी पद्धति ने जर्मन सम्राट् कैसर को भी इस पक्ष का द्वेषी बना दिया है। वे इन लोगों को अपनी परछाईं में भी सदा रहने देना नहीं चाहते। सोशियालिस्ट लोगों का मूलोच्छेदन करने की बुद्धि ने उनके हृदय में घर कर लिया है। उन्हें जिस तरह पर हो सका दुःख पहुँचाया है परंतु इतना दुःख उठाने पर भी उनकी आँखें अभी आसमान पर ही हैं। सोशियालिस्ट लोगों के सिद्धांतों में गलतियाँ हैं, राजसत्ता वे नहीं चाहते, इतना होने पर भी नागरिकों के अनेक गुण उनमें पाए जाते हैं। अतएव उन गुणों का जितना उपयोग किया जा सकता है उतना उपयोग करने का यदि कैसर ने विचार किया तो दूध में शक्कर डालने के समान काम होगा।

सोशियालिस्ट लोगों में अब कुछ सौम्यता के चिह्न दिखाई

तेईसवाँ अध्याय ।

पोलिश लोगों का प्रश्न ।

पोलैंड का कुछ भाग जर्मनी के प्रशिया प्रांत के अंतर्गत है । वहाँ की वर्तमान राज्यव्यवस्था, वहाँ के पोलिश लोगों को पसंद नहीं है । अतएव उसमें फेरफार करने का आंदोलन होने के चिह्न स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे हैं । इस कारण पोलिश प्रश्न को—कम से कम प्रशिया प्रांत की दृष्टि से—विशेष महत्त्व प्राप्त हो गया है ।

पुराने पोलैंड का जो भाग प्रशिया के अधिकारमें है, उसकी सांपत्तिक स्थिति बहुत अच्छी है । वहाँ के लोग बुद्धिमान हैं, इस कारण उनमें राष्ट्रीय भावना बहुत प्रचलित है । पोलैंड का जो भाग आस्ट्रिया के पास है, उस गलीशिया कहते हैं । उस प्रांत के लोगों को स्वराज्य का अनुभव बहुत दिनों तक मिलते रहने से वहाँ के पोलिश लोगों की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति सतोषजनक है । परंतु सांपत्तिक अवस्था और लोगों की बुद्धिमत्ता के विचार से प्रशियन पोलिश प्रांत आस्ट्रियन पोलिश प्रांत की अपेक्षा अच्छा है । रूसी पोलैंड तो इन दोनों बातों में आस्ट्रियन पोलैंड से भी पीछे है । पोलैंडवासी प्रशिया की राजसत्ता क्यों नहीं चाहते इसके भी अनेक कारण हैं । परंतु जातिभेद और धर्मभेद मुख्य कारण है ।

पोसेन और वेस्ट प्रशिया में पोलिश लोगों की आजादी अधिक होने के कारण प्रशिया के इन दोनों प्रांतों को ही "पोलिश" नाम दे सकते हैं, तथापि ईस्ट प्रशिया और सायलीशिया प्रांत के कुछ भागों में बिल्कुल पोलिश ही आबाद हैं। इस भाग में अब पोलिश आंदोलन इतना प्रबल है कि राइश्टाग और डाएट में जो अभी नया निर्वाचन हुआ है, उसमें पोलिश पक्ष के प्रतिनिधि, उस प्रांत से निर्वाचित हो कर आए हैं। इन चारों प्रांतों में पोलिश जाति और पोलिश भाषा बोलनेवाले पच्चीस लाख मनुष्य हैं। इसके अलावा सारा जर्मनी में, खासकर वेस्टफालिया, ह्राइन, साक्सेन और स्वयं बर्लिन नगर में और उसके आस पास के भागों में, ये लोग फैले हुए हैं, और इनकी संख्या, इन जगहों में पाच लाख से कम नहीं है। इन लोगों से अब प्रशियन राज्य को भय उत्पन्न होगया है। परंतु सच्चा भय इन लोगों से नहीं है, ऊपर जिन दो प्रांतों का उल्लेख हुआ है, वहां के निवासियों से है।

सन् १८४६ में रूस और आस्ट्रिया में और सन् १८६३ में अफेडे रूस ही में पोलिश लोगों ने विद्रोह मचाया था। उस समय इसका प्रभाव प्रशिया पर भी पड़ा था। प्रशिया के कुछ सैनिकों और पोलिश विद्रोहियों के बीच कुछ झगड़ा हो गया था परंतु विद्रोहियों की तैयारी अच्छी न होने के कारण दोनों अवसरों पर प्रशिया में पोलिश विद्रोह की आगि प्रज्वलित न हो सकी। सन् १८६३ के पश्चात् प्रशिया और रूस की पोलिश प्रजा में राजसत्ता संवधी जो असंतोष उत्पन्न हुआ है वह भीतर ही भीतर सुलभ रहा है।

पोलिश प्रात का जो 'आधिभौतिक सुधार हुआ है, उसका सारा श्रेय प्रशिया को ही देना चाहिए। यह प्रात सन् १७७२ से प्रशिया में शामिल किया गया। उस समय इस प्रात की दशा बहुत हीन थी। यह बात पोलिश लेखक भी स्वीकार करते हैं। प्रशिया के राजा फ्रेडरिक दी ग्रेट ने अपने राजत्त्वकाल (सन् १७४०-१७८६) में ही इस प्रात की दशा सुधारने का कार्य आरम्भ कर दिया था। फ्रेडरिक दी ग्रेट ने सन् १७७२ से सन् १७८६ तक अर्थात् अपने राजत्त्वकाल के अन्तिम १४ वर्षों में पोलिश प्रात की दशा बहुत कुछ सुधार दी थी और इसका प्रमाण यह है कि इन १४ वर्षों में वहाँ की आबादी ५० फी सदी बढ़ गई। इनके पश्चात् जो राजा प्रशिया की गद्दी पर बैठे उन्होंने भी इस प्रात की उन्नति की और बराबर उसका ध्यान रक्खा। सन् १८०६ से सन् १८१३ तक नेपोलियन ने प्रशिया में खूब ऊधम मचाया और पोलिश प्रात भी उससे ले लिया। इन दिनों में पुनः उसकी कुछ दुर्दशा हुई, परन्तु नेपोलियन के परास्त होते ही युरोप में सर्वत्र शांति का राज्य हो गया और जो प्रात प्रशिया के हाथ से निकल गए थे, वे पुनः उसके हाथ में आ गए और उन प्रातों के सुधार और उन्नति सबधी कार्य पुनः आरम्भ हो गए।

पहले जर्मन सम्राट् प्रथम विलियम के राजत्त्वकाल में (सन् १८६१ से १८८८) सन् १८६३ से पोलिश प्रात की सापत्तिक उन्नति बहुत शीघ्रता से होने लगी। गत चालीस पचास वर्षों में प्रशियन पोलिश लोगों की सापत्तिक उन्नति शोचनी हो गई है। पहले समय में पोलिश सरदार अपना

घन पेश आराम में स्वर्ध करते थे, परंतु अब यह दशा नहीं रही। अब उनका घन पोलिश बैंकों में आने लगा है। कृषि की प्राचीन पद्धति भी अब बदल गई है और उसका स्थान नई शास्त्रीय पद्धति ने ग्रहण कर लिया है। पुराने हल बैलों क, बजाय नए औजार काम में लाए जाते हैं। छोटे छोटे किसानों की दशा बहुत कुछ सुधर गई है। बड़े बड़े खेतों में मजूर की शक्ति घटने और शराब के कारखाने खुल जाने से खेत के मालिकों को अच्छी आमदनी होने लगी है। खानों में जो अपार संपत्ति भरी पड़ी थी, उस ओर किसी का ध्यान ही न था, परंतु आज कल शास्त्रीय पद्धति से खनिज संपत्ति बाहर आने लगी है। सायलीशिया प्रांत के ऊपरी भाग में लोहे और कोयले का व्यापार बहुत बढ़ गया है। पश्चिम प्रशिया की नमक और लोहे की खानों से बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। खेतों में भी हर प्रकार का अनाज अब पैदा होने लगा है। घोड़े तथा अन्य पशुओं की भी अच्छी उत्पत्ति हो रही है। कृषि प्रदर्शनियां भी अब नियमानुसार जगह जगह पर होने लगी हैं।

सब से अधिक उत्पत्ति का कार्य जो पोलिश प्रांतों में हुआ वह मध्यम श्रेणी के लोगों की उत्पत्ति है। पोलैंड राष्ट्र की अधोगति का मुख्य कारण यह था कि मध्यम स्थिति के बुद्धिमान् और चतुर लोगों की संख्या वहां बहुत कम थी। पचीस तीस वर्ष पहले पोलिश शहरों में मध्यम स्थिति के लोग अधिकतर जर्मन अथवा यहूदी पाए जाते थे। आज इन लोगों को पीछे हटा कर तरुण और सुशिक्षित पोलिश भाग

निकल गए हैं। अब पोलिस व्यापारी, अढ़तिये, दूकानदार, यत्रकार, शिल्पकार, वैद्य, वकील और इंजीनियर आदि मध्यम स्थिति के लोग बहुतायत से पाए जाते हैं।

इस प्रांत की उन्नति के लिये सरकार दस वर्ष पीछे एक करोड़ मार्क्स (१ पौंड=२०४ मार्क्स) केवल पाठशालाओं, पुस्तकालयों, अजायबखानों, उच्च शिक्षा के लिये इमारतों—पोसेन और उटाजिक सरीखे बड़े बड़े शहरों के लिये—कंपनाने में खर्च करती है और इसमें विशेषता यह है कि, यह क्रम अमुक वर्ष तक चलाया जाय, वह भी निश्चित नहीं किया है। इस प्रांत को धन की कमी न मालूम हो अतएव उसके लिये उचित प्रबंध सरकार द्वारा कर दिए गए हैं।

इतना होने पर भी यह प्रांत शिक्षा में उतना ही ऊँचा है जितना होना चाहिए। रूसी पोलैंड शिक्षा में बहुत पीछे है। रूसी पोलैंड में प्रति सैंकड़ा बीस लोग लिखना पढ़ना जानते हैं परंतु प्राशियन पोलैंड में प्रति सैंकड़ा केवल तीन मनुष्य निरक्षर हैं। कितना विलक्षण अंतर है ॥ अनिवार्य शिक्षा का प्रचार अब बहा कर दिया गया है। सन १८८० स जर्मन यूनिवर्सिटी में, शिक्षा पाने के लिये, पोलिश विद्यार्थी, पहले की अपेक्षा दस गुने अधिक आने लगे हैं। पोलिश जाति के जर्मन विद्वानों ने अपनी विद्वत्ता का प्रभाव अनेक अवसरों पर दिखलाया है। उटाजिक में सरकार ने एक व्यावसायिक हाई स्कूल खोलना निश्चित किया है। इस काम में सरकार आवश्यक धन लगा देने को तैयार है। इस हाई स्कूल के खुल जाने से औद्योगिक शिक्षा की प्राप्ति में बहुत कुछ आसानिया हो जायगी।

उपरोक्त वर्णन से हमारे पाठक यह जान गए होंगे कि पोलिश प्रांतों की संपत्ति और बुद्धि बढ़ाने के काम में प्रशियन सरकार ने कितना ध्यान दिया है। इस काम में सरकार ने उदारतापूर्वक धन खर्च किया है, परंतु प्रशिया के पश्चिमी भाग की संपत्ति और वहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता देखने से पाया जाता है कि पोलिश प्रांतों का नंबर इन दोनों बातों में बहुत नीचा है। तभी यदि पोलिश प्रांतों की भूत और वर्तमान स्थिति का मुकाबला किया जाय तो जमीन भासमान का अंतर पाया जायगा।

राजनैतिक मामलों में, प्रशिया का पोलिश प्रजा के साथ जैसा घर्षण रहा, उसमें उसे यश नहीं मिला। पोलिश राष्ट्रीय आकांक्षा को दबा देने का जैसा अटल व्यवहार रूस ने किया वैसा प्रशिया ने नहीं किया, यह बात सच है, परंतु एक बात धवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिए कि उत्तरी प्रशियन और पोलिस इन दोनों का एकीकरण होने के रास्ते में धर्म और जाति सबधी कुछ ऐसी कठिनाइया आकर उपस्थित हो गई हैं कि जिनका अनिष्ट परिणाम होकर आपस में एक दूसरे का वैमनस्य हुए बिना न रहेगा। दूसरी बात एक और है— जर्मन लोगों ने पोलिस लोगों को जर्मन बनाने के जो प्रयत्न आज तक किए वे व्यवस्थित और बुद्धिमानी के न थे। सन् १७७२ से हर एक प्रशियन राजा के राजत्वकाल में, पोलिस सबधी उद्देश्य भिन्न भिन्न प्रकार का रहा है। इस विषय में, बहुत पीछे न जाकर केवल चालीस वर्ष पहले अर्थात् पहले विलियम के राजत्वकाल से अब तक जो बातें

हुई हैं, उनका उल्लेख करने से ही बहुत कुछ पता चल जायगा।

पोलिश घराने के एक सरदार की रूपवती तरुण कन्या पर राजा मोहित होगया था और उसके साथ विवाह करने की उसकी इच्छा थी। परंतु वह कन्या जर्मन जाति की न होने से उसके पिता तीसरे फ्रैंडरिक विलियम ने विवाह करने की सम्मति नहीं दी। इस कारण वह विवाह न हो सका। पहले विलियम के जीवन में जब यह एक सद्भुत घटना घटित हुई तभी से उसके मन में पोलिश लोगों के संबंध में एक प्रकार का प्रेम उत्पन्न होगया और यह प्रेम जीवन पर्यंत बना रहा। पोलिश सरदारों के साथ उसे विशेष प्रेम था। इस कारण, इस दयालु वृद्ध राजा के रात्वकाल में, पोलिश राज-नैतिक उद्देश्य कई वर्षों तक स्नेह-भाव युक्त रहा। उसके दरबार में, बहुत से पोलिश सरदार पाए जाते थे। पोलिश राजकाज में वह उन लोगों में से एक सरदार से सलाह मशवरा लिया करता था, जो उस वरुणी के घराने का था, जिसके साथ राजा विवाह करने को तैयार था।

परंतु सन १८७५ में प्रिंस बिस्मार्क के एक कार्य ने रोमन धर्म के धर्माधिकारी मंडल को प्रशियन सरकार के विरुद्ध कर दिया। पोलिश लोग रोमन कैथोलिक संप्रदाय के हैं। उनकी धर्मसंस्था की व्यवस्था के कुछ नियम प्रशियन सरकार ने अस्वीकार किए परंतु एरु वात को जब उन लोगों ने न माना तब प्रिंस बिस्मार्क ने पोलिश प्राय-सेट (धर्मगुरु) को पोसेन के जेल में भेज दिया। इसके साथ और भी अनेक धर्मोपदेशक जेल भेजे गए।

इसका परिणाम बड़ा भयानक निकला। उसी समय से पोलिस धर्म-मंडल प्रशिया वा कट्टर शत्रु हो गया। उसने अपने शिष्यों में, जर्मन लोगों के सपथ में, द्वेष भाव उत्पन्न कर दिया। द्वेष का बीज एक बार लोगों के मन में उत्पन्न होजान से वह फिर नष्ट न किया जा सका। अब उस बीज से एक बड़ा वृक्ष तैयार हो गया है। सन १८७५ में जाति द्वेष ही परस्पर वैमनस्य का कारण हुआ। परंतु उससे धर्म द्वेष का सहारा मिल जाने से उसकी शक्ति दूनी हो गई। उसी समय से पोलिस लोग जर्मन लोगों को अपना शत्रु समझने लगे हैं। यह द्वेष भाव जिस तरह अधिक बढ़ सक, उसी प्रकार का प्रयत्न पोलिस धर्म गुरु करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ है कि नीचे दर्जे के पोलिस लोगों के मत में भी जर्मन लोगों के विषय में अब्बल नगर का द्वेष उत्पन्न हो गया है, और यह द्वेष इतना बढ़ हो गया है कि पोलिस लोगों के समान ही जो जर्मन कैथोलिक मतानुयायी हैं, उनसे भी वे लोग द्वेष रखते हैं। इसका प्रभाव राइशटाग और प्रशियन डापट पर भी पड़ा है। अर्थात् इन दोनों सभाओं में पोलिश प्रातों से जब निर्वाचित होकर सभासद आए तब उन में एक भी जर्मन कैथोलिक सभासद निर्वाचित नहीं हो सका, और दोनों सभाओं में "सेटर" नामक जो कैथोलिक दल है, उसका पक्ष बहुत गिर गया।

इतना होने पर भी प्रिंस बिस्मार्क ने धर्म सस्थाओं के लिये जो व्यवस्था सोची थी वह व्यवहार में नहीं लाई जा

नष्ट हुई। इस हानि से उन्हें बहुत बड़ी शिक्षा मिली और इसी कारण वे वर्तमान समय में अपना कार्य बड़ी सावधानी के साथ कर रहे हैं। अपनी शक्ति और अपनी कमजोरियों को वे सदा देखा करते हैं। 'उतावलेपन अथवा बिना पूरी तैयारी किए वे कोई भी साहस का काम करने को उद्यत न होंगे और न सप्तर की कोरी सहानुभूति पर ही वे बैठे रहनेवाले हैं। यूरोप के बलवान राष्ट्रों के आगे वे अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे या रूस में जब राज्यक्रांति होगी, उस अवसर से वे लाभ उठावेंगे, अथवा अस्ट्रिया हंगरी के वर्तमान महाराज की मृत्यु हाने से कुछ फेरफार होगा, अथवा 'भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में घनघोर युद्ध होकर' सारे राष्ट्र कमजोर हो जाँयेंगे, ऐसे समय की वे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा समय आने पर पोलैंड का स्वतंत्र राज्य कैसा होना चाहिए और उसके लिये क्या कार्य किया जाना चाहिए, यह उस समय की परिस्थिति के ऊपर निर्भर है और इसी कारण वे लोग इस समय चुप चाप बैठे हैं। परंतु इस बीच में पोलिश लोगों में वीरत्व उत्पन्न करना, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य की आकांक्षा प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में जागृत करना और वर्तमान राजनैतिक आंदोलन को दृढ़ता के साथ चलाए रखना ही उन लोगों का दृढ संकल्प है। पोलिश लोगों में जितना अधिक शिक्षा का प्रचार होगा और खास कर प्रशिया के पोलिस में, उतना ही कार्य समय आने पर शीघ्रता से हो सकेगा, इसमें शका नहीं है।

इस प्रकार रूस, अस्ट्रिया और प्रशिया में पोलिश लोगों

की जो स्वतंत्रता नष्ट हो गई है उसे वापस लाने का प्रयत्न जो हो रहा है उसका हमने यहाँ पर संक्षेप में वर्णन कर दिया और उनके कार्य क्रम का स्वरूप भी बता दिया। ये बातें उनके नेताओं ने क्रेको, लेंगर्ग, वारसा, पोसेन और नेसन सरीखे बड़े बड़े नगरों में जो राष्ट्रीय उत्सव उन लोगों ने समय समय पर किए, उनमें स्पष्ट रूप से प्रगट कर दीं और उनकी रिपोर्ट से ही ये बातें यहाँ पर लिखी गई हैं अतएव इनमें भूल होना संभव नहीं है।

पोलैंड में "सोकोल्स" नाम के बहुत से कुश्ती के अखाड़े हैं। उन अखाड़ों से कसरत सीखे हुए बहुत से लोग सेना में काम करने के बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। उन्हें वहाँ इसी प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है। सन् १८१३ में नेपोलियन की सत्ता का दीर्घ अपने ऊपर से उतार डालने का प्रयत्न प्रशिया ने आरंभ किया था, उस समय इसी प्रकार के अखाड़े वहाँ मौजूद थे और वहाँ सीखे हुए मनुष्यों से युद्ध के लिये सेना तैयार करने में बहुत सहायता मिली थी। वर्तमान समय में जिस प्रकार का आंदोलन पोलस लोगों ने आरंभ कर रक्खा है उसका वर्णन प्रशियन डाइट में करते हुए एक राजमन्त्री ने इन अखाड़ों को राजविद्रोह का अड्डा कहा था। इन अखाड़ों में किस प्रकार की बातें अथवा भाषण हो रहे हैं, इसके भी कई एक उदाहरण उन्होंने बतलाए थे। उन भाषणों को पढ़ कर कोई भी कह सकता है कि वे राजविद्रोह के विचारों से परिपूर्ण हैं। प्रशिया के पोलैंड प्रांत में इन अखाड़ों की संख्या दो सौ से लेकर तीन सौ तक है

है, इसका हाल पीछे बताया जा चुका है। सरकार बराबर यह उद्योग करती रहती है कि जैसे वन सके वैसे पोलिस लोगों को जर्मन बना डाला जाय। इस उद्देश्य के लिये वह पोलिश प्रांतों से पोलिश भाषा उठा देने का कड़ाई के साथ प्रयत्न कर रही है। प्रशिया में राजसत्ता का तेज प्रखर होने के कारण इंग्लैंड के समान राष्ट्र को जो उपाय कभी करना नहीं आता उसी प्रकार के अत्याचारी उपायों की योजना प्रशियन सरकार कर रही है। परंतु पोलिस लोग भी अपने प्रांतों में जर्मन भाषा का प्रचार न होने देने का प्रयत्न बराबर करते रहते हैं। इस काम में उन्हें अपने धर्मगुरुओं से बड़ी सहायता मिल रही है। इन लोगों का सामान्य लोगों पर बड़ा प्रभाव है। अतएव उनकी सहायता से जर्मन भाषा का कृष्ण मुख करने का प्रयत्न बराबर जारी है। उन लोगों का विश्वास है कि यदि पोलिश घरों में, प्रार्थनामंदिरों में, व्यास पीठ अथवा न्यायालयों में जर्मन भाषा का एक बार प्रवेश हुआ तो फिर पोलिस लोगों को जर्मन बनाने का जो प्रयत्न प्रशियन सरकार कर रही है, उसे यश प्राप्त हुए बिना न रहेगा। उनका यह कथन ठीक नहीं है पैसा कौन कह सकता है ? और इस कारण जर्मन भाषा के विरुद्ध जो आंदोलन वे लोग कर रहे हैं, इस के लिये उनको कौन नाम रख सकता है ?

इस आंदोलन में सचमुच उन्हें यश प्राप्त हो रहा है, इसमें शंका नहीं है। जर्मन और पोलिश दोनों भाषा जानने

बाले लोगों को सहज ही में जो धन प्राप्त हो सकता है, उसे त्याग देने के लिये वे लोग एक मत से तैयार हैं। यह बात जान कर पोलिस लोगों की स्वार्थत्याग की और इस कार्य को करानेवाले धर्मगुरुओं की प्रशंसा करनी चाहिए। पोलिश भाषा का त्याग करनेवाला देश का शत्रु है, स्वजाति का शत्रु है अथवा दूसरे के घर में रहनेवाला गुलाम है, ये बातें वे लोग स्पष्ट कहते फिरते हैं और लोग भी उनकी इन बातों को शिरोधार्य करते हैं। इसका कारण यही है कि उनका यह कथन युक्तिसंगत है। यह कल्पना लोगों के मन में जन्म जाने के कारण जर्मन भाषा स्वीकार करने से जो नौकरियाँ पोलिस लोगों का मिल जातीं अथवा जो व्यवसाय वाणिज्य व कर सकते उससे उन्हें हाथ धोना पड़ा है।

परन्तु केवल पोलिश भाषा पर ही संतुष्ट न रह कर वे चारों पोलिश प्रांतों (ईस्ट प्रशिया, वेस्ट प्रशिया, पोसेन और स्यालीशिया) में जहाँ पोलिस लोगों की आबादी है, "पोलोनाइजेशन" का प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें इस प्रयत्न में यश भी प्राप्त हुआ है। पोलिश लोग सरकारी स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन बहुत ही उत्तम प्रकार से करते हैं, इस कारण जर्मन लोगों की अपेक्षा उन लोगों की आबादी शीघ्रता से बढ़ रही है और इससे 'पोलोनाइजेशन' के उद्योग को बहुत लाभ पहुँच रहा है। छोटे छोटे गाँवों या देहातों में ही नहीं, बड़े बड़े शहरों में भी जर्मनों की अपेक्षा पोलिस लोगों की आबादी बढ़ी है। पोसेन, नेसन, शायर्ग, थार्न वगैरह शहरों में कुछ साल पहले जर्मन लोगों

की अधिकता थी। वह अब बहुत कम होगई है। इतना ही नहीं, पोलिस लोगों की उन शहर में संख्या घट गई है वह बात ध्यान में रखने योग्य है।

जर्मन लोगों के ध्यान में जो सबसे भयानक बात आ रही है वह पोलिश प्रांतों में जर्मन निवासियों पर "पोलोनाइजेशन" का प्रभाव है, जो धीरे धीरे उन पर पड़ रहा है। सब से सरल उपाय इस प्रभाव का विवाह बंधन है। जर्मन और पोलिस में विवाह अब घटते ही जर्मन राष्ट्रभिमानी को प्रायः प्रहण सा लग जाता है। परंतु जहां इस उपचार से जर्मन लोग काबू में नहीं लाए जा सकते वहां उन पर और प्रबल उपायों का प्रयोग किया जाता है।

पोलिश भाषा के नाश करने के प्रयत्न में जर्मनों को सफलता नहीं मिली अतएव प्रिंस विस्मार्क ने "जर्मन कालोनाइजेशन फंड" स्थापित किया। इस फंड में, बीस करोड़ मार्क धन जमा है। इस फंड के स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि पोलिस प्रांतों में जर्मन लोग उपनिवेश समझ कर, जा कर वसें और उन्हें इस फंड से धन द्वारा सहायता पहुँचाई जाय। परंतु इस प्रयत्न में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रशियन सरकार ने लोगों को पोलिस प्रांतों में जा कर आवास होने की बहुत उत्तेजना दी परंतु लोग वहाँ जा कर आवास होने की राजी नहीं हुए। इसका कारण यह है कि वहाँ जा कर आवास होने से वे पोलिस लोगों के जाल में बिना फँसे न रहेंगे। केवल इसी भय से वे वहाँ जा कर

शाबाह नही होते । जर्मन सरकार ने इस फइ का उपयोग करने के लिये एक और युक्ति निकाली है । निज के तौर पर अधवा सरकारी तौर जब उन प्रांतों में जमीन खेत अधवा बाग नीलाम होते हैं तब वे इस फइ के धन से खरीद कर जर्मन लोगों को दिए जाते हैं, परंतु यह उद्देश्य भी पोलिस लागू पूरा होने नहीं देते । नीलाम के समय जर्मनी के मुकाबले में वे मूल्य बढ़ा कर अपने देशवाधवों की जमीन जर्मन लोगों के हाथ में जाने नहीं देते । कदाचित्त किसी जर्मन को कुछ जमीन मिल भी गई तो उसे बहा कारो-बार करना कठिन ही जाता है । उसके साथ वे किसी सरकार का व्यवहार नहीं करते । उसके खेतों में पोलिस मजदूर नाकर मजदूरी नहीं करते, बाजार में कोई चीज उसे नहीं मिलने देते । जानवरों और फसल को नष्ट कर देने का खयाल करते हैं, तात्पर्य यह कि उसे हर तरह से तग करने दें और वह स्वतः जमीन छोड़ कर भाग जाता है । इसी कारण कोई भी जर्मन, पोलिश प्रांतों में, जमीन नीलाम लेन का साहस नहीं करता ।

बहुत से लोगों का यह विचार है कि पोलिश प्रांतों में प्रशियन सरकार अत्याचार करती है । परंतु उनका यह कहना ठीक नहीं मालूम होता । किन्ही किन्ही बातों में प्रशियन सरकार पोलिस के साथ कठोरता का व्यवहार करती है तब, परंतु इस कठोरता को अत्याचार नहीं कह सकते । अब एक जो बात हमने निःपक्षपात होकर गताई है उनसे शठकों के ध्यान में यह बात अवश्य आ जायगी कि प्रशि-

यन सरकार ने, वर्तमान में जिन उपायों की योजना की है, वह केवल अपने बचाव के लिये की है। जर्मन लोगों ने जब पोलिश प्रांत को अपने अधिकार में लिया था तब उनका यह उद्देश्य था कि जर्मन भाषा, जर्मन सुधार और जर्मन शैली का प्रचार पोलिश लोगों में किया जाय और वहां जर्मन उपनिवेश स्थापित करके अल्पसंख्यक जर्मनों की शक्ति को बढ़ाया जाय, परंतु पोलिश लोगों ने "पोलोनिया-नेशन" का जो क्रम आरंभ किया है, यदि वह क्रम ऐसा ही बना रहेगा तो जर्मनों को अपना उद्देश्य त्याग देना पड़ेगा। वर्तमान दशा को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पोलिश लोगों ने जो क्रम आरंभ किया है वह बिना किसी कठिनाई के जारी रहेगा। प्रशियन सरकार इसे रोकने का विचार सोचती रहती है परंतु अब तक उसे इसमें सफलता के चिह्न दिखाई नहीं पड़ते। पचास वर्ष पहले पोलिश प्रांतों की जो सामाजिक स्थिति थी, वह अब चौगुनी हो गई है। अतएव अब वहां के लोगों को जर्मन बनाना बहुत कठिन और करीब करीब असंभव सा दिखाई पड़ता है। जर्मन यूनिवर्सिटीयों में शिक्षा पाए हुए बुद्धिमान पोलिश लोगों ने वर्तमान समय का आंदोलन अपने हाथ में ले लिया है। पोलिश जाति, पोलिश भाषा और पोलिश विचारों को बढ़ाने के लिये वे लोग बराबर प्रयत्न करते रहते हैं, राज्याधिकारियों के साथ शीघ्र ही दो दो हाथ होनेवाले विचार से वे अपने अनुयायियों को नैतिक शिक्षा की लिये उत्तेजित करते रहते हैं। प्रशियन सरकार के

का प्रश्न आ उपस्थित हुआ है उससे अपना
 छुड़ाने अथवा अपना बचाव करने के लिये प्रयत्न
 करना एक बहुत आवश्यक कार्य है । परंतु इस प्रश्न
 का हल करने या इससे अपना पीछा छुड़ाने का सत्र से
 माल न्याय यह है कि पोलिस लोगों को " जर्मन " बनाने
 का प्रयत्न छोड़ कर ' योग्य पोलिस ' बनाने का प्रयत्न
 करना है उचित होगा । एक पोलिस सरदार ने इस अवधि में
 कहा था— ' प्रशियन सरकार राजकाज में अतिशय दक्ष,
 अतिशय व्यवस्थित और अतिशय कार्यकुशल है परंतु जिन
 लोगों पर वह अपना प्रभुत्व चला रही है उनका अपने
 प्रयत्न उत्पन्न करना अथवा उनके मन में अपने विषय
 में विश्वास उत्पन्न करना, यह कार्य उसे करना नहीं आता ।
 पोलिस लोगों का समूल नाश करना और उनके स्थान पर
 जर्मन लोगों को लाकर बसाना उसका यह सत्यानाशी क्रम
 बराबर जारी है । " इस कथन में बहुत कुछ सचाई है
 और यदि पोलिस लोगों को सतुष्ट रखना है तो उनके साथ
 बदला का व्यवहार त्याग कर सामोपचार करने में ही
 प्रशियन का यश प्राप्त होता सम्भव है ।



मनोरंजन पुस्तकमाला ।



अब तक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं ।

- (१) आदर्श जीवन—लेखक रामचंद्र शुक्ल ।
- (२) आ-पेन्द्रार—लेखक रामचंद्र वर्मा ।
- (३) गुरु गाविंदसिंह—लेखक वेणीप्रसाद ।
- (४) आदर्श हिंदू १ भाग—लेखक मेहता लज्जाराम शर्मा ।
- (५) " २ " " "
- (६) " ३ " " "
- (७) राणा जगवहादुर—लेखक जगन्मोहन वर्मा ।
- (८) भौतम पितामह—लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा ।
- (९) जीवन के आनंद—लेखक गणपत जानकीराम दूबे बी०ए०
- (१०) भौतिक विज्ञान—ले० सपूर्णानंद बी एस-सी, एल-टी०
- (११) लालचीन—लेखक धृजनदन सहाय ।
- (१२) कर्मरत्नचिन्तादली—संपादक अयोध्यासिंह उपाध्याय ।
- (१३) महादेव गोविंद रानडे—लेखक रामनारायण मिश्र बी ए
- (१४) बुद्धदेव—लेखक जगन्मोहन वर्मा ।
- (१५) भितव्यय—लेखक रानचंद्र वर्मा ।
- (१६) सिकरों का उत्थान और पतन—लेखक नदकुमार देव शर्मा ।

- (१७) वीरमणि—लेखक श्यामबिहारी मिश्र एम० ए० और
शुकदेव बिहारी मिश्र बी. ए ।
- (१८) नेपोलियन बोनापार्ट—लेखक राधामोहन गाकुलजी ।
- (१९) शासनपद्धति—लेखक प्राणनाथ विद्यालंकार ।
- (२०) हिंदुस्तान, पहला खंड—ले० दयाचंद्र गोयलीय बी० ए०
- (२१) " दूसरा खंड — " "
- (२२) महर्षि सुकरात—लेखक वेणीमसाह ।
- (२३) ज्योतिर्विनाद—लेखक सपूर्णानंद बी। एम सी, एन टी
- (२४) आत्माशिक्षण—लेखक श्यामबिहारी, मिश्र एम ए
और शुकदेवबिहारी मिश्र बी. ए ।
- (२५) सुंदरसार—समहकर्ता हरिनारायण पुरोहित बी ए ।
- (२६) जर्मनी का विकास, पहला भाग—लेखक सूर्यकुमार
वर्मा ।
- (२७) " " दूसरा भाग " "

